खण्ड-165, अंक-7
शनिवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(25 फरवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 165 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

LEGISLATURE LIBRARY
24 JUL 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २५ फरवरी, १९५६

शनिवार, २५ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह ,श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह ,श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय , श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख़्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फज़लुलहक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री

मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री

वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री,
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

१९५५-५६ के विभिन्न द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का क्रम तथा समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---आज अनुदानों पर मत लिये जायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इसका क्या क्रम निर्धारण करना चाहते हैं? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जिस तरह से क्रम में यह अनुदान दिये हैं उस तरह से न लिये जायं बल्कि खास खास अनुदान पहिले ले लिये जायं। तो इसके लिये अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हों तो कृपा करके सुझाव आप लोग दें।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि एजेन्डा के आइटम १३, १४ और ३० आप पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष---यह मुख्य मंत्री जी के हैं, ठीक है। यह जेल्स, पुलिस और पोलिटिकल पेंशन्स के आइटम हैं। इनको पहले लेने में किसी को आपत्ति है?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

न्यायमंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं यह अर्ज करूंगा कि आइटम १२ और २८ मेरे मुताल्लिक हैं। अगर हो सके और वह लोग चाहें इसको डिस्कस करना, तो इसको भी आप जल्दी ले लें।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि इसके बाद ले लें।

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—मेरा प्रस्ताव यह है कि आइटम ७, ८ और ३७ एक साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को आपत्ति है?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, जो अभी प्रस्ताव हुए उनसे मैं सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि आइटम नम्बर ४० उसके बाद ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो यह तय हुआ कि पहले आइटम १३, १४ और ३० लिये जायं, उसके बाद १२ और २८, उसके बाद ७,८ और ३७ और उसके बाद नम्बर ४०। यह तो क्रम हुआ और बाकी जो हैं उनको बाद में जो क्रम इसमें दिया हुआ है, वहां से शुरू कर दूंगा।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—मेरा प्रस्ताव है कि २६, २७ और ४० एक साथ ले लिये जायं।

राजा वीरेन्द्रशाह—हमको कोई आपत्ति नहीं है। बस समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं चाहता था कि १५ और ३३ एक साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वह एक साथ ले लिये जायंगे। लेकिन यह तो इसके बाद भी हो सकता है, एक साथ लेने का सवाल। आप क्रम के हिसाब से इसको कुछ जल्दी तो नहीं लेना चाहते?

(कोई उत्तर नहीं मिला।)

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं समझता हूं कि १० मिनट तो प्रस्ताव पेश करने वाले के लिये होना चाहिये और ५ मिनट अनुमोदन करने वाले के लिये।

श्री अध्यक्ष—यह तो हुआ। लेकिन जैसे यह है कि मुख्य मंत्री जी के आइटम्स पहले लिये जायंगे, तो उनके लिये आप कितना समय निर्धारित करना चाहते हैं? पहले पुलिस, जेल और मुख्य मंत्री जी के पेंशन्स वगैरह के बारे में कितना समय आप चाहते हैं?

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—४५ मिनट।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। और सुझाव?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—१२ और २८ के लिये आधा घंटा। ७, ८ और ३७ के लिये आधा घंटा। २६, २७ और ४० के लिये ४५ मिनट।

श्री अध्यक्ष---ठीक है और बोलने के लिये ?

राजा वीरेन्द्र शाह---१० मिनट प्रस्तावक के लिये और ५ मिनट औरों के लिये।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

१९५५-५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान---अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियां, अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस, और अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५४---क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १,४२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस, के अन्तर्गत १४,३८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५---प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शीसकों को निजी खर्च तथा भत्ते---लेखा शीर्षक ५४-क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें के अन्तर्गत ९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे का समय है और मैं चाहता हूं कि इसमें दूसरे सदस्य अपनी बात कह लें क्योंकि मैंने तो मैमोरैन्डम में तफ़सील में दिया है। अन्त में माननीय सदस्यों के सुझावों के बारे में मैं कह दूंगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १६, १७ और ३५ के अधीन एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मुझे आपका और सदन का ध्यान इन अनुदानों में कुछ मदों की ओर दिलाना है। विशेष रूप से जो पुलिस की स्थापना के लिये रुपया मांगा गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक डी० आई० जी० पुलिस नियुक्त किये जावें। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार विशेष डी० आई० जी० पुलिस की केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिये नियुक्ति कहां तक उचित है। मुझे पूरी सूचना तो नहीं है कि यह डी० आई० जी साहेब का सर्किल कितना बड़ा होगा, हो सकता है कि दो एक जिले इस में रुहेलखंड डिवीजन के भी हों। पर्वतीय क्षेत्र में पुलिस का काम पटवारी करता है और उसी को सब-इन्सपैक्टर की ताकतें मिली हैं। पटवारियों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और जिला मैजिस्ट्रेट होते हैं और दूसरे अधिकारी रहते हैं। वैसे आम तौर पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायत तो रहती ही है लेकिन जितनी त्रस्त जनता पुलिस के द्वारा और जिलों में रहती है उतनी पहाड़ी जिलों में पटवारियों द्वारा नहीं रहती है। मान भी लिया जाय थोड़ी देर के लिये कि पुलिस अधिकारी की आवश्यकता है ही, तो भी डी० आई० जी० की तो कोई आवश्यकता नहीं है। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कुमायूं इस काम को कर सकते हैं। कुछ उन्हीं के पद को बढ़ा देते तो मैं समझता हूं कि इस नये पद का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि बार्डर एरिया की कोई समस्या माननीय मंत्री जी बतलावें कि वह वहां पुलिस चौकी कायम करना चाहते हैं। लेकिन बार्डर की समस्या आन्तरिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षा की नहीं है, वह तो वाह्य सुरक्षा का प्रश्न है। इस प्रकार की जरूरत फौज को हो सकती है। यदि प्रादेशिक सरकार को कोई निर्देश करना हो तो पी० ए० सी० का कोई विशेष पदाधिकारी वहां भेजा जा सकता है।

दूसरे एक मंच की पब्लिक मीटिंग के लिये व्यवस्था की गयी है और वह की गयी है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दिल्ली से। मैं नहीं कहता कि हमारे बड़े-बड़े नेताओं के भाषण के लिये मंच की आवश्यकता नहीं है। मंच की आवश्यकता होती है, इस बात को सभी मानते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इस मंच की कौन सी आवश्यकता थी जिसे पूरक बजट में लाना पड़ा। अगर जवाहर लाल जी यू० पी० में २,३ महीने में प्रधान मंत्री की हैसियत से आने को होते और उसके लिये मंच की आवश्यकता पड़ती तो भी मैं मान लेता। लेकिन निकट भविष्य में वह राज्य के कार्य से शायद यू० पी० में आने वाले भी नहीं हैं, ३१ मार्च तक भी उनका कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। १९५६–५७ का जो हमारा बजट कल पेश हो चुका है उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाहर जो खर्चा हुआ उसमें मंच का आइटम शामिल किया जा सकता था। फिर दिल्ली से खरीदने की कौन जरूरत है? हमारा पब्लिक वर्क्स तो दिल्ली के पब्लिक वर्क्स के मुकाबिले में बहुत बड़ा है और हम खुद मंच बना सकते थे। मैं समझता हूं कि पूरक बजट के सिद्धांतों में भी इस मंच का खरीदा जाना सही नहीं उतरता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्यों मंत्री जी ने इस मंच का खरीदना पूरक बजट के द्वारा जरूरी समझा और क्यों नहीं राज्य की पी० डब्लू० डी० से मंच बनवाया।

जेलों के बारे में मैं स्वीकार करता हूं कि जेलों में स्थान कम और संख्या में वृद्धि होने के कारण इस बात की आवश्यकता थी कि कुछ विशेष रूप से इस ओर ध्यान दिया जाय और कुछ मरम्मत आदि की, मेरठ जेल वगैरह की ओर ध्यान दिया जाय। मुझे जेलों की मद में कोई विशेष ऐतराज नहीं है। मैं समझता हूं कि कम से कम रिपेयर्स का अनुदान आवश्यक था और इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक कैम्प्स वगैरा का सवाल है, बहुत कुछ पदाधिकारियों के पद का पहले से अंदाजा लग सकता था, इसलिये इसमें कमी पड़ गयी, यह ताज्जुब और दुख की बात है। मेरा विचार यह है कि पुलिस और जेल ऐसे प्रशासकीय विभाग हैं कि उनमें कमी हो जाना जरा मुश्किल सी बात है और प्रशासकीय कार्य में कितना खर्च होता है इसका पता प्रत्येक सरकार को रहता है और जेल का विभाग ऐसा ही है जिसमें साधारणतया वृद्धि की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। मान लीजिये आपने एक जेल इलाहाबाद में बढ़ाई तो उसके स्टाफ की व्यवस्था साथ साथ कर लेते हैं और बजट में उसकी मांग कर ली। लेकिन जो पहले से चला आ रहा है उसमें कमी पड़ गयी। यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है। इस नोट में जो कारण दिये हुये हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नोट के पीछे दूसरा नोट है जिसको स्पष्ट नहीं किया गया है और भाषा के आडम्बर कैसे किस तरह से भाव व्यंजन कर सकते हैं यह तो मैं नहीं कहता कि मंत्री जी ने उलझाने की कोशिश की है लेकिन इसके पीछे जरूर कोई बात है जो प्रस्ताव में आनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में विशेष कर अर्द्ध कुम्भ मेले के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह हरद्वार में होगा और इसके लिये सरकार ने मांग रक्खी है और यह मांग बहुत मुनासिब है। प्रयाग में जब पिछली दफा कुम्भ हुआ था उसके अनुभव को सामने रखकर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कुछ बातों का ख्याल करे, जैसे कि प्रयाग में स्थान की कमी थी उसी तरह से हरद्वार में भी ख्याल रक्खा जाय कि स्थान की कमी न होने पाये। अक्सर यह देखा गया है कि कुम्भ के मेले पर बहुत से सरकारी महकमों की तरफ से नुमायश या प्रदर्शनी हुआ करती है और उनके सिलसिले में काफी गवर्नमेंट स्टाफ आता है और वह काफी जगह घेर लेता है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मौकों पर जहां तक हो सके कम से कम नुमायशें की जायं और यदि की भी जायं तो उनको] जगह

[श्री शिवनाथ काटजू]

देने के लिये यह देखा जाय, जहां पर भीड़ होती है और ज्यादा जमाव होने की संभावना होती है वहां उनको जगह न दी जाकर एक आध मील दूर जगह दी जाय। प्रयाग में सरकारी कर्मचारियों ने बहुत काफी जगह घेर ली थी जिससे बड़ी परेशानी हुयी।

इसके साथ ही साथ मैं यह मुनासिब समझता हूं कि ऐसे मौकों पर कम से कम एक डिप्टी मिनिस्टर साहब अपना वहां ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। मेरा खयाल है अगर इस तरह का अहतियात पिछले कुम्भ के मेले में लिया जाता तो बहुत सी बातें नहीं हो पातीं। इसलिये इसको देखते हुये मुनासिब होता कि स्थानीय कर्मचारियों के ऊपर मेले का इंतजाम न छोड़ा जाय बल्कि देखभाल और ज्यादा की जाय। इन सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

एन्टी-करप्शन की जो योजना है वह बहुत मुनासिब है और मेरे ख्याल से वह काफी कामयाब होगी। इसकी बहुत दिनों से जरूरत भी थी और मुमकिन है इसमें आगे चल कर जैसा कि तजुर्बा सामने आये कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़े लेकिन इस समय, जैसा कि इसका खाका सामने रक्खा गया है, वह बहुत मौजूं है।

रोस्ट्रम के बारे में सरकार ने एक मांग रक्खी है जिस पर नारायणदत्त जी ने अपना मतभेद प्रकट किया है, वह कोई ज्यादा रकम नहीं है, केवल ४,५०० रुपये की रकम है। अक्सर यह देखा जाता है कि इसकी जरूरत पड़ती रहती है और जब जरूरत पड़ती है तो ४,५०० रुपये से ज्यादा खर्च हो जाते हैं और खासकर जब माननीय प्रधान मंत्री जी का यहां दौरा होता है तो उनकी सीक्योरिटी को देखते हुये खास प्रबंध करना पड़ता है। पहले यह काम शहर कांग्रेस कमेटी या दूसरी संस्थाओं पर छोड़ दिया जाता था लेकिन सीक्योरिटी की जरूरत को समझ कर सरकार का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसको ठीक से देखे, इस तरह से हर बार काफी रकम इसमें खर्च हो जाया करती है। इसलिये अगर एक बार थोड़ी रकम खर्च करके एक मुस्तकिल चीज बना दी जायगी तो वह कोई नामुनासिब चीज न होगी और मैं समझता हूं कि जरूरत को देखते हुये खुद तिवारी जी ही महसूस करेंगे कि वह एक बहुत जरूरी चीज है। मैं इन शब्दों के साथ-साथ इस दान का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के अन्तर्गत जो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेंट्स) हर जिले में नियुक्त हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार उनको एक जीप, एक स्टेनोग्राफर और कुछ आर्डरली स्टाफ दे रही है लेकिन दिक्कततलब बात यह है कि उनके पास इन्क्वायरी करने के लिये कोई साधन और स्टाफ नहीं है जिसके द्वारा वह जांच करा सकें। इसमें जांच के लिये कोई प्रबंध नहीं है कि कहां तक सीमित होगी और ऊपर के अधिकारियों का कोई प्रबंध नहीं है। जिलों में ऐन्टीकरप्शन कमेटियां संगठित की गयी हैं उनके भी फरायज साफ जाहिर नहीं हैं कि आज के हालात में उनके क्या कर्त्तव्य और फरायज होंगे, क्या अधिकार होंगे, यह स्पष्ट नहीं है। इन बातों को देखते हुये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह इस विषय पर विचार करें कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (कम्पलेन्ट) के पास उनका स्वयं का स्टाफ होना चाहिये ताकि उनको जांच-पड़ताल करने में कठिनाई न हो, जो मौजूदा जनरल पुलिस का स्टाफ है उससे काम नहीं चलेगा, सम्भवतः उनको अक्सर पुलिस के खिलाफ ही जांच करानी पड़े तो उनको बहुत कठिनाई होगी, उनको अगर थानों से ही और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही मदद लेना होगी या सी० आई०डी० से इमदाद वह लेंगे तो उनको, मैं तो समझता हूं कि अपना काम चलाना असम्भव हो जायगा और इस तरह से यह डी० आई० जी० और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आदि की नियुक्ति बेकार ही साबित होगी जबतक कि आप उनको अलग स्टाफ जांच-पड़ताल के लिये नहीं देते हैं। जब सब कुछ ही आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टाफ और दे दें तो बेहतर होगा। अक्सर गजटेड आफिसर की भी शिकायत होती है या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो आप उनके लिये दूसरा पर्सनल स्थापित करें। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह गौर कर लें। हर जिले में जबकि ऐन्टीकरप्शन वीक बनाया गया और जिलों में एन्टीकरप्शन कमेटी बैठी तो सब जगह यह कठिनाई हुयी कि आखिर उनके फरायज क्या हैं ? एक पुराना जी० ओ० था जिसके आधार पर आज तक कार्य हुआ है लेकिन फिर भी उनके फंकशन्स और कर्त्तव्य साफ होने चाहिये और उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिये। जिला ऐन्टीकरप्शन कमेटी का नान-आफिशियल चैयरमैन बनाकर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके कि आज बहुत दिन से कांग्रेस सरकार हुकूमत करती आयी है, मैं यह भी नहीं कहता कि वे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लेकिन दुख है कि भ्रष्टाचार आज भी उसी रूप में या उससे भी कुछ बढ़कर है जो पहले था। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है भ्रष्टाचार का रवैया वही है केवल जरिया बदल गया है। पहले तो यह था कि वे घूस लेते थे और अपने कुछ साथियों, कुछ आफिसरों में बटवारा करके हजम कर लेते थे लेकिन अब जो लोकल नेता लोग हैं अगर वे लोग प्रसन्न हैं तो वह समझ लेते हैं कि उनके लिये छूट है और वह चाहे जो कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं केवल सरकार पर नहीं रखता उसकी जिम्मेदारी हम पर भी है। अगर हम पुलिस के किसी अधिकारी को घूस दिलाने में सहयोग देते हैं तो हम भी उतने ही दोष के भागी हैं जितना कि वह देने वाला या लेने वाला है। आज पुलिस के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यह एक अच्छा साधन बनाया जा रहा है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन जो जिलों में ऐंटीकरप्शन कमेटी है वह बिलकुल बेकार हो जायगी जब तक कि आप उनको अधिकार नहीं देते हैं। आपने उनको एक जीप दे दी है उससे भी काम नहीं चल सकता है। उससे वह पूरे जिले में दौड़ता है तो आप इतना धन व्यय करेंगे जो आपके लिये बोझ साबित हो जायगा। मैं समझता हूं कि ऐंटीकरप्शन कमेटीज और ऐंटीकरप्शन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर यदि भ्रष्टाचार को रोकें तो अच्छा होगा। हम इस भ्रष्टाचार से ऊब गये हैं और यह भ्रष्टाचार अगर अब नहीं समाप्त हुआ तो कभी नहीं हो सकता ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है और उसको खत्म करने के लिये अब उसने एक सक्रिय योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की स्थापना हर जगह की जा रही है अथवा की जा चुकी है और उसके द्वारा यह आशा की जा रही है कि भ्रष्टाचार निर्मूल न हो जायगा। भ्रष्टाचार निवारक समितियों की स्थापना की गयी है जो नान-आफिशियल बाडीज हैं। मेरा यह सुझाव है कि ये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) उसी समिति के प्रति जिम्मेदार हों अर्थात् एक आफिस उस समिति का हो और उसका जनता में पूरे तौर से प्रोपेगेंडा भी हो जाय कि इस प्रकार का आफिस बन गया है और यह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट उसके अधीन काम करने वाला सरकारी कर्मचारी समझा जायगा, जो कुछ सजा भी दी जाय किसी भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी को या जो वह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जांच-पड़ताल करे वह समिति के सामने पेश हो और जो कुछ सजा निकले वह वहीं से निकले। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सजा का निर्णय समिति करे। सजा का निर्णय तो वैभागिक अधिकारी या वह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट करे लेकिन वह सजा का प्रस्ताव समिति के सामने पेश हो और जनता पर इस बात का प्रभाव पड़े कि जो कुछ जांच हो रही है या सजा दी जा रही है वह समिति की ओर से है। अगर किसी विभाग को कोई सिफारिश करनी हो डिपार्टमेंटल ऐक्शन लेने की किसी विभागी निम्न कर्मचारी के खिलाफ, तो वह भ्रष्टाचार निवारक समिति की तरफ से ही की जाय। इस प्रकार से भ्रष्टाचार निवारक समितियों का एक स्थान होगा। जनता यह समझेगी कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार का निर्मूलन हो सकता है। सजा देने का अधिकार तो विभागीय कर्मचारी या मुख्य अधिकारी को ही रहे। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को जो अधिकार हैं वे उसके पास रहें लेकिन सारा कार्य

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

भ्रष्टाचार समिति के मातहत हो ताकि जनता और सरकारी कर्मचारी यह बात समझें कि भ्रष्टाचार समिति के सामने यह चीज जायगी और भ्रष्टाचार के सारे मामले उसके सामने पेश होंगे । जनता जब उसके सदस्यों के सामने शिकायत करेगी तो उस कमेटी के सामने जो इस तरह मामले पेश होंगे तो उनकी जांच होगी, उस पर सजा होगी । तो इसका एक अच्छा असर पड़ेगा । तो डी० एस० पी०, उसका स्टाफ और जनता का को-आर्डिनेशन इस तरह से हो ताकि भ्रष्टाचार निर्मूल हो सके । यह न हो कि जनता उनको पुलिस अधिकारियों की हैसियत से ही देखती रहे और उसका उन पर से विश्वास हट जाय और सोचे कि ये भ्रष्टाचार का निवारण क्या कर पायेंगे । दोनों का को-आर्डिनेशन करके इस प्रकार कदम उठाया जाय तो अधिक सफलता मिलेगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार के निवारण के लिये सरकार ने जो प्रयास का प्रथम चरण उठाया है उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन मेरा विचार है कि जिलों के अन्दर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को जिला कप्तान के मातहत कर देने से इस काम में रुकावट पड़ेगी । मुझे इस बात की जानकारी है, सदन में बहुत से सदस्यों को होगी और आपको तो होगी ही कि बहुत से पुलिस कप्तान ही भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं । मैं बहुत से पुलिस कप्तान के बारे में जानता हूं कि उनकी हर थाने से आमदनी बंधी हुयी रहती है और वह उनसे प्राप्त होती रहती है । ऐसी स्थिति में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि वे कभी भी सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते ।

दूसरी बात जो शिकायत लोग करें उसके सम्बन्ध में अधिकारियों को बताया न जाय वर्ना दिक्कत यह होगी कि कुछ दिन बाद शिकायत आना बन्द हो जायगा । क्यों ? इसलिये कि जिनके अन्दर हिम्मत ज्यादा होगी वे तो शिकायत करेंगे, साधारण लोग डर जायेंगे । इसलिये सरकार इस बात का ख्याल रखे कि जो लोग शिकायत करने वाले हैं उनके नाम पूरी जांच के बाद ही बतलाये जायं ।

तीसरे मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जांच केवल इसी बात पर न हो जब शिकायत आये । यह भी देखा जाय कि एक थानेदार की जो तनख्वाह होती है या किसी अधिकारी की जो तनख्वाह होती है, जितना एलाउन्स मिलता है, और जो कानूनी आमदनियां होती हैं उनके अन्दर वह कितना खर्च करता है और कितना बचा सकता है । इसका एक अन्दाजा हर आदमी को हो सकता है । अगर किसी की आमदनी २०० रुपये की है और उसके ठाट-बाट और रहने के तरीके इस प्रकार हैं जो बहुत ऊंचे हैं तो समझ लीजिये कि वह भ्रष्ट है । एक थानेदार मोटर साइकिल रखता है, और उसके घर पर तमाम ऐशो इशरत के सामान हैं तो यह कहां से आता है ? मेरे जिले में एक थानेदार को १० हजार की गैरकानूनी आमदनी एक साल में हुयी । नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि लेना उचित नहीं है, लेकिन मैं सरकार के ध्यान में लिखित ले आना चाहता हूं कि एक साल में एक थाने से एक थानेदार को १० हजार की आमदनी हो जाती है । तो इसके लिये चाहे कोर्ट आफ ला में साबित न हो सके लेकिन उसके ठाठ-बाट से, उसके रहन-सहन से, उसकी जायदाद और उसके बच्चों की पढ़ाई इस बात के लिये काफी हैं कि उस आदमी की नौकरी खत्म कर दी जाय । मैं समझता हूं कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर यह बात भी होनी चाहिये कि उनकी हालत का पता सी० आई० डी० के लोग प्राइवेट तरीके से लगायें कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से नाजायज आमदनी करते हैं । यह कोई मुश्किल नहीं है । अगर गुप्तचर घूमना शुरू करें तो पता लग सकता है । अगर पूरा पता न लगेगा तो कुछ लग सकता है । मैं समझता हूं कि केवल शिकायतें आने पर जांच हो, उसके अतिरिक्त इसका भी प्रयास हो और देखा जाय कि कौन आदमी भ्रष्ट है और यह उसके रहन-सहन के तरीके से पता लग सकता है ।

एक बात और है। पुलिस के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये या उसकी रोक और निवारण के लिये पुलिस का मुहकमा ही कायम कर दिया गया है। यह कुछ व्यावहारिक नहीं लगता। मैं माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य के उस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इसके लिये एक अलग डिपार्टमेंट हो जिसकी पुलिस को जानकारी न हो सके। अपने विभाग के आदमी को बचाने की परम्परा हमारे कर्मचारियों में चाहे वह छोटे हों या बड़े, काफी है। तो इस बचाने की मनोवृत्ति के कारण, जो बिलकुल ही पकड़ जायगा, चंगुल में आ जायगा, वही चाहे उसमें सजा पाये वर्ना इस बचाने की परम्परा में बहुत से कर्मचारी बचते रहेंगे। इसलिये सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिये।

जहां तक राजनीतिक पेंशनों का सम्बन्ध है मैं एक बात जरूर आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पेंशनों के देने में मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांतहीन पेंशनें दी जा रही हैं। किन को इसके अधीन जरूरत है, किसने अधिक सजा काटी है, किसकी बरबादी हुयी है, कौन इसका पात्र है इसका समझदारी से पालन नहीं हो रहा है। उसमें भी वही चीज हो गयी है जो नौकरियों में। जिसकी जितनी जबरदस्त और ऊंची पहुंच हो गयी, उसको मिल गयी। वही बात पेंशनों में भी हो गयी है। यह भी भ्रष्टाचार का केन्द्र बनता जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार एक सिद्धांत तय कर दे कि उसके मुताबिक जो लोग फिट होते हैं उनको दी जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी सप्लीमेंटरी डिमांड्स को बड़ी उदारता के साथ देखा और उन्होंने सुझाव भी बड़े रचनात्मक दिये हैं।

माननीय तिवारी जी ने पहाड़ के सिलसिले में कुछ जिक्र किया। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि पहाड़ों में भी कई प्रकार की समस्यायें नयी खड़ी हो गयी हैं। मैं एक बार दौरे पर गया तो कुछ माननीय सदस्यों और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भिन्न-भिन्न राज्यों के कुछ लोग यहां सैर करने के बहाने से आते हैं लेकिन राजनैतिक प्रचार करते हैं। उसके अलावा सरहद की भी समस्यायें हैं। दूसरी जगह के लोग भी पहाड़ में जाकर बसने लगे हैं। कुछ जुर्मों की भी समस्या बढ़ने लगी है और इसमें कभी-कभी आवश्यकता होती है कि जो नीचे के पुलिस के अधिकारी हैं उनको शीघ्र हिदायतें मिल सकें। इसलिये डी० आई० जी० के पद की बड़ी आवश्यकता को देखते हुये करना पड़ा।

रोस्ट्रम की बाबत तिवारी जी ने कहा। असल में यह रोस्ट्रम गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनवाये थे। हमने भी नमूने के तौर पर उनसे खरीद लिये हैं और चूंकि हम खरीद चुके हैं इसलिये पूरक अनुदान लाने की जरूरत पड़ी। कैम्प्स के सिलसिले में जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि जेल विभाग को पहले से अन्दाज लगाना चाहिये, अन्दाज तो लगाते हैं लेकिन कभी कभी कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे से ध्यान रखेंगे कि जहां तक हो सके पहले से अनुमान लगा लिया करें और पूरक मांगों में कम से कम रकम मांगा करें।

काटजू साहब ने हरिद्वार की बाबत कुछ जिक्र किया। उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुम्भ के मेले में जो हमको तजुरबा हुआ उससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और जैसा उनका सुझाव था हममें से किसी को जाकर वक्त देना चाहिये। हम वक्त भी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे और मैं माननीय काटजू साहब को दावत देता हूं कि उनको भी मौका मिले तो कभी चलें और सुझाव दें। माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने डी० एस० पीज० की नियुक्ति के सिलसिले में जो जिक्र किया कि उनके पास स्टाफ काफी होना चाहिये, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और उनकी नियुक्तियां होने के बाद जब वे अपना काम शुरू करेंगे, जिस तरीके से उनको स्टाफ की जरूरत होगी, वह हम देंगे। स्टाफ की वजह से या उन पर खर्च न करने की वजह से ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने पायेगी कि उनको रुकावट हो। एक बात उन्होंने कही कि

[श्री जगनप्रसाद रावत]

भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अभी रुका नहीं। तो यह तो देखने से मालूम होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या रुक रहा है जब जांच होगी तब हमको हर मामले में पता भी लगेगा और भ्रष्टाचार रोकने के लिये केवल भ्रष्टाचार समितियां या डी० एस० पीज० की नियुक्ति या और कोई सजा देने से ही दूर नहीं होगा। उसके लिये हमको और आपको मिलकर सभी में भावना पैदा करनी होगी जिसमें देशवासियों में ऐसे लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जो भ्रष्टाचार करते हैं और ईमानदार के प्रति आदर की भावना बढ़े। मेरे खयाल से सभी माननीय सदस्य इस ओर प्रयत्न करेंगे।

मौर्य जी ने जिक्र यह किया कि हमने डी०एस०पीज को मुकर्रर करके यह स्वीकार कर लिया है कि भ्रष्टाचार है और उसका हम निवारण करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता इसमें कौन सी नयी बात उन्होंने कही। भ्रष्टाचार के सिलसिले में कभी हमारी ओर से यह नहीं कहा गया कि हमारे यहां भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है। हां, जो अतिरंजित बातें कभी-कभी कही जाती हैं उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार किसी हद तक है और बराबर उसको रोकने की कोशिश भी करते रहे हैं। एक बात यह भी कही गयी कि पुलिस वाले जांच क्यों करें? उससे तो वे अपने विभाग के आदमियों को बचाते रहेंगे। लेकिन पिछले दिनों में जो बहुत से मामले हुये हैं उनको देखने से पता चलेगा कि पुलिस विभाग के लोगों ने पुलिस विभाग के लोगों के खिलाफ जांच की है और सैकड़ों और हजारों को सजा भी दिलवाई है और जो भ्रष्टाचार की शिकायत थी उनको दुरुस्त भी किया।

माननीय झारखंडेराय ने एक बात यह कही थी कि पोलिटिकल पेंशन के सिलसिले में जिसकी पहुंच हो जाती है उसी को पोलिटिकल पेंशन मिल जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि उसके फार्म्स होते हैं उसमें काफी तफसील होती है कि उसने कितनी सजा काटी, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, कितने उसके परिवार में लोग हैं, उसकी आयु क्या है, उसकी और भी कोई आमदनी का जरिया है या नहीं। इन सब बातों के बाद ही उसको पोलिटिकल पेंशन मिलती है। पोलिटिकल पेंशन में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है कि वह किस पार्टी का है। यदि प्रार्थी ने राजनीतिक आंदोलनों में परेशानी उठायी है, त्याग किया है तो उसको पेंशन दी जाती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पोलिटिकल पेंशन का मतलब यह नहीं है कि किसी ने भी राजनीति में काम किया हो चाहे देश के खिलाफ काम किया हो, चाहे विश्वासघात किया हो, केवल वह राजनीतिक रहा हो, तो ऐसे को पेंशन दें यह तो सम्भव नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने राजनीति में कार्य करते हुये देश की आजादी के लिये नुकसान उठाया है उनके साथ एकसा व्यवहार होगा और सहानुभूति का व्यवहार होगा। यदि माननीय सदस्यों को कोई इसकी शिकायत हो तो वे सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें और उस पर पूरा विचार करके उन्हें संतुष्ट करने के लिये कोशिश की जायगी। मैं अन्त में अनुरोध करूंगा कि सदन हमारे इन प्रस्तावों को स्वीकार करेगा।

* श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे कुछ ज्यादा तो निवेदन करना नहीं है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव में बहुत से विषयों पर काफी प्रकाश डालने की चेष्टा की। लेकिन कुछ विषयों पर पूर्णतः यदि प्रकाश डालते जितना कि डालना चाहिये था तो हम कुछ ज्यादा समझ पाते। तो मैं भी इस समय ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल पेंशन के सम्बन्ध में जो उन्होंने भावनायें व्यक्त की हैं करीब २ उनसे सहमत हूं। केवल एक ही बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि यह पेंशनों का प्रश्न इतना विषम हो गया है कि पेंशन मांगने वालों की संख्या इस बीच बहुत बढ़ गयी है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक जिले में यह सभी विधान सभा के सदस्यों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टियों के सामने एक विषम समस्या बनकर खड़ी हो गयी है कि किसे अब पेंशन के लिये अधिकारी माना जाय क्योंकि जितने भी जेल जाने वाले हैं वह सभी यह दावा कर सकते हैं और सही रूप में कर सकते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि साहब हमने भी इसमें हिस्सा लिया है और हमें क्यों न मिले। तो कोई एक नीति हो कि इतने बार जेल गये, या कोई भी हो, कोई इन्क्वायरी हो, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जांच कराना बहुत अपमानजनक मालूम पड़ता है और फिर उसमें व्यक्तिगत मत भी बहुत काम करता है, किसी ने कह दिया कि इनकी हालत अच्छी है, इनको नहीं मिलना चाहिये, किसी ने कह दिया कि नहीं इनकी हालत अच्छी नहीं है, इनको मिलना चाहिये, तो यह जांच का शब्द भी बड़ा रिलेटिव हो गया है। तीसरी बात यह है कि पहले जो राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में नीति थी, वह इस बीच बदल गयी। पहले जिन लोगों को पेंशन मिलती थी वह दस रुपया, पन्द्रह रुपया, २० रुपया मिलती थी। तो वह यह समझते हैं कि हमको तो पंद्रह बीस ही मिलता है और जो नये गये उनको किसी को ७५ मिल गया किसी को ५५, किसी को ५० मिल गया तो उससे एक वृथा जलन की भावना पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में वह जो एक सूची बनाने का प्रश्न था वह होना चाहिये। खुद सरकार एक रेकार्ड बनवाये। उसमें यह निश्चित कर ले कि इस-इस अवस्था के लोगों को इतनी पेंशन मिलेगी। यह पहले से ही निश्चित हो जाय और उसमें फिर इन्क्वायरी या जांच जो भी हो, वह उस सूची के आधार पर हो। इससे एम०एल०एज० को जो आज सिफारिशों में परेशानी हो रही हैं कि वह किसकी सिफारिश करें, किसकी न करें, वह उनकी परेशानी दूर हो सकती है और यह इस प्रकार की भावना भी समाप्त हो सकती है।

श्री जगनप्रसाद रावत---मैं तिवारी जी को इसके सिलसिले में कुछ स्पष्टीकरण कर दूं कि पेंशन के सिलसिले में हमने कैटीगरीज बनायी हैं कि जो तीन या चार बार जेल गया हो उसकी एक कैटेगरी, जो दो बार जेल गया हो उसकी दूसरी कैटेगरी और इसी तरह उनकी उम्र, उनकी आर्थिक अवस्था, उसके परिवार में कितने लोग हैं, इन सबका एक ढांचा बना रखा है, उसी हिसाब से उनको उनमें रखते हैं और उसी हिसाब से उनको पेंशन देते हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक : २८---जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीषक : २८---जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १,४२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक : २९---पुलिस, के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक : २९---पुलिस के अन्तर्गत १४,३८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५---प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चा तथा भत्ते---लेखा शीर्षक : ५४-क---प्रादेशिक तथा राज- नीतिक पेंशनें के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५---प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते---लेखा शीर्षक : ५४-क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनों के अन्तर्गत ९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक-५०---नागरिक निर्माण कार्य

न्याय मंत्री (श्री सैय्यद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक : २७---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ८०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक : ५०---नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ३८,२४,१००-रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रांट नम्बर १५ का तालुक है, माननीय सदस्य जानते होंगे कि गुजिश्ता बार जब बजट पेश हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की फीसों में जो कि बहुत कम थी कुछ इजाफ़ा कर दिया गया था और इसकी वजह से उसका जो अन्दाज लगाया गया था वह बजट में रख दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब साल भर का काम देखा गया तो यह मालूम हुआ कि कुछ मुकदमों में ज्यादती हुई है और कुछ चूंकि फ़ीस भी बढ़ गयी है लिहाजा उसकी वजह से भी जितना रुपया है वह काफ़ी नहीं है। इस वजह से कोई १,२३,२०० रुपये की उसमें कमी पड़ी थी जिसमें से तकरीबन ४२,९०० रुपये तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस की जो पूरी ग्रान्ट थी उसमें से जो बचत हुई है वह पूरी हो गयी है, लेकिन ८०,३०० रुपये की कमी अब भी है जिसके लिये यह मांग सदन के सामने पेश की गयी है ।

जहां तक दूसरी मांग का ताल्लुक है, उसमें तीन आइटम्स अलग-अलग हैं । पहला यह है कि एक नोटिफ़ाइड एरिया कमेटी है रुदौली की । इसकी सड़कों की हालत निहायत बुरी और बहुत खराब हो गयी है और यह बाराबंकी जिले की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर मेले वगैरह भी होते हैं और वहां की सड़कों की हालत की दुरुस्तगी की कोई सूरत नहीं थी । इसलिये सरकार के पास इसके मुताल्लिक बहुत मांगें आयीं कई जगहों से, तो मुनासिब समझा गया कि वहां के लिये २५ हजार रुपये की ग्रांट मन्जूर की जाय। रुपया डिपार्टमेंट में मौजूद है और रिएप्रोप्रिएशन के जरिये यह रुपया मोहय्या किया जायगा । लिहाजा सिर्फ १०० रुपये की मांग इस सिलसिले में की गयी है ।

दूसरा आइटम जो ललिताराव दरिया है हरद्वार में उसके बांध के लिये रुपये की जरूरत है। तो कुम्भ मेला चूंकि हरद्वार में हो रहा है इसलिये यह जरूरत पड़ी कि इसको ठीक कराया जाय और इसको अभी फौरन दुरुस्त करा दिया जाय। उसमें करीब-करीब २ लाख ४९ हजार रुपये का खर्च है। उसमें से १ लाख २५ हजार रुपया तो अपने पास से देगा । इसलिये सरकार की तरफ से १ लाख २४ हजार रुपये की मांग की गई है । चूंकि जरूरत थी लिहाजा यह रुपया दे दिया गया है। इस वजह से यह ग्रांट सदन के सामने पेश की गयी है ।

तीसरी ग्रांट के लिये मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि अबकी दफा बहुत भहिया आयी और बारिश भी ज्यादा हुई। उसकी वजह से म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरियाज वगैरह को बहुत काफी हानि पहुंची है। तो हमने उनसे दरियाफ्त किया था कि इस बारिश की वजह से कितना नुक्सान हुआ। तो तकरीबन ७३,००,००० रुपये की मांग हमको मुख्तलिफ लोकल बाडीज से आयी।

हम इतना ज्यादा रुपया तो नहीं दे सकते थे। लिहाजा उसको हमने कम करके यह मुनासिब समझा कि कम से कम ३७ लाख रुपये का इंतजाम उनके लिये जरूर करना चाहिये। इसमें से तकरीबन १३-१४ लाख रुपया हमको केंद्रीय सरकार से मिल जायगा और बाकी रुपया हमको अपने पास से देना है। तो इसके लिये तीसरी मांग पेश की गयी है।

मैं यह अर्ज करूंगा कि ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं और माननीय सदस्य इनको मंजूर करने की मेहरबानी फरमायेंगे ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५ के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३ के अधीन २५,००० रुपये की कमी कर दी जाय।

श्रीमन्, जहां तक अनुदान संख्या १५ का प्रश्न है यह सरकारी वकीलों की फीस में वृद्धि होने के कारण अनुदान मांगा गया है। इस संबंध में मैं एक विशेष पंक्ति की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा है कि मंत्री स्वयं इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की स्थिति का पता चलता है। इसमें लिखा है कि "वर्ष के प्रथम आठ महीनों में फौजदारी के मुकद्दमों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है, परिणामतः फौजदारी के सरकारी वकीलों की फीस में भी असाधारण वृद्धि हो गई है।" यानी फौजदारी के मामले अपने प्रदेश में असाधारण रूप से हो रहे हैं। इस अनुदान का मांगा जाना ही इसका प्रमाण है .....

श्री सैयद अली जहीर---इसमें खाली फौजदारी लिखा है या दीवानी फौज दारी दोनों हैं ? आप अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिये। इसमें लिखा है कि:---

"Expenditure on account of fees to Dist. Govt. Counsel in criminal cases"

श्री अध्यक्ष---इसमें लिखा है कि "फौजदारी एवं दीवानी के· · · ·"

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, यह तो साधारण तौर से लिखी गई है आप इसकी दूसरी पंक्ति देखने की कृपा करें। जो सही सेंटेंस है वह आगे है।

श्री सैयद अली जहीर---मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गलती से "सिविल" लफ्ज रह गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सरकार अगर एक आध गलती मंजूर कर ले तो कोई नुक्सान नहीं होता है। आप मान लें कि प्रदेश में फौजदारी मुकदमें बढ़े हैं। पहले जो सरकारी वकीलों की फीस थी उसमें १,२३,२०० रुपये की वृद्धि हुई है जो दुगने से ज्यादा है। मैं कटौती का प्रस्ताव इसलिये दे रहा हूं कि अपने यहां फौजदारी के मुकद्दमों में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिये, इसलिये सरकार को चेतावनी दी जाय। यह सरकारी नीति पर स्पष्ट आक्षेप है जिसे सरकार ने स्वयं माना है।

जहां तक दूसरे अनुदान का प्रश्न है वह अनुदान संख्या ३३ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिये मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस अनुदान के अन्तर्गत ३८,२४,१०० रुपये की पूरक मांग है और मरम्मत के लिये २५,००० रुपये की मांग का सवाल है। यह ऐसी मांग है जिसको फाइनेंस कमेटी ने नामंजूर कर दिया था। फाइनेंस कमेटी के डिसीशन्स कांफीडेंशल नहीं होते और उसकी प्रोसीडिंग्स कांफीडेंशल होती हैं। मैं फाइनेंस कमेटी का सदस्य हूं जो हाउस की स्टैंडिंग कमेटी है और कमेटीज की रिपोर्ट हाउस के सामने आती है लेकिन फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट क्योंकि बजट से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

संबंध रखती है इसलिये बजट से पहले की उसकी रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती है उसके अन्दर जो प्रोसीडिंग्स छपी हुई रखी जाती है वह हाउस के सामने नहीं आती है इसलिये कि उनकी गोपनीयता बनी रहे। अब फाइनेंस कमेटी जो है वह कैबिनेट के पहले ही आइटम्स को एप्रूव करती है या डिस्एप्रूव करती है। तो अभी तक यह तरीका रहा है कि फाइनेंस कमेटी ने भी जो अनुदान अस्वीकार किये हैं उनको कैबिनेट ने या सरकार ने फिर अपने बजट में नहीं रखा है। यह पिछले कई सालों से लगातार होता रहा है। जिस आइटम को सरकार और मंत्रिमंडल जरूरी समझता है उसके बारे में दुबारा नोट लिख कर कमेटी के सामने आता है कि यह जरूर मंजूर होना चाहिये। तो फाइनेंस कमेटी उस पर दुबारा और तिबारा विचार करती है और कई बार ऐसा मौका आया है कि फाइनेंस कमेटी ने विभाग के जोर देने से या सरकार के विशेषरूप से कहने से उस आइटम को दुबारा मंजूर किया है। तो यहां पर यह आइटम है नोटीफाइड एरिया, रुदौली की सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिये सहायक अनुदान देने का, जिसके लिये २५,००० रुपया दिया गया है। मैं नहीं कहता कि उसको रुपया नहीं मिलना चाहिये। आप उसे २५,००० क्या ५०,००० दें, हमें सामान्यतया कोई एतराज नहीं। प्रश्न केवल इतना है कि नोटीफाइड एरिया प्रदेश में लगभग २५० के हैं कुल मिला कर नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया, तो टाउन एरिया का रुपया डाइवर्ट किया जाय नोटीफाइड एरिया के लिये। टाउन एरियाज में बहुतों की सड़कों की दशा शोचनीय है और उनमें हो रुपया खर्च नहीं किया गया है इसलिये फाइनेंस कमेटी ने यह निश्चय किया कि टाउन एरिया का रुपया नोटीफाइड एरिया में डाइवर्ट करना उचित नहीं है और इसलिये आप नियतरूप से रुपया मांगें नोटीफाइड एरिया के लिये, फाइनेंस कमेटी उसको मंजूर कर देगी। लेकिन टाउन एरिया में रुपया न खर्च किया जाय और वह रुपया नोटीफाइड एरिया को डाइवर्ट कर दिया जाय, यह उचित न समझ कर, इस सिद्धांत पर फाइनेंस कमेटी ने यह निश्चय किया कि रुदौली नोटीफाइड एरिया से सहानुभूति होते हुये भी वह इस मद को एक मत से नामंजूर करे। और आप जानते ही हैं कि फाइनेंस कमेटी का सदर मिनिस्टर ही हुआ करता है। उस दिन एक मिनिस्टर साहब ही मौजूद थे, जो कैबिनेट के प्रतिनिधि के रूप में थे। वह जानते थे कि हम वहां पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं बैठते हैं। हम केवल बजट मैनुअल के नियमों के अनुसार यह देखते हैं कि आया इस्टीमेट सही है या गलत है। इसके पीछे जो पालिसी है वह सही है या नहीं। इसी के आधार पर हम एप्रूव या डिस्एप्रूव करते हैं।

यह मान लें कि हमारा निश्चय गलत था तो सरकार को यह चाहिये था कि बजाय फाइनेंस कमेटी की सिफारिशों को ठुकराये या वह इसको बजट में शामिल कर ले, वह एक बार फाइनेंस कमेटी को और मौका देती। परसों शाम तक फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई है। उसके पहले तक उसको यह कहा जा सकता था कि यह कैबिनेट की राय है और यह तथ्य पहले आपके सामने नहीं थे इसलिये आप इस पर फिर विचार करें और मैं समझता हूं कि फाइनेंस कमेटी इसको स्वीकार करती और इसको मंजूर करती। लेकिन आज यह पहली बात फाइनेंस कमेटी की सिफारिशों को ठुकराया जा रहा है और उन्हें ठुकरा कर आइटम रखा जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की मर्यादाओं को देखते हुये, फाइनेंस कमेटी की मर्यादा को देखते हुये इस २५,००० रुपये में कटौती अवश्य होनी चाहिये और मैं श्रीमन्, आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी के अधिकारों की सुरक्षा बहुत कुछ आपके हाथों में है, आप भी अपनी ओर से पूछने की कृपा करें कि ऐसा क्यों हुआ। यह ठीक है कि फाइनेंस कमेटी एडवाइजरी कमेटी है, लेकिन उसकी एडवाइस आज तक ठुकराई नहीं गई। आखिर कैबिनेट भी तो एडवाइजरी बाडी है। कांस्टीट्यूशन में है कि वह गवर्नर को एडवाइस करेगी, लेकिन सारा काम कैबिनेट करती है गवर्नर के नाम से और जब इमरजेंसी आती है तो गवर्नर इमरजेंसी इस्तेमाल करता है, भंग करता है मंत्रिमंडल को या असेम्बली को भंग कर सकता है। तो ऐसी इमरजेंसी रुदौली के मामले

में नहीं थी। जब कोई इमरजेंसी नहीं है, एक साधारण बात है तो मैं समझता हूं कि सदन की शान और फाइनेंस कमेटी की शान को रखने के लिये सरकार इस कटौती को स्वीकार कर ले। इसका नतीजा यह होगा कि भविष्य में इस तरह की बातें नहीं होंगी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये इस बात पर जरा खेद प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने सदन के सामने फाइनेंस कमेटी की प्रोसीडिंग्स रखने का चेष्टा की। श्रीमन्, आप मुझे क्षमा करेंगे शायद उन्होंने यह ठीक नहीं किया। फाइनेंस कमेटी में बहुत से मामले पेश होते हैं और उन मसलों पर काफी विचार-विमर्श किया जाता है। फाइनेंस कमेटी की प्रक्रिया कभी सदन के सामने इसलिये नहीं आ सकती कि वहां बजट की बहुत सी मदों पर केवल परामर्श दिया जाता है। शायद उनको यह भी मालूम है कि स्टैंडिंग कमेटीज की कार्यवाहियां सदन के सामने नहीं आती हैं। माननीय न्याय मंत्री को भी यह मालूम होगा कि एल० एस० जी० कमेटी की कार्यवाही सदन के सामने नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष--मैं आपका ध्यान नियम १६२ की ओर दिलाऊंगा। जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है

"The discussions of the Finance committee shall not be disclosed any member nor shall any reference to such discussions be made in the House provided the decisions of the Committee shall not be regarded as confidential."

डिसीजन्स के बारे में उसमें साफ लिखा हुआ है कि वह कांफीडेंशल नहीं होंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं डिसीजन्स के बारे में नहीं कह रहा हूं। जो कुछ उन्होंने कहा उसी के बारे में मैं कहना चाहता था। उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमेटी ने किन्हीं मदों के बारे में स्वीकृति नहीं दी। यह सही है। मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर नहीं हूं लेकिन मैं इतना जिक्र कर दूं कि कुछ मदों पर फाइनेंस कमेटी विचार करके उनको स्वीकार नहीं करती है। फाइनेंस कमेटी की अपनी एक कैपेसिटी होती है और उसी कैपेसिटी में वह बहुत से मसलों पर विचार करती है, कुछ खर्चों को वह उचित समझती है और कुछ को उचित नहीं समझती। लेकिन वह एक एडवाइजरी बाडी है और कैबिनेट को उसके बारे में फैसला करने का अधिकार है। वह उसकी राय माने या न माने यह अधिकार उसे पूर्णरूप से है। यही मैं माननीय नारायणदत्त जी से निवेदन कर रहा था। उन्होंने गत वर्ष भी उसके बारे में आपसे निवेदन किया था और इस बारे में पूछताछ भी की थी और शायद उनको इस बारे में संतोषजनक उत्तर भी मिल गया था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब आप स्वयं प्रोसीडिंग्स में जा रहे हैं। आपको केवल उसके डिसीजन्स सामने रखने हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मैं डिसीजन्स के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं कि फाइनेंस कमेटी एक एडवाइजरी बाडी है और गवर्नमेंट उसके निर्णयों के बारे में फैसला करती है कि आया उस खर्च को करना जरूरी है अथवा नहीं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि इसमें सदन या फाइनेंस कमेटी की अवज्ञा हुई है। इस प्रकार से किसी भी एडवाइजरी बाडी के सुझावों को न मानना सदन की अवज्ञा करना नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना अवांछनीय है।

सिविल एंड क्रिमिनल केसेज के बारे में भी यहां बहुत कुछ कहा गया। पहले यहां जो न्याय प्रणाली थी वह बहुत ही दोषपूर्ण थी। केसेज बहुत पेंडिंग रहते थे। उसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत से आदेश जारी किये हैं। इससे काम में बहुत वृद्धि हो गयी है। न्याय विभाग की तरफ से काफी इंसट्रक्शन्स पेंडिंग केसेज के फैसला करने के लिये

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

गये हैं। इससे सिविल जजेज के पास बहुत काम हो गया है और यह सरकार के लिये प्रशंसनीय है और इस तरह से मैं समझता हूं जल्दी ही अधिकांश वेंडिंग केसेज का फैसला हो सकेगा और मैं इस बात की दाद दूंगा। निश्चय ही गवर्नमेंट को अधिकार है कि बहुत से सुझाव जो माननीय सदस्य देते हैं वह उन की छानबीन करे और देखे कि उनकी कहां तक जरूरत है और किस चीज को माना जा सकता है या नहीं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जो तर्क माननीय सदस्य ने दिये उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मान्यवर, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि स्पीडी जस्टिस परमावश्यक है लेकिन क्या इस पर भी कभी उन्होंने गौर किया है कि यह केवल गवर्नमेंट के डिलेटरी टैक्टिक्स हैं जिससे यह सब हो रहा है। जहां तक स्पीडी जस्टिस का ताल्लुक है वह तो इसका एक पहलू है। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि केसेज में वृद्धि हो रही है लेकिन मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नम्बर में वृद्धि होना एक दूसरी वस्तु है और स्पीडी डिस्पोजल दूसरी चीज है। उन दोनों चीजों में भ्रम करना उचित नहीं है, कुछ भ्रम के वातावरण में पड़कर ही उनको बहुत सी बातों में फर्क मालूम हो रहा है या वह जानबूझकर इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं जो कि इस स्थान पर समुचित नहीं प्रतीत हो रहा है। मान्यवर, यही नहीं जहां तक मुकदमों में आम तौर से वृद्धि हुई है वह भी अपनी जगह किसी चीज की द्योतक है गोकि उसके लिये भी सरकार को देखना चाहिये कि समुचित उसका कारण क्या है।

कुछ मुकदमों की बात उठाई गई, आप के द्वारा मैं श्री परिपूर्णानन्द जी को बताऊंगा कि पुराने मुकदमें अगर वह समझते हैं तो इसमें भी उनको कुछ भ्रम मालूम होता है कि इस तरफ मुकदमेबाजी कुछ बढ़ती हुई नजर आती है, यह क्यों बढ़ी इस पर भी गौर किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मुकदमे जो कि दीवानी में नहीं आने चाहिये और जो कि महज एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही या कानून को ठीक से समझने की कमी के कारण से आये हैं। इस चीज को रोकना चाहिये जिससे दीवानी और फौजदारी में सरकारी धन जरूरत से ज्यादा व्यय न हो। दूसरे आइटम्स के लिये समय कम न हो इसलिये इसको मैं छोड़ देता हूं।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने बाढ़पीड़ित जिलों में जो लोकल बाडीज हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिये प्रयत्न किया है। वह सराहनीय है। लोकल बाडीज में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड हैं उनसे कहा गया है कि आधा रुपया वह स्वयं करें और आधा सरकार देगी और उनका यह खयाल है कि नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया इस बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं लिहाजा उनको पूरे तौर से मदद दी जाय और उनको पूरा सर्फा दिया जाय। मैं आपके द्वारा उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें कि लोकल बाडीज जो आज आप के पूर्वी जिलों में हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो वाकई आप का आधा रुपया अपना आधा रुपया लगाकर काम में ला सकते हैं। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं और उसका कृतज्ञ भी हूं लेकिन क्या वह इस रुपये का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे, क्या उनकी ऐसी हार हालत है? श्रीमन्, मैं जानता हूं कि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपने रुपया दिया है लेकिन उनके पास फंड की न्यूनता के कारण वह रुपया फिर भी सरेंडर हो जायगा और कभी जिस मकसद से वह रुपया दिया गया था वह पूरा नहीं हो सकेगा। यह गम्भीर प्रश्न है जिस पर वे सोचें और जितनी अधिक से अधिक आर्थिक सहायता लोकल बाडीज को पहुंचा सकें, यह वक्त की पुकार है कि सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—जनाब वाला, जहां तक न्याय विभाग का ताल्लुक है मैंने अपनी इब्तिदाई तकरीर में यह अर्ज किया था कि हमने चूंकि उन लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं इस से ज्यादा रकम बजट में रखी गई है उसकी वजह से ज्यादती या कमी हो गई है। बहरहाल नोट में यह लिखा है कि काम बढ़ गया है। मुमकिन है यह भी वजह हो, कितना बढ़ा है कितना दीवानी के मुकदमों की और कितने फौजदारी के मुकदमों की तो यह चीजें तो ऐसी हैं जिसको जब कभी भी कोई माननीय सदस्य चाहें मुझसे दरयाफ्त करके मालूम कर सकते हैं। इसकी फिगर्स बनती है। ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की रिपोर्ट आई है और अभी थोड़े ही दिनों में बजट का डिस्कशन होने वाला है यह रिपोर्ट होगी तो मालूम हो जायगा कि कितने मुकदमे बढ़े हैं। अब यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि मुकदमें इतने बढ़ गये इसलिये इसका लाजिमी नतीजा यह है कि क्राइम पोजीशन अपने सूबे को बहुत खराब है या उसमें बेहतर नहीं हो रही है। बहुत सी सूरतें होती हैं। जिस वक्त क्राइम होता है उस वक्त मुजरिम पकड़ा नहीं जाता इसलिये मुकदमा चल नहीं सकता लेकिन जब ज्यादा सख्ती की जाती है तो उतने ही ज्यादा मुकदमे चलते हैं। ज्यादा तफतीश होती है। तो इसके कई पहलू होते हैं। "मुकदमे बढ़ गये हैं इसलिये क्राइम पोजीशन खराब है" ठीक नहीं है। बहुत से पहलू हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट सामने है जिसमें साफ-साफ लिख दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह नतीजा निकाला जाय कि गवर्नमेंट किसी चीज को छिपाने की कोशिश करती है।

जहां तक दूसरी मांग है उसमें दो एतराजात मालूम होते हैं। पहला तो यह है कि फाइनेंस कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था तो फिर गवर्नमेंट ने क्यों इसे मंजूर कर लिया। इसके माने तो जैसा मेरे भाई परिपूर्णानन्द जी ने कहा यही हो सकते हैं कि उस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला जो कर दिया गवर्नमेंट किसी हालत में उसके खिलाफ नहीं जा सकती। खुद ही माननीय सदस्य ने तसलीम किया कि अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस पर फैसला कमेटी का हो गया हो और गवर्नमेंट ने उसको न माना हो। तो यह ऐसी चीज है कि अगर एक दफा ऐसा फैसला बदला है तो मुमकिन है कुछ बात हो। यह एडवाइजरी बाडी है कोई ऐसी बाडी नहीं है जो आखिरी फैसला करती है और उसके बाद गवर्नमेंट को अख्तियार ही नहीं है कि उसको बदल सके। दूसरी शिकायत मेरिट्स पर है। मुमकिन है कि फाइनेंस कमेटी की कार्यवही अगर ठीक तरह से होती तो हम दोबारा उस पर गौर करते।

श्री अध्यक्ष—फाइनेंस कमेटी ने क्या किया है उसकी ब्योरे की बात यहां नहीं कही जा सकती।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि कल इस पर एतराज हुआ जब बजट पेश हुआ कि बहुत से ऐसे आइटम्स हैं कि जिन पर फाइनेंस कमेटी ने गौर नहीं किया। उसे तो आप जानते हैं कि वह बात इस हाउस में आ चुकी है जिससे मालूम होता है कि क्या सूरत वहां हुई। कुछ आइटम्स ऐसे थे जो मजबूरन गवर्नमेंट को लाने पड़े हाउस में बिना फाइनेंस कमेटी में पेश किये हुए। इस सिलसिले में मैंने अर्ज किया वह चीज ऐसी नहीं है जो राज में हो या जाहिर न हुई हो। बहरहाल वह अलग चीज है।

जहां तक नोटीफाइड एरिया की मदद करने का सवाल है नोटीफाइड एरियाज के लिये कोई अलग रुपया नहीं था। नोटीफाइड एरियाज हमारे बहुत कम हैं लेकिन टाउन एरियाज बहुत ज्यादा हैं। टाउन एरियाज के लिये रुपया था और नोटीफाइड एरियाज के लिये कोई रुपया नहीं था। बाज-बाज नोटिफाइड एरियाज जिनकी बहुत बुरी हालत थी जो रुपया टाउन एरियाज के लिये था उसमें से उन्हें दे दिया और यह सोचा कि इन टाउन एरियाज को जो रुपया हम अगले साल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से उनकी हम मदद करेंगे। ऐसी

[श्री सैयद अली जहीर]

सूरत से यह सोचा गया कि ये नोटीफाइड एरियाज जिनकी हालत बहुत अबतर है ये भी मुस्तहक हैं कि उनकी मदद की जाय। इसीलिये एक नोटीफाइड एरिया जिसकी हालत बहुत अबतर हो गई थी, जिसके पास जराय व वसालय नहीं थे अपनी सड़कों को दुरुस्त कर सकने के लिये, उसको २५ हजार की मदद हमने दे दी। इसमें कोई गैर मालूमी बात नहीं है और गवर्नमेंट ने जरूरी समझा कि नोटीफाइड एरियाज की भी मदद की जाय। इस तरह से गवर्नमेंट ने इस रकम को जरूरी समझ कर मंजूर किया और इसीलिये इसको इसमें रक्खा गया है। मेरे खयाल में कोई वजह इस पर एतराज करने की नहीं होनी चाहिये।

एक सवाल यह भी उठाया गया कि गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज से यह कहा है कि जो मदद हम देते हैं उतना ही रुपया तुम अपने पास से लगाओ तब जाकर हमारी जो ग्रान्ट है उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी वजह खुली हुई यह है कि जो गवर्नमेंट ग्रान्ट देती है तो इसलिये देती है कि जो उनके फरायज हैं वे अपने फरायज अन्जाम दें और उसके मातहत अपने यहां की सड़कें, इमारतें जो हों, उनकी मरम्मत करावें लेकिन अगर रुपया नाकाफी हो तो गवर्नमेंट फिर उनको मदद देती है। हम मदद देते हैं ताकि वे अपने यहां के कामों को पूरा कर सकें। यह मतलब नहीं होता कि अपना रुपया ग्रान्ट मिलने पर वे गैर जरूरी कामों में खर्च करदें और महज गवर्नमेंट ग्रान्ट पर जरूरी कामों के लिये इत्मीनान कर लें। सड़कों की मरम्मत करना या इमारतों को ठीक करना यह लोकल बाडीज की प्राइमरी ड्यूटीज हैं इसलिये यह शर्त लगा दी है कि उतना ही रुपया वे अपने पास से भी लगावें लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज या नोटीफाइड एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी जो आमदनी होती है, उसको वे सही तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरी अखराजात पर खर्च कर रहे हैं और उनके पास इतना रुपया नहीं बच पाता कि जितना रुपया हमने ग्रान्ट में दिया है उतना रुपया वे अपने पास से भी लगा सकें सड़क बनवाने में या इमारत बनवाने में। तो ऐसी हालत में हम एग्जेम्पशन भी दे देते हैं। और इस तरह से अलग-अलग इंडिविजुअल केसेज को हम एग्जामिन करते हैं। लेकिन जनरल रूल यही है कि जितना रुपया हम ग्रान्ट में देते हैं उतना ही रुपया वे भी लगावें। मेरे खयाल में यह कोई गलत बात नहीं है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने माननीय न्याय मंत्री जी का वक्तव्य विशेष रूप से जो फाइनेन्स कमेटी के अधिकारों के सम्बन्ध में था उसको ध्यानपूर्वक सुना। मुझे बहुत दुख है यह जान कर कि माननीय न्याय मंत्री जी ने अपने विचार स्पष्ट करने की कृपा नहीं की। आखिर यह फाइनेन्स कमेटी ही ऐसी कमेटी है जिसको बजट मैनुअल में भी स्थान प्राप्त है, जिसको हमारे नियमों में भी स्थान प्राप्त है और जो दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज से भिन्न प्रकार की स्टैंडिंग कमेटी है और जिसकी रिपोर्ट भी हाउस के सामने नहीं आती और ऐसी कमेटी जो वर्षों से इस सदन में कार्य कर रही है और जो कि सबसे पहली कमेटी इस सदन की है और अंग्रेजों ने भी पहली बार अपने नियंत्रित करने के लिये कोई कमेटी बनाई तो यह फाइनेन्स कमेटी ही थी जिसके जरिये उन्होंने अपने वित्तीय कंट्रोल को नियंत्रित किया। तो उस कमेटी के महत्व को हम को कह कर कि वह केवल एडवाइजरी बाडी है, इस तरह कम कर दें ठीक है उसका नाम एडवाइजरी बाडी है, लेकिन बजट मैनुअल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक आइटम आफ एक्सपेंडीचर जो पाँच सौ रुपये से ज्यादा का रेकरिंग और २ हजार ५ सौ से ज्यादा का नान-रेकरिंग हो, वह फाइनेंस कमेटी के सामने जरूर आयेगा। दूसरी बात यह है कि इस कमेटी के चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और इसके सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, फाइनेंस हैं। अगर कोई गल्ती होती है, निश्चय में तो कमेटी में फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेन्स सेक्रेटरी मौजूद रहते हैं और अंडर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, होते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस समिति में ये सब मौजूद हों, और उसके निश्चय हों, तो उनको बिना फाइनेंस कमेटी के सामने दोबारा लाये हुए उस निश्चय को बदल दिया जाय, मैं यह नहीं कहता कि सदन का कंटेम्प्ट हो गया है, मैं तो यह कहता हूं कि सदन का यह खुद यह सबसे बड़ा निश्चय है। जब बजट सामने आ जाता है तो एक रुपये की कटौती नहीं कर पाता। अगर स्वयं माननीय मंत्री जी चाहें तो एक रुपये की कटौती नहीं हो सकती। निजी रूप से माननीय मंत्री जी मानते हैं कि यह उसमें गलत बन गया है लेकिन चूंकि बजट में सम्मिलित हो गया है इसलिए कोई कटौती नहीं होगी। बाद में देख लिया जायगा। तो इस सदन का अधिकार कहां है ? हम एक रूपये को कटौती यहां नहीं कर पाते, बहुमत के कारण। सदन ने एक कमेटी फाइनेंस कमेटी बनायी है जिसको अधिकार है कि कटौती करे। फाइनेंस कमेटी केवल ऐडवाइजरी बाडी बतायी जा रही है। क्या फाइनेंस कमेटी अगर यह सलाह दे कि इसमें इतना अनुदान बढ़ा दिया जाय तो क्या वह ऐसा कर सकती है ? नहीं कर सकती है। फाइनेंस कमेटी केवल कटौती की सिपारिश कर सकती है, बढ़ाने की सिपारिश नहीं कर सकती। वह बजट मैनुअल पर चलती है। इसलिए फाइनेंस कमेटी की रिफारिसों को मैंडेटरी माना गया है, क्योंकि फाइनेंस कमेटी द्वारा सदन कटौती करवा सकता है। हाउस आफ कांमस में इसे न्यु एक्सपेंडीचर कमेटी के नाम से पुकारा जाता है और सदन ही सारी कमेटी के रूप में माना जाता है। इसलिए वहां फाइनेंस कमेटी नहीं है। हमारे यहां सदन में वोट आन अकाउंट्स की प्रणाली नहीं है। हाउस कमेटी का रूप ग्रहण नहीं करता। इसलिये यहां फाइनेंस कमेटी का महत्व बहुत है और जो महत्व उसको दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। मैं आप की भी व्यवस्था चाहूंगा। मैं कमेटी में रहूं या न रहूं, कोई सदस्य विशेष उसमें रहें या न रहें, लेकिन भविष्य में तो न हो कि इस प्रकार की सदन की एक प्रमुख कमेटी जिसका प्रत्येक निर्णय आज तक मान्य रहा, माननीय मंत्री जी एक भी ऐसा उदाहरण दें जब से यह फाइनेंस कमेटी बनी है उसका एक निश्चय भी ठुकराया गया हो। फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं जो कि १९२७ से हाउस के मेम्बर हैं, और मेम्बर कई बार रह चुके होंगे। इसलिए मैं बहुत पुरजोर शब्दों में और निश्चयात्मक शब्दों में कहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस निश्चय को वापस लें और २५ हजार की कटौती को अवश्य स्वीकार कर लें। और मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा अगर माननीय मंत्री जी ठुकरा दें। आप इस सम्बन्ध में थोड़ा समय दे कर शाम को रूलिंग देने की कृपा करेंगे कि आया इसमें क्या मर्यादा होनी चाहिए। यह भविष्य में एक परम्परा निर्धारित करने का भी प्रश्न है।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ताज्जुब है। नारायणदत्त जी एक कानूनी आदमी हैं। उन्होंने एक ऐसी बहस उठायी जिसमें कोई गुंजाइश बहस की नहीं है। हाफिज जी कहते हैं कि कानूनी आदमी नहीं है, मैं तो समझता हूं कि हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना सही है।

श्री सैयद अली जहीर—मैं यह अर्ज करूंगा कि आपने फायनेंस कमेटी में फैसला किया गवर्नमेंट ने नहीं माना। लेकिन अल्टीमेट बाडी जो मानने, न मानने वाली है, वह कौन है ? वह सदन ही है। आप बहस कर सकते हैं कि फाइनेंस कमेटी ने इसको पास नहीं किया था इसलिए सदन न माने। लेकिन अल्टीमेटली जो एक-एक पैसा खर्च होता है वह सदन की मंजूरी से होता है। जो फाइनल बाडी, कमेटी ऐसी हो गयी है कि हमको यह अख्तियार भी नहीं है कि सदन के सामने जो उस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है उसको पेश भी न कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि वह कौन से मानी लगा रहे हैं। न यह इसका मतलब हो सकता है कि अगर यहां रिजेक्ट हो जाय तो उसको हम खर्च कर दें। या यहां का जो फैसला हो उसको हम डिसरिगार्ड करें। तो उसके ऊपर हम फैसला कर सकते हैं। लेकिन ऐडवाइजरी कमेटी ने ऐडवाइस किया

[श्री सैयद अली जहीर]

कि यह आइटम हम नहीं पसन्द करते हैं तो उसे हमने किसी खास वजह से नहीं मंजूर किया। तो यह बहस करना कि वह हाउस में नहीं आ सकता तो इसके माने यह है कि हाउस को यह पावर नहीं है कि फाइनेंस कमेटी के निर्णय को ओवर रूल कर सके। जाहिर है कि यह माने नहीं हो सकते हैं। और जहां तक इसका ताल्लुक है यह तो कन्वेंशन चला आता है कि फाइनेंस कमेटी की रिकमेन्डेशंस जो रीजनेबिल होती हैं और ज्यादातर रीजनेबिल ही होती हैं, उसको हम मान लेते हैं। और अगर हमको जरूरत होती है बदलने की तो फिर फाइनेंस कमेटी से मश्विरा कर लेते हैं। लेकिन इसके यह माने लगाना कि आप उस आइटम को हाउस के सामने ला ही नहीं सकते, यह मेरे ख्याल से गलत है।

यह भी कहना ठीक नहीं कि गवर्नमेंट ने कभी डिफर ही नहीं किया कमेटी की राय से। मेरे कुलीग बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कई मर्तबा फाइनेंस कमेटी की राय को नहीं माना है। अब की दफा ३६ आइटम्स थे उसमें से ३२ को गवर्नमेंट ने ऐकसेप्ट कर लिया और ४ आइटम्स को हमने ऐसा समझा कि वे हाउस के सामने आना चाहिये, गलत तौर से फाइनेंस कमेटी ने रिजेक्ट किया। तो यह पावर अगर गवर्नमेंट से ले ली जाय तो माने यह है कि बजाय इसके कि केबिनट गवर्नमेंट चलाये, फाइनेंस कमेटी हुकूमत को चलाये। वही तय कर दिया करे कि यह आइटम रिजेक्ट हो गया यह हाउस में नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में यह माने इसके बिलकुल नहीं हैं और यह इतनी स्पष्ट बात है गालिबन माननीय सदस्य ने कांस्टीट्यूशनल तरीके से इस पर गौर नहीं किया। सिर्फ विरोधी दल के सदस्य की हैसियत से गौर किया।

(श्री नारायणदत्त तिवारी के उठने पर)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठता। कल इसके सम्बन्ध में मैं फैसला दे चुका था कि वैधानिक प्रश्न वह बिलकुल नहीं है। सिर्फ प्रश्न इस बात का है कि तरीका क्या होना चाहिये कि अगर एक दफा कमेटी नामंजूर कर दे तो फिर से कमेटी में जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये। लेकिन अगर नहीं गया तो आखिरी फैसला तो सदन करेगा। ऐडवाइजरी का मतलब ही यह है कि वह सलाह देने वाली समिति है और अगर उसने किसी आइटम को रिजेक्ट कर दिया तो इसके माने यह नहीं हैं कि गवर्नमेंट यहां सदन में उस आइटम को ला ही नहीं सकती है। आप गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह ऐसे मसले यहां ला ही नहीं सकती है। और जब लायेगी तो सदन को निर्णय देने को पूरा अधिकार है। अगर वह समझता है कि सही क्या है तो उसको स्वीकार कर ले, यह सदन का अधिकार है। ऐसे मामले वैधानिक नहीं हो सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं केवल नियमों का स्पष्टीकरण चाहता था कि जो परम्परा पहले से स्थापित है कि फाइनेंस कमेटी के सामने दुबारा जाता है.....

श्री अध्यक्ष—यह सदन की परम्परा का सवाल नहीं है। अगर उसकी परम्परा का सवाल होता तो मैं फैसला करता। यह तो एक कमेटी की प्रथा के बारे में है कि वह ऐडवाइस करे और जिसको उचित समझे पास करे जिसको न समझे पास न करे या बगैर पास किये हुए भी सरकार कोई मद बजट में रख दे। बजट में किसी मद को लाने का वैधानिक अधिकार जो संविधान में दिया हुआ है वह केवल गवर्नमेंट को है और अन्य किसी को नहीं है। और जब सदन में बजट आता है तो उस पर विचार करके सदन जिस मद को समझे अनुचित है उसको रिजेक्ट कर दे। आपकी कटौती का मोशन है सदन भी समझे कि सरकार ने ठीक नहीं किया तो उसको अस्वीकार कर सकता है। लेकिन आप वैधानिक प्रश्न नहीं उठा सकते कि कोई मद बजट में क्यों रखी गयी।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ८०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत २५,००० रुपये की कटौती स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ३८,२४,१०० रूपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९---लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर), अनुदान संख्या १०---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४३---लेखा शीर्षक ६८---सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)---लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १५,७६,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०---सिंचाई स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक ६८---सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ३५,५८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि अच्छा यह हो कि माननीय सदस्य अपना विचार इसके बारे में रख लें फिर जो कुछ होगा उसके बाद मैं अर्ज कर दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण प्रस्तुत अनुदानों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ४३ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत १८ लाख रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव आया है और उसमें यह एक शर्त रखी गयी कि विद्युत शक्ति बनारस और भदोही से उपलब्ध है इसलिये पूर्वी जिलों में उन नलकूपों को लगाया जाय। वह योजना यह रखी गयी है कि वे ३० नलकूप बनारस के जिले में लगाये जायं क्योंकि बनारस और भदोही में विद्युत शक्ति का उत्पादन है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भदोही के ही विद्युत यंत्र से जौनपुर जिले को बिजली मिलने की योजना है। तो इन ३० नलकूपों में से जौनपुर का भी अंश होना चाहिये क्योंकि जौनपुर में पानी की वैसे बहुत कमी है। मैं समझता हूं कि यह जो रुपये की मांग की गयी है तो उसका संतुलन भी उचित रूप से हो क्योंकि आगे फिर अधिक अन्न उपजाओ के अन्तर्गत एक रकम भारत सरकार ने दी है। उसमें गोरखपुर जिले के लिये २५, देवरिया के लिये २५, बस्ती के लिये २०, गोंडा के लिये १५ और बदायूं के लिये १५ नलकूप लगेंगे। तो इसमें भी जौनपुर नहीं आता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक मांग है गांवों के लेविल को ऊंचा करने की। यह योजना १२ जिलों के लिये है। उसमें जौनपुर का जिला भी है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सई नदी के किनारे एक गांव उन्चनी कलां बिलकुल ध्वस्त हो गया है। उसका एक पुरवा भी नहीं रह गया। उसको ऊंचा करने के लिये जमीन एक्वायर कर ली गई थी, पाड़ें घेर दी गयी, निश्चित हो गया कि यहां गांव बसाया जायगा। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दौड़ धूप की। एक ठाकुर साहब थे जिनकी ४,५ बीघा जमीन उसमें निकल रही थी क्योंकि ऊंचा करने वाला स्थान बहुत नीचा था तो थोड़ी दूर जा कर वहां ऊंचा करने की बात थी। बाद में वह जमीन छोड़ दी गयी और अब उस गांव को ऊंचा करने की कोई योजना अभी तक नहीं बनायी गयी। तो उस खास गांव के लिये जो कि बिल्कुल ध्वस्त हो गया इस तरह से जो एक कार्यक्रम बना था और जमीन ऐक्वायर कर ली गयी थी वह छोड़ दी गयी, तो इस तरह से कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। अभी तक कुछ गांव जो लिखे गये हैं वहां जमीन ऊंची की जा रही है। तो कहीं-कहीं ये शिकायतें भी हुई कि उस गांव के चारों तरफ गहरी मिट्टी ले ले कर ठेकेदार ने पाट दिया है ताकि ज्यादा पैसा न लगे, नजदीक से मिट्टी मिल जाय ऊंचा करने का काम हो जाय और उसको पैसा मिल जाय, कार्यवाही में दर्ज हो जाय और जिले के अधिकारियों के लिये शाबाशी मिल जाय। इसलिये यह भी देखना है कि जब गांव ऊंचा किया जाय तो ऐसा न हो कि बाद में वह गांव एक खाई के अन्दर घिर जाय और बाढ़ से जितना खतरा अब है उससे अधिक खतरा ऊंचा करने के बाद हो जाय। तो गांव ऊंचा करने में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिये कि जहां से मिट्टी ली जाय उससे किसानों का ज्यादा नुकसान न हो और वह गांव खुद खतरे में न पड़ जाय जहां से मिट्टी ली जाय। और फिर उनके निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाय चारों तरफ खाई खोदकर। मैं समझता हूं कि बाकी और जो अनुदान इसके अन्तर्गत सिंचाई योजना के लिये सिंचाई मंत्री जी ने जो कुछ भी मांग की है वह सब स्वीकृत होनी चाहिये वह उपयुक्त है और इसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिया है उधर ध्यान दिया जायगा।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कार्य के लिये रुपया मांगा जा रहा है वह अत्यन्त उत्तम है जो कार्य हो रहा है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और यह देखा है गांवों में घूम घूम कर कि गांवों का स्तर ऊंचा किया जा रहा है, इससे गांवों की भलाई होने जा रही है। बाढ़पीड़ितों की भलाई होने जा रही है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देंगे। मेरे क्षेत्र में अहरौला एक स्थान है जिसके आस-पास १५–२० गांव गत बाढ़ से नष्ट हो चुके हैं। हर साल वहां बाढ़ आती है और हर साल

सारे गांव नष्ट हो जाते हैं। १९५३ में भी बाढ़ आई और १९५५ में भी बाढ़ आई और उससे काफी क्षति पहुंची थी। इसमें २०-२५ गांव ऐसे थे जो चारों तरफ से बाढ़ से घिर जाते हैं। उनके घरों को ऊंचा किया जा रहा है जिससे उनका लाभ अवश्य होगा। परन्तु एक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहां पर एक द्वीप की शक्ल हो जाती है इसलिये कम से कम आने जाने का मार्ग ऐसा होना चाहिये जिससे लोग कस्बे में आ जा सकें। वहां बाढ़ डेढ़ दो महीने तक रहता है इसलिये अगर उस स्थान पर एक पुल बना दिया जाय तो यातायात का साधन हो जायगा और गांव के लोग कस्बे में जाकर जरूरत का सामान ला सकेंगे।

एक दूसरी बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां २ ट्यूबवेल बन रहे हैं उनका मैं विवरण नहीं देना चाहता हूं लेकिन इतना आप से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आजमगढ़ का नाम नहीं है। मैं जानता हूं हमारे यहां कुछ भी बने हैं लेकिन ४-५ जगह ऐसी हैं जहां एक भी नहीं बन सके हैं यदि उन स्थानों पर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ९ के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने कुछ ऐसे कार्यों के लिये रुपया मांगा है जब कि हम देखते हैं कि हमारा बजट डेफीसिट है और नये कर लगाये जायंगे तो ऐसे समय में मैं समझता हूं कि खूबसूरती के लिये तथा बिजली और पार्क वगैरा लगाने के लिये ५ लाख रुपया हरिद्वार के लिये चाहा जाता है, मैं समझता हूं कि इसको आगे के लिये उठाया जा सकता है। जब हम समझते हैं कि हमें कर लगाने पड़ेंगे तो फिर ऐसे समय में हमें विदेशी नमूने की बात को छोड़ देना चाहिये और मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये कि हमें रोटी कपड़े के सवाल को पहले देखना है और हमें आशा है कि वह खूबसूरती की चीजें जैसे बिजली और पार्क वगैरा में वह नहीं पड़ेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इसको सप्लीमेंटरी ग्रांट में डालकर रुपया पास करा लिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है और इसको पास नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हरिद्वार में बंगले बनाने के लिये २० हजार रुपया मांगा जा रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को ठहरने का सुविधा होनी चाहिये। वहां नहर के बंगले मौजूद हैं, वह तीर्थ स्थान है और वहां पर बहुत से धर्मशालायें हैं, फिर बंगले बनाने की क्या जरूरत है? मंत्री जी, उपमंत्री जी और कर्मचारियों के ठहरने का सुविधा की आज जरूरत है। इधर तो टैक्स हम लोग दें और उधर इन लोगों को सुविधा हो और आगे चल कर एम० एल० एज० के लिये भी प्रबन्ध हो तो मैं समझता हूं कि यह चीजें इस वक्त मुनासिब नहीं हैं और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस बात की शिकायत की थी इस बजट की आम बहस के दौरान में कि हम लोगों में से कुछ लोगों को सुन्दरता से विरोध सा है। मेरा ख्याल है कि हम में से....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम---ऐसे हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। यह मैंने गलत नहीं कहा था, यही कहा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडे राय---हम लोगों में से किसी को भी इस सदन में सुन्दरता से कोई विरोध नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि मौलिक रूप से प्राथमिकता किस प्रश्न को दी जाय। पार्क के बनाने और उनकी सजावट पर पहले रुपया खर्च किया जाय या यह सजावट साधारण जनता के चेहरों पर आये, ऐसे उपायों पर रुपया खर्च किया जाय। इस दृष्टिकोण से जो रुपया पार्कों की सजावट में खर्च किया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि उतना रुपया और किसी भी उपयोगी कार्य पर खर्च हो सकता था। जब हमारे देश में दो तीन पंचवर्षीय योजनायें इस सरकार के मातहत हो सम्पन्न हो जायं और यह सरकार भी हमारे देश की आर्थिक उन्नति एक सीमा तक कर लेती तो उसके बाद इन कार्यों पर रुपया खर्च होना अनुचित न होता। लेकिन आज हमारे देश के अन्दर, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसके दौरान में इन विषयों पर अधिक रुपया खर्च करना मैं गलत समझता हूं और यह एक असंतुलित मस्तिष्क की निशानी सी मालूम होती है। २०,००० रुपया मायापुर में एक इंस्पेक्शन हाउस बनाने के लिये है। इसमें लिखा है, "प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ठहरने के लिये लगातार इतनी मांग रहती है"। इस मांग की बड़ी फिक्र हो जाती है सरकार को। जनता की ओर से अधिक जरूरी मांगें रोज उठती हैं लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान तो जाता ही नहीं, अगर जाता भी है तो बहुत दबाव के बाद, जिसे आन्दोलन कहा जाता है, और उसके बाद भी आंशिक रूप में ध्यान जाता है। लेकिन इन विशिष्ट पुरुषों की मांगों की ओर सरकार के कान कितनी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, इस बात की शिकायत हम लोगों को होनी स्वाभाविक है।

जहां तक अध्यक्ष महोदय, गांवों को ऊंचा करने का सवाल है, यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कार्य शुरू हुआ है। इससे जरूर ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लाभ हुआ है। मैंने स्वयं देखा, बस्ती जिले में ट्रांस राप्ती के एरिया में, सचमुच इससे लाभ हुआ है। लेकिन मैं सिंचाई मंत्री जी की एक बात की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करूंगा। अगर उनको देखने का मौका मिला होगा तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि गांव ऊंचे हैं और घर नीचे हैं। बिल्कुल नेवले के बिल हो गये हैं घर। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको दुरुस्त किया जाय। घरों के अन्दर गड्ढा है और जो खंभे हैं उन पर मिट्टी ऊंची हो गई है। तो हमारे ऐसे छोटे आदमी के लिये भी उसमें घुसना मुश्किल हो जाता है। खास कर हरिजन बस्तियों में या जहां गरीब जनता है वहां यह दिक्कत है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। इस ठोस कार्य को करने में उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाय ताकि वह अपने घरों को ठीक बना सकें और उनमें हुए गड्ढों को भर सकें, लेबिल में ला सकें और बाद में घर को पूरी तरह से ऊंचा भी कर सकें। वरना बाद में आगे चल कर एक बड़ी उलझन पैदा हो जायगी। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह अपव्यय की जो मदें हैं उनको वापस कर लिया जाय।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---कितने मिनट हैं, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष---५ मिनट हैं और ७ मिनट भी सम्भवतः मिल सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---बात यह है कि असंतुलित मस्तिष्क का सामना बड़े-बड़े संतुलित मस्तिष्कों से है, तो थोड़ा-सा समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अभी तो इस अनुदान पर विवाद के केवल १५ मिनट हुए हैं, १५ मिनट और बाकी हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है मान्यवर। हमारे द्वारका प्रसाद जी ने बनारस में जो ३० कुएं बनने वाले हैं उनमें से कुछ की मांग जौनपुर में की। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जौनपुर में १२० कुएं बन रहे हैं और भाग्यवान हैं वे खुद और उनका जिला भी कि जितने कुवें फेल कर गये थे वहां उनका फिर से जब बोरिंग की गई तो वे सब सफल हो गये और यह १२० कुएं बनने के बाद और मड़ियाहूं और जौनपुर की ब्रांच निकलने के बाद कुछ थोड़ी सी ही जगह ऐसी रह जायगी जहां नलकूप बन सकें। हमारे देश में जो कुछ आज चल रहा है, हो रहा है भाषा के नाम पर, प्रान्तों के नाम पर और मैं देखता हूं संस्कृति के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर और इसके बाद पिछड़ी जाति और अगली जाति के नाम पर उसमें वैसे ही काफी तफरका रहता है और बनारस और जौनपुर का नाम लेकर पड़ोसियद में झगड़ा लगाने से उन्हें कोई लाभ न होगा। दूसरी बात गांव के बारे में कही गयी कि गड्ढे हो जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा एक आध केस हो कि जहां किसी ठेकेदार ने इस तरह की दुष्टता की हो। मैं चाहूंगा कि वह उसकी सूचना दें। अगर कोई ऐसा गढ़ा होगा तो उसको उस ठेकेदार के जरिये पटवाने की कोशिश की जायगी। यह जरूर मैं जानता हूं कि हमारे यहां से बराबर यह आदेश दिये गये हैं कि एक फुट से ज्यादा मिट्टी न ली जाय। गांव को ऊंचा करने के लिये खेतों में से मिट्टी लेनी है तो एक फुट मिट्टी खेत की लम्बाई चौड़ाई में से ले ताकि खेत मे गड्ढा न होने पाये। इतना किया गया लेकिन फिर भी यह मुमकिन है कि कहीं किसी ठेकेदार ने ऐसी बात की हो, तो उसकी सूचना मिलने पर इसका प्रबन्ध किया जायगा। मेरा खुद ऐसा इरादा नहीं है कि एक तरफ गांव ऊंचे करें और चारों तरफ से गड्ढा करके उसके चारों तरफ एक झील बना दें।

श्री झारखंडे राय—मेरा मतलब घर के गड्ढे से है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—घर में गड्ढा है या दिमाग में यह आप बाद में देखेंगे। दूसरी बात उन्होंने वह कही कि गांव ध्वस्त हो गया और उसके लिये जमीन एक्वायर की गई थी। मैं समझता हूं कि यह किस्सा उस समय का होगा कि जब द्वारका प्रसाद जी माल विभाग में थे। क्योंकि हम तो जमीन एक्वायर नहीं करते। हम तो, जो गांव नीचे हैं या बाढ़ में जिनको नुकसान पहुंचा है उनको ऊंचा करते हैं, करते रहते हैं। हमारा यह काम नहीं है कि हम जमीन एक्वायर करें। जिन ठाकुर साहब का जिक्र किया गया है अगर आप उनके बारे में तफसील देंगे तो मैं जांच-पड़ताल करा लूंगा। अब हमारे माननीय झारखंडेराय जी ने अन्न और कपड़े के बारे में कहा। राजा साहब जगमनपुर अन्न और कपड़े के बगैर मरे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही मरने वाले हमारे देश में हो जायं तो देश का सौभाग्य हो।

कहा गया कि ५ लाख रुपया सौन्दर्य के ऊपर खर्च किया जा रहा है। सौन्दर्य तो बुरी चीज नहीं है, वह तो ब्रह्म का रूप है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमने सौन्दर्य को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमारे केनाल के हेड वर्क्स नरौरा, हरद्वार, ओखला और बनबसा में हैं। वास्तव में ये ऐसे हेडवर्क्स हैं जहां प्राकृतिक दृश्य भरे पड़े हैं, दर्शनीय हैं। इसके कई कारण हैं यहां पर हमारी इमारतें बनी हुई हैं, प्रदेश के सुन्दर केन्द्रस्थल हैं, इनको और सुन्दर बनाने का हमारा इरादा है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इन पर हमने बहुत कम रुपया व्यय किया है और ज्यादा खर्च करना चाहते हैं जिससे उस

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और हम टूरिस्ट ट्रैफिक अट्रेक्ट कर सकें क्योंकि यहां पर बहुत से यात्री बाहर से आते हैं। ये ऐसे सुन्दर स्थल हैं कि यहां पर बहुत से देश और विदेश के यात्री आते हैं। यदि और भी अधिक लोग यहां आ सकें तो इसमें हमारे प्रदेश का कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है और यह भी एक प्रकार का उद्योग ही है। इसीलिये हम उसको विकसित करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह सत्य है कि इसमें हमने कुछ शीघ्रता की है इसको अगले बजट में कर सकते थे। इसलिये यह जो एतराज किया गया कि इसको अगले बजट में किया जा सकता था, उसको मैं स्वीकार करता हूं। कुछ शीघ्रता इसलिये की कि इस साल वहां पर कुंभ का मेला लग रहा है। हमने सोचा कि अगर मई-जून में ही उसको सुन्दर बनाने की चेष्टा कुछ हो जाय तो मेले को भी उससे लाभ हो जायगा। वहां गंगा कैनाल है जिस पर पुल बनाया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा हर की पैड़ी और लालवाला द्वीप को पुल द्वारा जोड़ा जा रहा है। हर की पैड़ी पर इतनी कठिनता होती है कि वहां की म्युनिसिपलिटी ने बीसों बार प्रस्ताव पास किया कि उसको पुल के द्वारा द्वीप से मिला दिया जाय। हरद्वार के रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, लाखों यात्री वहां आते हैं, उनको सुविधा देने के लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। इससे न केवल अर्द्ध कुम्भ में ही सहायता मिलेगी परन्तु हरद्वार के नागरिकों और वहां पर आने वाले यात्रियों को बहुत सहायता मिलेगी। वहीं गंगा कैनाल है जिससे करोड़ों रुपया रेवेन्यू के रूप में वसूल होता है, तथा वहां पर हेडवर्क्स की लाखों रुपये की संपत्ति भी है। इसलिये ऐसे स्थल पर ४-५ लाख रुपया अगर खर्च किया जाता है उस पर यह कहा जाय कि भोजन वस्त्र में उसके जरिये से कमी हो जायगी जब कि हम करोड़ों रुपया गांवों पर खर्च कर रहे हैं, इसलिये इसको 'अपव्यय' कहना असंगत है। इससे बड़ी भारी संगति की बात और क्या हो सकती है ?

बंगले की बात कही गयी। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हेडवर्क्स पर रहता ही है। इसके अतिरिक्त वहां पर बहुत से लोग आते रहते हैं जिसकी वजह से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को उस बंगले में रहने की गुंजाइश नहीं रहती। उसको वहां चौबीसों घंटे रहने की आवश्यकता है। गंगा कैनाल की करोड़ों रुपये की संपत्ति वहां पर लगी हुई है। अब वहां एक डाक बंगला है जिसमें ठहरने के लिये बहुत से आफीसर्स जाते रहते हैं, कमेटियां वहां होती हैं। मंत्री लोग जाते हैं और जो मंत्री नहीं हैं वह भी जाते हैं, राजा साहब जैसे लोग भी गंगा कैनाल शताब्दी में गए तो उन जैसे लोग भी वहां टिकाए जाते हैं और वहां पर एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर रखने की भी बहुत दिनों से आवश्यकता थी। अर्द्ध कुम्भ का मेला है तो और भी उसकी आवश्यकता है। वहां पर तमाम विभागीय और दूसरे लोग जाते रहते हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलती थी, हमने सोचा कि थोड़ा सा खर्च करके वहां एक बंगला बनाना ही है तो उसको अभी बना दिया जाय। इसी दृष्टि से यह खर्च किया गया है। कोई इसमें अपव्यय का प्रश्न नहीं है और न ऐसी कोई इच्छा ही है।

गांवों को ऊंचा करने की बाबत कहा गया। मिश्र जी ने कहा कि ट्यूबवेल्स में आजमगढ़ का नाम नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वहां १६० ट्यूबवेल बने हैं और वहां साढ़े ५ तहसील ऊसर हैं, पता नहीं वहां भले आदमी कैसे जाकर बसे, वहां भी अब टांडा कैनाल वगैरा बन रही हैं और बराबर कुएं बनते चले जा रहे हैं। गांव भी ऊंचे किए जा रहे हैं, जो २,५०० गांवों को ऊंचा करने की योजना है उसके अनुसार कार्य हो रहा है और जो गांव ऊंचे किए जा रहे हैं उनको एक दूसरे से मिलाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। पुल वगैरह का काम भी देखना होगा। गांव चारों ओर से ऊंचे किए जा रहे हैं। न मालूम हमारे माननीय मित्र झारखंडे राय

जी ने कैसे कह दिया कि गांव ऊंचे हो गये लेकिन घर रह गये नीचे। ऐसी बात नहीं है। वहां घर, गांव, कुएं, रास्ते सभी ऊंचे किये जा रहे हैं। जहां गांव ऊंचे किये गये हैं वहां बड़ा सुन्दर दृश्य होता जाता है। गांव वाले अपने-अपने रद्दे मिट्टी उठा कर दीवाल ऊंची कर लेते हैं और छानी ऊपर रख लेते हैं। कोई गांव कहीं रह गया होगा अथवा उस गांव का कोई व्यक्ति कहीं चला गया होगा तो उसके घर के उठने में देर हो गयी होगी वर्ना घर गांव के साथ-साथ सुन्दरता से उठते जा रहे हैं। मैंने स्वयं वहां बहुत से गांव देखे हैं, बहुत सुन्दर गांव बनते जाते हैं, मालूम होता है वे नये गांव सुन्दरता के प्रतीक हो गये हैं और जहां तक मैं समझता हूं कोई घर गढ़े में नहीं रह गये हैं। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि कटौती का प्रस्ताव वापस लिया जाय और इस मांग को स्वीकार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने शुरू में इसलिए बोलने की धृष्टता नहीं की थी कि दोबारा मंत्री जी को शिकायत न हो खूबसूरती पर ताना करने की। माननीय मंत्री जी को तो अपनी लम्बी जिन्दगी में कई मौके आये होंगे जब कि खूबसरती को ताने दिये होंगे। मुझे तो न अनुभव है और न मेरी इतनी अवस्था है। खैर, वह बात तो अलग है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय सूचना मंत्री जी के सम्पर्क से या बुद्धि से जो कुछ हमने लाभ उठाया है और सीखा है वह इतना ही सीखा है कि बाहरी खूबसूरती पर इतना जोर न दिया जाय जितना भीतरी पर दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जोर इस पर दिया जाय कि बाहरी और भीतरी दोनों खूबसूरती बढ़ें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो कैनाल हेडवर्क्स के कार्य हैं जिनकी ओर माननीय झारखंडे राय जी ने ध्यान आकर्षित कराया है मेरा कहना यह है कि अगर सरकार को इनकी खूबसूरती ही बढ़ाना है तो अच्छा हो कि वह उसके लिए एक तृतीय पंचवर्षीय योजना बना लें और हम उसके गुणों के आधार पर उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां तक पूरक बजट का सवाल है उसमें इस चीज को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसमें कौन से अनफोरसीन सरकमस्टांसेज थे जिनको सरकार पहले से नहीं समझती थी और उसको पूरक बजट में लाना अनिवार्य हो गया जब कि इसमें लिखा हुआ है कि यह हेडवर्क्स मनोरम दृश्यों के बीच में स्थित है और ८० वर्ष पूर्व वहां पर सीढ़ीनुमा विस्तृत मैदान तैयार किये गये थे। तो यह कोई नई चीज नहीं थी जो एकदम से पैदा हो गई। यह चीज तो ६-७ साल से आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, राजघाट की समाधि भी बनी है, मुख्य बजट में यह चीज लाई जा सकती है, पूरक में कैसे लाई गई यह समझ में नहीं आता तो उसमें सिंचाई मंत्री जी असंतुलित कहें मैं नहीं कहता कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि पूरक बजट में इसकी क्या आवश्यकता थी और वह अभी तक अस्पष्ट है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन इतना और निवेदन कर दूं कि करीब साढ़े तीन या चार लाख रुपया हरद्वार में खर्च कर चुके हैं। नरोरा और ओखला का तो बहुत साधारण सा खर्चा है। यह खर्चा इस विचार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

से किया है कि अर्द्ध कुम्भ शीघ्र ही आने वाला है। उस काम को हमने पहले ही कर डाला इसलिये कि उससे लोगों को बहुत थोड़ी सी मदद मिल जायगी। उस विचार से हमने पेश किया है और इसीलिये उसको पहले लेना आवश्यक समझा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख---राजस्व से लिये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) के अन्तर्गत १५,७६,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---सिंचाई---स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३---लेखा शीर्षक ६८---सिंचाई---नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक ६८ सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत ३५,५८,२०० रुपये की अनुपरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---निर्माण कार्यों पर लागत, अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य---केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता तथा अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य---निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ६४,५५,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह अनुपूरक मांग स्मृतिपत्र में विवरण सहित उपस्थित है। यदि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में चर्चा करेंगे तो मैं उत्तर देने की चेष्टा करूंगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३०, अनुदान संख्या ३१ और अनुदान संख्या ४६ इन तीनों अनुदानों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्रीमन्, जहां तक अनुदान संख्या ३० का प्रश्न है इसमें एक मद बेरोजगारी को दूर करने के लिये भारत सरकार की योजना के सम्बन्ध में है। इसमें मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता केवल प्रतीक अनुदान लाने की थी। इसमें जो गवर्नमेंट ने ४८ लाख रुपये का अनुदान मांगा है यह मुझे किसी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ६० लाख रुपये सरकार के बजट में पहले से विद्यमान थे। चूंकि उसका खाता दूसरा लिखना है इसलिये ४८ लाख की मांग की गई है जब कि पहले से बजट में रुपया मौजूद है तो फिर ४८ लाख की मांग करना समझ में नहीं आता। या तो फिर कांटिजेंसी फंड से विदड्राल किया गया होता।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ६० लाख रु० जो कि वित्तीय वर्ष के बजट के अनुदान संख्या ४० के अधीन पहले से ही मौजूद है तो फिर जो ४८ लाख ३६ हजार रुपये की नयी मांग की गयी है वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होती। इस सबंध में अगर एक प्रतीक अनुदान मांग लिया जाता तो उचित ही होता। दूसरी बात जो मुझे इस अनुदान के संबंध में कहनी है वह पूरक तखमीनों के बारे में है। जो बौद्धिक तीर्थ केन्द्रों में नयी सड़कें हैं उनके सुधार के लिये एक ५९ लाख की स्कीम बनायी गयी थी और इसमें से ४६ लाख रुपये पहले पूरक बजट में स्वीकृति करा लिये गये। अब फिर यह कहा जा रहा है कि १२ लाख ७५ हजार रुपया उन्हीं सड़कों के लिये स्वीकृत किया जाय यानी जितना रुपया मंजूर होना चाहिये उसके दो हिस्से कर दिये गये। एक हिस्सा पहले पूरक बजट में स्वीकार करा लिया गया और दूसरा हिस्सा इस पूरक बजट में रखा गया। मेरे विचार से जो यह १२ लाख ७५ हजार रुपया इस पूरक बजट में मांगा जा रहा है इसकी जानकारी सरकार को पहले पूरक बजट के समय में ही थी। इसलिये चाहिये यह था कि जो प्रथम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पूरक बजट प्रस्तुत किया गया उसी समय इस १२ लाख रुपये की मांग भी कर लेनी चाहिये। इस सारे अनुदान के दो हिस्से कर दिये गये। आधा इस पूरक बजट में रखना और आधा पहले वाले पूरक बजट में रखना यह उचित सिद्धांत प्रतीत नहीं होता।

इसके बाद मैं अनुदान संख्या ४६ की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस संबंध में नैनीताल में कुछ आवास के भवनों के निर्माण का एक प्रश्न रखा गया है और लिखा गया है कि नैनीताल में रहने के स्थान बहुत कम हैं। यह बात सही है कि नैनीताल में माल रोड के पास या मल्लीताल के आसपास निवास स्थान बहुत कम हैं और रहने के लिये लोगों को कम क्वार्टर मिलते हैं। लेकिन ऊपर की ओर अगर देखा जाय, जो पहाड़ के आसपास मकान बन रहे हैं वह अधिकतर खाली रहते हैं। यह बहुत कम समय के लिये, नाम मात्र के लिये, किराये पर लगाये जाते हैं। बजाय इसके कि नये क्वार्टर बनाये जायं। सरकुलर मोटर रोड जो चोटियों पर जा सके बना दी जाय या रोपवे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाय, इसी खर्चे में, क्वार्टर बनाने के बजाय तो जनता को भी, जो वहां जाने वाले मध्यमवर्ग के लोग हैं उनको भी सुविधा होगी और जो बंगले ऊपर खाली रहते हैं, और जिनमें अब भी मैं समझता हूं कि एक डेढ़ हजार व्यक्तियों के रहने का प्रबन्ध हो सकता है वह बंगले भी उपयोग में आ जायेंगे।

इतने क्वार्टरों के बनाने से ही जो रहने की कमी है वह दूर होने वाली नहीं है। वह कभी भी दूर हो सकती है? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह बजाय क्वार्टरों के निर्माण में रुपया खर्च करने के सरकुलर रोड या रोपवे सिस्टम की ओर ध्यान दे तो ज्यादा आवास का प्रबन्ध हो सकता है इसमें व्यय भी उचित होगा। आगे चल कर इसमें विधान सभा मंडप भवन में लाउड स्पीकरों के प्रबन्ध को देखेंगे। इस संबंध में मैंने जो उस दिन बात कही थी, माननीय वित्त मंत्री जी शायद स्पष्ट न समझ पाये। मेरा निवेदन यह था कि हम इस पूरक बजट के जरिये एक प्रतीक अनुदान १०० रुपये की मांग रहे हैं। और आशा करते हैं कि जुलाई तक अपनी इस व्यवस्था को यहां बदल सकेंगे। मैं इस समय व्यवस्था के गुण दोषों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि पूरक बजट वास्तव में पूरक होना चाहिये वह मुख्य बजट का आधार नहीं बनना चाहिये। इसलिये मैंने मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का कल कोटेशन दिया था जिसमें लिखा है कि सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेट मेन ऐस्टीमेट के पहले नहीं मांगे जाने चाहिये, क्योंकि पहले मेन ऐस्टीमेट आता है और बाद में सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेट आते हैं। तो मुख्य योजना के लिये रुपया अगले साल के बजट में मांगा जा रहा है लेकिन उसका प्रतीक अनुदान हम इस साल के बजट में ले रहे हैं। तो यह जो प्रथा है यह पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विपरीत है। पहले मुख्य अनुदान आना चाहिये और अगर मुख्य अनुदान कम पड़ जाय तब जाकर कोई पूरक अनुदान मांगा जाना चाहिये। यह एक वित्तीय परम्परा का सिद्धांत पहले से ही माना हुआ है। तो मैं इस अनुदान के संबंध में इस सिद्धांत की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे आशा है कि वे इस ओर देखेंगे तथा अपना निर्णय इस संबंध में देनी की कृपा करेंगे?

जहां तक कि मालएवन्यू में बंगला खरीदने की मद है पहले भी माननीय सदस्य इसकी ओर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। बंगले की आवश्यकता अवश्य होती है और हम मानते हैं कि माननीय मंत्री जी को अवश्य बंगला मिलना चाहिये। सवाल तो यह है कि सवा लाख में एक बंगला खरीदें या सवा लाख में दो, तीन बंगले बना लें। यह प्रश्न है। यानी उस रुपये का आप और अधिक उपयोग कर लें या उसमें केवल एक ही मकान प्राप्त कर सकें, इस पर विचार करना चाहिये मंत्री जी को, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

*राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री नारायण-दत्त जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अनुदान संख्या ४६ में आपके द्वारा मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे नये साल का बजट घाटे का बजट होगा और जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये रुपये की तलाश में हैं, फिर हम यह देखते हैं कि जो गैर जरूरी चीज और खर्च सरकार मांगती है, जो सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की है सरकार ने उसकी एक खास वजह है कि अगर वह नये बजट में जायंगी तो मुमकिन है इस पर ज्यादा एतराज हो लोगों को पास करने में। इसलिये टोकन ग्रांट करके एक लाख रुपया इसमें मांग कर अपनी मद को कायम करने के लिये सरकार ने मंत्रियों, उपमंत्रियों और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज तथा विधान सभा के सदस्यों और अधिकारियों के लिये जो इमारतों पर कुल मिलाकर ३ लाख रुपया मांगा है मैं समझता हूं यह बिल्कुल गैर जरूरी है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब श्रीमन्, असेम्बली की बैठक नहीं होती, मेम्बर नम्बर से स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग में थोड़े दिनों के लिये जाते हैं और कमेटी भी एक साथ नहीं होती तो मेरी समझ में नहीं आता कि वहां मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों तथा विधान सभा के अधिकारियों के लिये वहां रहने की कमी है? और फिर किसी इमारत को रिक्वीजीशन करने का अधिकार भी है जो नैनीताल में अच्छे से अच्छा बंगला हो उसको मंत्री तथा उपमंत्री के लिये रिजर्व कर लिया जाय। आपके सदस्यों के लिये होटल खाली पड़े रहते हैं उनको रिजर्व कर लिया जाय। मैं नहीं समझता कि ३ लाख रुपया सरकार इस तरह से मंजूर करे और वहां पर इमारतें बनाई जायं। अगर ये इमारतें लखनऊ में बनाई जातीं जहां रहने का सवाल आता है तब तो मैं इनकी उपयोगिता को समझ सकता हूं लेकिन नैनीताल में १५,२० दिन या महीने भर के लिये हमारे मंत्री जायं और उसके लिये इतना रुपया मांगा जाय मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ५० में आपकी आज्ञा से एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। बुद्ध जयन्ती के सिलसिले में फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत पखना रेलवे स्टेशन से शंकसा तक एक आठ नौ मील लम्बी पक्की सड़क बनायी जायगी। यह सड़क एस्फाल्ट की बनेगी। इसमें लगभग चार या पांच लाख रुपया सरकार व्यय करेगी और यह अत्यन्त सुन्दर सड़क होगी, परन्तु इसके दो सिरों में से एक भी सिरा किसी भी पक्की सड़क से नहीं मिलता है और बिना तीन-चार मील कच्चा रास्ता तय किये हुये कोई भी इस सड़क तक नहीं पहुंच सकता। तो इस प्रकार इतना रुपया व्यय करने के बाद इसकी उपयोगिता और सुन्दरता क्या माने रखेगी मेरी समझ में तो नहीं आता। इसके साथ-साथ फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत पखना एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पहुंचने के लिये अब तक कोई सड़क नहीं है और यह रेलवे स्टेशन एक महत्व का रेलवे स्टेशन है। इसका महत्व यह सड़क बन जाने से और बुद्ध जयन्ती समारोह के संबंध में और भी बढ़ जायगा। इसके साथ-साथ हमारे जिले की नियोजन समिति ने लगभग एक वर्ष पूर्व इस सड़क के बनाने की उपयोगिता समझकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा था। परन्तु खेद है कि उस पर अब तक उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। मेरा सुझाव यह है कि वह जो तीन चार मील सड़क रह जाती है इसको भी पूरा कर दिया जाय और अगर ऐस्फाल्ट से बनाने में रुपये की कमी पड़ती हो तो ऐस्फाल्ट से न बनाकर कंकड़ से ही पूरी सड़क तैयार कर दी जाय जिसमें वह तीन चार मील का रास्ता कच्चा न रह जाय और जिस मकसद और ध्येय से यह सड़क बनायी जा रही है वह पूरा हो सके। यह सुझाव प्रस्तुत कर मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे और मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडे राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो हममें से हर एक में इस बात की होड़ लगा करती थी कि कौन कितना त्याग करता है, कौन कितना बलिदान देता है और हम कितना अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कष्ट सहन करते हैं। अब कुछ उलटी प्रक्रिया चालू हो रही है। हममें से कौन कितना अधिक आराम आज की परिस्थिति में उठा सकता है, इस बात की होड़, इस बात की चेष्टा हमको दिखाई देती है। मेरा विचार है कि हममें से हर एक को, और इसमें राज्य मंत्रियों को और सरकार को अग्रणी होना चाहिये, अभी कुछ और दिनों तक, जब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण एक ऊंचे पैमाने पर न हो जाय, हम अपनी उसी परम्परा को और उसी आदर्श को कायम रखें। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो इन तमाम मदों के खर्चे मुझे गलत दिखाई पड़ते हैं, मैं अपने जीवन में पहली बार पारसाल नैनीताल गया। नैनीताल क्लब में एक चारपाई मिल गई, होलडाल रख दिया, बक्सा रख दिया, खाना वहीं खा लिया, दो दिन रहा, घूमा, जो कुछ काम था किया और चला आया। मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। और मैं समझता हूं कि हममें से हर एक, उनको छोड़कर जो कि पैदा होने के साथ ही सोने और चांदी के स्पून मुंह में लेकर आते हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता, और मैं नहीं जानता कि हममें से कितने उस तरह के हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोग मध्यमवर्ग और निम्न मध्यमवर्ग के घरों में पैदा हुये हैं और उन घरों में पैदा हुये लोग बड़ी आसानी से, सरलता से, वहां कम खर्चे में आराम से रह सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जायं, चाहे सरकारी काम या कमेटी के सिलसिले में जायं। मेम्बरों के लिये भी निवासस्थानों का प्रबन्ध करना या उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के लिये करना मैं समझता हूं कि यह जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। यह एक सैद्धांतिक प्रश्न है। अभी बहुत दिन नहीं हुये, हिन्दुस्तान को आजादी मिले साढ़े ८ साल हुये हैं। अब भी अगर इस दृष्टिकोण को सरकार अपनाये और आदर्श पेश करे तो अधिक उत्तम होगा। यों तो मेरी बात के जवाब में कोई सज्जन यह कह सकते हैं कि साहब तो फिर आफर कीजिये। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आग के पास घी को रख कर यह उम्मीद करना और प्रार्थना करना कि घी महराज, तुम पिघलो न, उचित नहीं है। परिस्थितियां हमको ऐसी पैदा करनी चाहिये जिसमें आदमी भ्रष्ट न हो, जिसमें आदमी चाहे भी तो गलत तरीके की ओर उसका ख्याल न हो सके। पतन अथवा भ्रष्ट हो जाने की परिस्थितियां पैदा करके फिर उपदेश देना ठीक नहीं है यह यथार्थवाद नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे निवासस्थानों के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान अभी नहीं जाना चाहिये। इन पैसों को, जो उससे अधिक जरूरत की चीजें हैं, उधर लगाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायणदत्त जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन के सामने कुछ सुझाव माननीय नारायण दत्त जी की ओर से दिये जाने की चेष्टा की गयी और इसके अतिरिक्त श्री वीरेंद्र शाह और झारखंडेराय जी ने भी कुछ चर्चा इन मांगों के संबंध में यहां की।

नारायण दत्त जी ने अनुदान संख्या ३० के संबंध में ज्यादातर चरचा की है और मेरा ऐसा विश्वास है कि शायद वे जो यह केंद्रीय वित्तीय सहायता मिली थी कुछ सड़कों के संबंध में बेरोजगारी दूर करने की योजना के अन्तर्गत उसको और उसके संबंध में जो कि अब राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है उसको शायद भली भांति देख न पाये हों। उनका यह सुझाव कि इसमें सौ रुपये की प्रतीक अनुपूरक मांग को यहां रखना चाहिये था मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों के लेखे, हिसाब और बजटिंग के साधन हैं उन सभी के विरुद्ध होगा और यह जो १०० रुपये की अनुपूरक प्रतीक मांग सदन के सामने रखी गई उसका कोई संबंध उससे नहीं है जो रुपया कि सचमुच खर्च कर दिया गया। हुआ इसमें सीधा सा इस प्रकार है कि २५० लाख रुपये केंद्रीय सरकार की ओर से बेकारी दूर करने की योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाने के लिये अनुदान के रूप में स्वीकार हुये। हमारे पास में कोई लेखे का

ब्योरा नहीं था कि हम किस हिसाब में उसे अपने यहां रखें। लेकिन हमको खर्च करना था और पिछले वित्तीय वर्ष में उसके लिये ६० लाख रुपये हमने रखे। अपने यहां अनुदान संख्या ४६ में हमने उस रुपये को दिखाया और सीधे केंद्रीय सरकार से अपने हिसाब में उसे लिख कर हमने खर्च किया। तो आज हम यदि उसकी सौ रुपये की प्रतीक मांग करें तो यह कैसा हास्यास्पद होगा। वह रुपया तो हमने खर्च कर लिया। यहां तो केवल प्रश्न इतना था कि किस ब्योरे और लेखे में हम उसे दिखायें। यह प्रश्न केंद्रीय सरकार के विचाराधीन था और उन्होंने अब निर्णय दे दिया कि आप इसको इस ब्योरे में दिखाइये। यह तो जो हमारा स्मृति-पत्र है उसमें पूरे तौर से जिक्र है लेकिन ब्योरा नहीं दिखाया है। आज हम जो रुपया खर्च कर रहे हैं या खर्च कर चुके हैं या उस रुपये का बहुत कुछ अंश खर्च हो चुका है उसकी हम प्रतीक मांग करें, यह तो हास्यास्पद बात है बल्कि जैसा कि हमने कहा हमने सप्लीमेंटरी ग्रांट में लाकर जिस स्थान पर रखा है यथास्थान हिसाब में दिखाया जा सकेगा। इसीलिये हमने इसको अनुपूरक मांग में रखा।

हम प्रतीक मांग दो स्थानों पर लाते हैं एक तो यह कि जहां किसी ग्रांट में कुछ सेविंग हो और उसके अन्तर्गत खर्च कर दें और उसके बाद में वहां से ले सकें तो हम प्रतीक मांग ले आयंगे अगर उस रुपये में स हम रुपया ले सकेंगे। दूसरे यह भी है कि आकस्मिक रूप से हमें रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाय और उसका हम अपनी धनराशि से निबटारा कर सकें तो हम उसको प्रतीक मांग में दिखा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लेखा जोखा है या ब्योरा तथा हिसाब में बातचीत हो तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि वह अनुचित और बजटिंग के सिद्धांत के अनुसार भी गलत होगा।

इसके अतिरिक्त नैनीताल में जो आवास-गृह बनने हैं उनकी चर्चा की गई। इनकी चर्चा श्री नारायणदत्त जी तिवारी, राजा बीरेंद्रशाह और श्री झारखंडेराय जी ने की। इस संबंध में यहां माननीय वित्त मंत्री जी बहुत लम्बी चर्चा कर चुके हैं और मेरे ख्याल से नारायण-दत्त जी ने ऐसी बात कही जो उनकी बात का तो उत्तर है ही और उसी के साथ-साथ उनके साथियों की बातों का भी उत्तर है। उन्होंने कहा कि इन आवास-गृहों के बनने के बाद भी आवश्यकता पड़ेगी और इनसे ऐसा नहीं है कि कमी की पूर्ति हो जाय। मैं नहीं जानता कि जब नारायण दत्त जी के कथनानुसार वहां आवास-गृहों की कमी है और इसके बाद भी रहेगी। आज हम जानते नहीं हैं कि वहां कितने मकान खाली हैं और कितने मेरे मित्र बता सकते हैं कि मैं माननीय नारायणदत्त जी के संबंध में नहीं कहूंगा क्योंकि वह तो वहां जल्दी उतर चढ़ सकते हैं और कितने माननीय सदस्य हैं जो वहां पहुंच सकेंगे और हमारी कमेटियों में कार्य कर सकेंगे और माननीय सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे सज्जन जिनके लिये मकान बनाने की चेष्टा है वह कितनी जल्दी उस काम को कर सकेंगे। इसमें मैं शंकित हूं। मैं नहीं कह सकता कि वहां कितने मकान उपलब्ध हैं, कितने खाली पड़े हैं, कितने मिल सकेंगे और कितने नहीं मिल सकेंगे। लेकिन इतना नारायण दत्त जी ने अवश्य स्वीकार किया है कि वहां पर मकानों की आवश्यकता है और कमी है।

माननीय बीरेंद्रशाह जी ने जिक्र किया और झारखंडेराय जी ने कहा कि उपदेश देना सरल है परन्तु उन्होंने स्वयं उपदेश देने की चेष्टा की। मैं नहीं जानता कि उनके उपदेश को कैसे स्वीकार करें, खैर जो कुछ भी हो उनको स्थान मिलने पर वह नयी परम्परायें स्थापित करेंगे और उसमें अपने को वालंटीयर करेंगे। उनके कथन के अनुसार यहां तो आज आराम की होड़ लगी है। उन्होंने यह चर्चा की है, उनकी चर्चा का उत्तर देना आवश्यक सा है। केवल इतना जरूर निवेदन के लिये कहना चाहता हूं कि आज यदि

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

वह चाहते हैं कि देश में कुछ कार्य हो और आज प्रगति होती जाती है और उसके अनुसार हम कुछ आवास-गृह बनाते हैं और लोगों को रहने का स्थान देते हैं जिससे लोग कार्य कर सकें और जिससे देश के विकास के कार्य में या देश के निर्माण कार्य में या शासन के संबंध में कार्य किये जा सकें तो वह इन्कार नहीं करेंगे वह तो बहुत आगे गये। उन्होंने यह कहा कि हमें, मंत्रियों को, उपमंत्रियों को, सदस्यों को आवासगृह न दिये जायं। मैं तो नहीं जानता श्रीमन्, कि मेरे मित्र वहां जा कर नैनीताल की किस सड़क पर रात को रहने जायेंगे, किस सड़क पर बैठ कर नैनीताल में रात को कार्य करेंगे, किस सड़क पर उनका बिस्तर होगा और किस सड़क पर वह रात में आराम करेंगे और कैसे वह जा कर वहां जो किया जाने को है उसे पूरा कर सकेंगे। माननीय वीरेंद्र शाह जी ने बड़ा जिक्र किया। उस दिन भी मैंने उनकी बात सुनी थी। उन्होंने सारी बात इसी पर कही कि नैनीताल में मकानों की कोई आवश्यकता नहीं है और जो हैं वह काफी हैं। मैं उनका ध्यान नारायणदत्त जी के भाषण की ओर दिलाऊंगा और उनसे यह निवेदन करूंगा कि यदि वह यह स्वीकार करते हैं कि नैनीताल में आवास-गृहों की आवश्यकता है, वह चाहे मंत्रियों के लिये हो, उपमंत्रियों के लिये हो या माननीय सदस्यों के लिये हो तो इस संबंध में मुझे कुछ ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय सदस्यों ने आज फिर उस माल एवेन्यू के बंगले का जिक्र किया। उस दिन वित्त मंत्री जी ने उसका जिक्र किया था और कहा था कि यह तो सदन की आज्ञा से हम खरीदेंगे और यदि सदन यह निश्चय करता है कि यह आवश्यक नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। ऐसी बात उस दिन वित्त मंत्री जी ने कही थी। यह भी सही है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि सवा लाख रुपया या १ लाख १९ हजार रुपया इसके लिये रखा गया है। यह रुपया खर्च करके और ज्यादा बंगले बना सकते हैं। मैं उनका ध्यान स्मृति-पत्र की कुछ पंक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन पंक्तियों में स्वयं इस बात का जिक्र है कि क्यों इसकी आवश्यकता हुई और क्या उस स्थान पर का महत्व है और वह मोटे तौर पर यह है कि यह बंगला सेक्रेटेरियट के पास है। बहुत निकट का स्थान है और इसलिये बहुत उपयुक्त है और इसके लिये इसका खरीदा जाना बहुत आवश्यक है और जैसा इसमें लिखा है कि जो इसके मालिक साहब हैं वह इसे बेच कर जाना चाहते हैं या वह इसको फौरन बेचना चाहते हैं। इसके बाद मैं फिर केवल इतना ही कहूंगा जैसा कि वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि यह सदन के ऊपर है, अगर वह आवश्यक समझता है कि इसको खरीदा जाय, सेचुयेशन की दृष्टि से, स्थिति की दृष्टि से, तो इसको खरीदा जायगा। इसलिये इसका इस अनुपूरक मांगों में जिक्र किया गया।

मेरे मित्र ने संकशा से पखना तक के लिये सड़क बनाने की चर्चा की। मैं स्वयं इससे बहुत परिचित हूं और मेरे मित्र की यह मांग बहुत काफी समय से चल रही है। हम लोग अपनी कठिनाई भी उनके सामने रख चुके हैं। बुद्ध जयन्ती का कार्य भी है, कुछ आवास-गृह और कुछ हट्समेंट्स बनाने का कार्य भी है। केंद्रीय सरकार ने अपने व्यय से हमारे द्वारा कुछ कार्य भी यहां करवाया है। इस प्रश्न में केंद्रीय सरकार ने जो सड़कों के संबंध में हमसे पूंछा, हमने उनको अरेंज करके भेजा। वह वहां से, केंद्रीय सरकार से स्वीकृति हुआ। उसके बाद हम इस पर गौर करना शुरू किये। आज केवल मैं इतना कह सकता हूं कि उनकी यह मांग कि संकशा-पखना रोड हो और उसके लिये यह तीन, चार मील लम्बी सड़क बना दी जाय तभी वहां लोग पहुंच सकेंगे, मैं समझता हूं कि अनुचित है। कई बार ऐसा ख्याल उठता है कि पखना में जो यात्री उतरेंगे उनको संकशा तक पहुंचने के लिये क्या प्रबन्ध होगा। क्योंकि उनका यह ख्याल रहता है कि जो यात्री पखना पर पहुंचेगा वह संकशा तक कैसे पहुंचेगा। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इसकी चिन्ता न करें। वहां तो जिसे आवश्यकता होगी वह अपने आप पहुंचेगा सवारी लेकर, तांगे होंगे और मोटरें भी पहुंच सकेंगी। वे यात्रियों को वहां ले जायेंगे। मेरे मित्र का शायद ऐसा ख्याल था, और उचित था कि यदि इस सिलसिले में यह सड़क भी बन जाय तो अच्छा है। लेकिन इसमें हमारी प्रदेशीय

सरकार कुछ अधिक नहीं कर सकती थी। सड़कों के बारे में प्रदेशीय सरकार ने जिले जिले से प्लानिंग कमेटीज से योजनायें इकट्ठा कीं। यहां भी हमारी पब्लिक वर्क्स की कमेटी ने अपने सिद्धांत बनाये और उनके अनुसार सड़कें रखीं। एक बात यह थी कि विभागीय दृष्टि से जो सड़क ज्यादा उपयुक्त हो उसे पहले लिया जाय। जो सड़क किसी एक जिले को दूसरे जिले से मिलावे या प्रादेशिक विशेषता को या नेशनल हाईवे को मिलावे, उनके टुकड़ों को पहले लिया जाय। यह संभव नहीं हो सका कि मेरे मित्र द्वारा बतलाई गई सड़क को भी उस प्लान में सम्मिलित कर लिया जाता।

नारायणदत्त जी ने माइक्रोफोन के संबंध में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी कि इसे आपने पूरक मांग द्वारा रखा। बल्कि उनका कहना तो यह था कि आप इसे पहले रखते बजट में, उसके बाद आप सप्लीमेंटरी ग्रांट मांगते। मैं उनका ध्यान स्मृति-पत्र की ओर दिलाऊंगा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने पूरक मांग क्यों रखी। जिस इंग्लैन्ड की फर्म ने हमसे यह तय किया कि वह हमारे एकाउस्टिक्स को, यहां की ध्वनि को, ठीक करेगी, उसने हमारे सामने कुछ शर्तें रखीं कि उन्हें इतना-इतना समय इस-इस कार्य के लिये चाहिये। हम स्वयं विवश थे क्योंकि बहुत समय के बाद वह एक फर्म मिली जिसने उस कार्य को करने का हमसे वादा किया। अगर हम इस कार्य को फौरन न करते तो हमारे लिये यह कार्य जुलाई में किया जाना संभव नहीं होता। इसलिये हमने पूरक मांग की है।

माननीय नारायणदत्त जी ने बुद्ध जयन्ती से संबंधित सड़कों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह धनराशि बार-बार अलग-अलग करके क्यों रखी गई है और एक ही बार रख दी जाती तो अच्छा होता। उसका एक भाग पहले बजट में रखा गया और एक बाद को पूरक बजट के द्वारा। संभवतः नारायण दत्त जी को ज्ञात है कि यह कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा हो रहा है। केंद्रीय सरकार ने सारी स्वीकृति हमको एक बार नहीं दी बल्कि समय-समय पर उनकी स्वीकृतियां आई हैं और उनके अनुसार हमने कार्य किया है। जैसे-जैसे धन आया हमने उसे पूरक मांग में रखा है।

मेरे मित्रों ने ज्यादातर इन्हीं चीजों की चर्चा यहां की और इन शब्दों के द्वारा मैं फिर इन मांगों को सदन के सामने उपस्थित करके यह चाहता हूं कि इनको स्वीकार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने जो तुलनात्मक रूप से उत्तर दिया उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने पूरक अनुदानों की जो परिपाटी बताई, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मत है कि जिस मद के लिये उस खाते में पहले से ही रुपया जमा हो, केवल खाते की तबदीली हो रही हो, उस सिलसिले में एकदम लाखों रुपये की मांग करना उपयुक्त नहीं है। जहां सड़कों की बात है, केन्द्रीय सरकार ने तो पहले ही ५७ लाख रुपये की स्वीकृति दे दी थी। उनके कहने के अनुसार यह ठीक हो सकता है कि जब केन्द्रीय सरकार पहले से नहीं बतलाती तो पूरक मांग अनुदान में लाने पड़ते हैं। लेकिन यह मद बिलकुल दूसरी है। इसमें भारत सरकार ने बुद्ध तीर्थों के लिये जितना रुपया रखा था वह पहले ही दे दिया था और खासतौर से मार्गों के निर्माण के लिये ५७ लाख रुपये का एस्टीमेट लिखा हुआ है। तो जब प्रान्तीय सरकार को मालूम है कि रुपया मिलने वाला है तो वह पहले से ही मांग लेती। बार-बार इसकी मांग करना और इस द्वितीय अनुपूरक अनुदान में भी मांग करना जरूरी नहीं होता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नैनीताल के बारे में मेरा यह कहना है कि वहां जगह है लेकिन वह माल रोड और जिन जगहों पर या सड़कों पर हम चलने के आदी हैं वहां से ऊपर है। हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि हम उन बंगलों का प्रयोग कर सकें। इसके लिये यदि वहां सरक्युलर मोटर रोड का निर्माण कर दें तो उन बंगलों तक पहुंचने में आसानी होगी। यह काम कम रुपये में होगा। हिमालय का दृश्य ऊपर से ही दिखाई देता है, इसलिये पर्वत-प्रेम के लिहाज से भी यही उपयुक्त होता कि ऊपर के बंगलों का प्रयोग किया जाय और मैंने तो इसी विचार से यह बात रखी कि नैनीताल के लोगों की भी यही मांग थी।

जहां तक माल एवेन्यू के बंगले का सवाल है, माननीय उपमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में वह शायद दो-बारा जांच करेंगे। मुझे आशा है कि उस समय वे सदन की भावनाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि उसके बारे में दोबारा जांच कराई जावेगी। नैनीताल के बंगलों के सम्बन्ध में सबको ज्ञात है कि एक-एक बंगले का एक सीजन के लिये ३-३ हजार रुपया किराया मांगा जाता है। जिस सरक्यूलर रोड का आपने, नारायण दत्त जी ने, जिक्र किया वह करीब सवा या डेढ़ लाख रुपये में बनेगी इन सब बातों को देखते हुये कौन सा मार्ग ज्यादा अच्छा है यह तो सदन ही निश्चय करेगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ५० के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ६४,५५,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१८

विपक्ष में---४१।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा तथा अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ६,०७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--लेखा शीर्षक: ५७--विविध के अन्तर्गत २५,४८,६०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुदान संख्या १८ का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि रामपुर में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था जो १० रुपया प्रतिमास किराये पर चलता था लेकिन सन ४९ में रामपुर राज्य के विलीन होने के पश्चात् उस मकान के मालिक ने उसको अपने निजी इस्तेमाल के लिए खाली कराना चाहा । लेकिन स्थान के अभाव के कारण स्कूल वहीं चलता रहा, उसके बाद उस मकान के मालिक ने डायरेक्टर शिक्षा विभाग के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा चलाया और उस मामले में राज्य सरकार को किराये और मुकदमे के लिए खर्च १६० रुपये १२ आने देने पड़े, उसके लिए मांग की जा रही है । इसी तरह से गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, मेरठ के खिलाफ कोर्ट में केस चला और उसमें भी १४४ रु० २ आना ६ पाई देने पड़े । इस तरह से कुल मिला कर यह ३०४ रुपया १४ आना ६ पाई का खर्च है । इसी तरह से राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए अब तक करीब ८२,००० रुपए की व्यवस्था थी जो कि ३८ प्रतिशत पूरे अनुदान की हुआ करती थी, लेकिन यह रुपया बहुत ही कम था, इसलिए सरकार इस चालू वर्ष में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वजीफों की संख्या दुगुनी कर दी जाय । अतः उसके लिए भी प्राविजन किया जा रहा है जिसके लिए यह अनुपूरक मांग प्रस्तुत है । यह रुपया कन्टिन्जेंसी से लेकर व्यय किया गया है, लेकिन यहां से पास हो जाने के बाद वह फिर वापस कर दिया जायगा ।

इसके अलावा इंटरमीडियेट बोर्ड में ७ लाख १५ हजार रुपए की कमी पड़ती है लेकिन १ लाख ९० हजार की धनराशि शिक्षा के बजट से पूरी की जायगी । अतएव ५ लाख २५ हजार की शेष धनराशि पूरक बजट से मांगी जा रही है । इसी तरह से नेशनल केडेट कोर में १८५८ विद्यार्थियों की वृद्धि के कारण करीब २ लाख ४२ हजार रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जिसमें से ५८ हजार की धनराशि केन्द्रीय सरकार से मिल जाया करेगी । इसी तरह से श्रम तथा समाज सेवा शिविर चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने रुपया स्वीकार किया है । राज्य आकस्मिक निधि से ३,७०९ रुपए की अग्रिम धनराशि दे दी गई है और स्वीकृति के बाद वह वापस कर दी जायगी ।

[डाक्टर सीताराम]

इसी तरह से अनुदान संख्या ३९ के अन्तर्गत मुझे कहना है कि हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहना तो मुश्किल है कि जुलाई में कितना दाखिला हो सकेगा, लेकिन इस सम्बन्ध में ८ लाख ३४ हजार ७ सौ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से २,१६,१०० रु० की पूर्ति तो अनुदान की बचत से हो सकेगी और बाकी ६,१८,६०० रुपये की धनराशि की जरूरत है जिसके लिए यह पूरक तखमीना आपके सामने प्रस्तुत है। इसके अलावा भारत सरकार ने भूतपूर्व अपराधशील जातियों के कल्याण के लिए १०·५० लाख रु० की व्यवस्था की है। इस समय आधा केन्द्रीय सरकार दे रही है और इस समय आधा इस सरकार को व्यय करना होगा। इसी तरह से अन्य बैकवर्ड जातियों के लिए २,८०,००० रुपए की व्यवस्था है जो कि अनुपूरक मांग रखी गई है। इसी तरह से अस्पृश्यता निवारण की योजना के लिए मांग है, जिसकी आवश्यकता है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दोनों प्रस्तुत अनुदानों के अधीन एक-एक रुपए की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, जो शिक्षा का अनुपूरक अनुदान हमारे सम्मुख है उसमें एक आइटम सेक्रेटरी, हाई स्कूल इंटरमीडियेट बोर्ड के कार्यालय में जो रुपया पहले स्वीकृत किया गया था उसके कम पड़ने के कारण अधिक रुपये दिये जाने का विधान इसमें रखा गया है। इसमें लिखा है कि ४५ लाख रुपये इस बोर्ड के लिये मूल बजट में दिये गये थे, लेकिन ७,१५,००० रुपये की आवश्यकता बोर्ड के दिन प्रति दिन के खर्च में हुई। इस सम्बन्ध में फिर वही बात कहनी है कि ऐसे संगठनों में जिनका इस्टैब्लिशमेंट आमतौर से घटता-बढ़ता नहीं है और अगर बढ़ता भी है तो उसके हेतु व्यवस्था वित्त की उसी समय की जाती है जिस समय बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है। तो इस प्रकार के एकदम खर्च की वृद्धि हो जाना जब तक कि विशेष कारण न हों उचित नहीं है। नोट जो है वह भी बिलकुल अधूरा है। इसमें खाली इतना लिखा है कि साढ़े सात लाख रुपये के खर्च की कमी पड़ गई, क्यों पड़ गई, कोई भी कारण इस नोट में स्पष्ट नहीं। तो इसलिये इस सम्बन्ध में जो अनुदान मांगा गया है वह मुझे उचित नहीं प्रतीत होता।

जहां तक हरिजनों और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में जो ग्रांट मांगी गई है उसका सम्बन्ध है इसमें करीब ८ लाख रुपये फीस में जो कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिये मांगी गई। इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना है कि सरकार का पूरक अनुदान द्वारा फीस के सम्बन्ध में रुपये मांगने का ढंग बदलना चाहिये, क्योंकि इससे होता यह है कि विद्यार्थी समय पर फीस नहीं दे पाता। जितनी परेशानी इससे होती है वह सरकार जानती है। अब इम्तिहान नजदीक है और सदन के सदस्यों के पास विद्यार्थी आते रहते हैं कि हम लोगों को वजीफा नहीं मिला, हम फीस नहीं दे पाये हैं तो यदि हम समय से बजट में व्यवस्था न कर पाये तब जो भी सहायता हम देते हैं उनके लिये उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं एक मिसाल देता हूं। हीवेट इंजीनियरिंग कालेज में जो ओवरसियर ट्रेनीज हैं वे अभी तक परेशान हैं उनको एक पैसा सहायता नहीं मिली है। तो हमें इस व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा और यह देखना होगा कि कितने विद्यार्थियों को हमें सहायता देनी होगी। इसका अन्दाजा लग सकता है विद्यार्थियों की संख्या देखकर और उसी के आधार पर हम अपने मूल बजट में व्यवस्था कर सकते हैं। एकाध लाख की अधिक व्यवस्था भी कर सकते हैं कि कहीं अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई तो उसका भी विधान कर सकते हैं।

इसमें आगे चलकर जो रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से आया है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। ग्रांट टु लैंड स्कूल इन सरोजनी नगर, लखनऊ। मैं नहीं जानता कि इस लैंड स्कूल से और हरिजन विभाग से क्या सम्बन्ध है क्योंकि यह लैंड स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक विशेष प्रकार से चलता है, इसमें एक विशेष प्रणाली है और इसलिये यह जो लैंड स्कूल की ग्रांट है वह किसी प्रकार से भी इस ग्रांट से सम्बन्ध नहीं रखती ।

यदि किसी दूसरे मद से यह आती तो हमको एतराज नहीं होता । यदि आप उसे ऐग्रीकल्चर की मद से देते तो एतराज नहीं होता, लेकिन हरिजन सहायक विभाग से आने में एतराज होने की बात है ।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—ऐग्रीकल्चर में कौन मद है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप प्रतीक्षा कीजिये । आपकी भी मद आयेगी । आपकी मद होती तो हम देने को तैयार होते । आपके द्वारा श्रीमन्, निवेदन कर रहा हूं । तो २० हजार हरिजन सहायक विभाग के नाम पर दिया जा रहा है । यह मेरे विचार से अनुचित है । इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि पब्लिसिटी के सम्बन्ध में तीन-चार दफा अनुदानें लिखी गई हैं । ये सब अनुदानें प्रचार के सम्बन्ध में, सर्वे करने के लिये, पब्लिसिटी और प्रकाशन के लिये मांगी गई हैं । सरकार ने इस साल नई नीति अपनाई है । जितना प्रकाशन, सूचना या पब्लिसिटी का काम हो वह सब इंफार्मेशन के जरिये से हो । डाक्युमेंटरीज के लिये एक फिल्म पुल बनाया जा रहा है। हर विभाग का साहित्य बुलेटिन या लिट्रेचर प्रकाशित हो वह इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के जरिये हो । यह सब इंफार्मेशन डिपार्टमेंट तैयार करेगा, बुलेटिन्स और फिल्म्स के रूप में यह तय हो चुका है। अब हरिजन सहायक विभाग के लिये हमें कुछ अलग से प्रकाशन, डाक्युमेंटरीज और साहित्य के लिये सरकार की उपरोक्त नीति के रहते हुए भी प्रबन्ध कर रहे हैं तो यह उचित नहीं था । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को जो नीति जाती है वह ज्यादा सोच समझ कर भेजी जायं । कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो केन्द्रीय सरकार हमारे पास भेजती है अपने इनिशियेटिव पर भेजती है और कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जिनको हम अपने इनिशियेटिव पर यहां से तैयार करके भेजते हैं केन्द्रीय सरकार के पास ताकि गवर्नमेंट आफ इंडिया उनके हेतु ग्रान्ट दे । जो हमारी स्कीम्स भेजी जाती हैं उन पर अधिक विचार करके भेजा जाय और इस प्रकार की मदें जो हमारी घोषित नीति के विरुद्ध हैं जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि हालांकि सूचना विभाग सारा काम करेगा लेकिन हरिजन सहायक विभाग की डाक्युमेंटरीज के लिये अलग से ग्रान्ट दे रहे हैं यह उचित नहीं है ।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमान माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान मांगा है और उसमें जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यदि सही तरीके से देखा जाय कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता क्यों पड़ी तो हमको सरकार की शिक्षा नीति की ओर भी जाना होगा और सरकार इस समय किस तरह से हरिजनोद्धार कर रही है या हरिजन विद्यार्थियों को सहायता दे रही है उस ओर भी हमको ध्यान देना होगा । श्रीमन्, मैंने इसके पूर्व यह निवेदन किया था और आज भी मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि हरिजनोद्धार के लिये, हरिजन विद्यार्थियों की सहायता के लिये सरकार बड़ी से बड़ी रकम मांगे तो हम उसे देने के लिये तैयार हैं और मैं तो इस सरकार से भी आगे जाना चाहता हूं क्योंकि श्रीमन्, हम जब समाज का विश्लेषण करते हैं उसमें इस बात को पाते हैं कि आज अपने देश में ३५ करोड़ की आबादी में मुश्किल से ५० लाख आबादी का प्रतिनिधित्व राजनीतिक और शिक्षा संबंधी संस्थाओं में हो रहा है । करीब साढ़े ३४ करोड़ जनता आज इस रूप में है कि उसके हक, उसके उत्थान के बारे में समुचित ध्यान नहीं दिया जाता । उसमें अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

अपना प्रदेश लिया जाय तो साढ़े ६ करोड़ की आबादी में १० लाख जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन के सम्मानित सदस्य करते हैं। बाकी सवा छः करोड़ जनता इस समय मूकावस्था में है। वह अपना सारा....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—हिसाब कैसे लगाया ?

श्री राजनारायण—इस हिसाब को श्रीमन्, यदि कोई दूसरा पूछता तो मैं समझता कि वह अनजान में ही पूछ रहे हैं। मगर जब माननीय परिपूर्णानन्द जी पूछ रहे हैं जो कि आंकड़ों के पंडित हैं तो उनको कुछ बताना पड़ेगा।

श्री हुकुमसिंह—काशी के दो पंडित हैं।

श्री राजनारायण—काशी में जरूर पंडित होते हैं। मगर वह कभी-कभी बहराइच के हुक्म पर चलने लगते हैं तो वह गलत काम कर जाते हैं।

यह देखें, माननीय परिपूर्णानन्द और इस सदन के अन्य सम्मानित सदस्य कि आज अपने प्रदेश और देश की जो शोषित पीड़ित जनता है और जो अपने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन से वंचित है वह कितनी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी की समझ में आ जायगी हमारी बात। मगर यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी केवल कैपिटलिस्टक बजट के ही आकड़ों को ही साबित करने में लगेंगे तो हमारी बात नहीं समझ पायेंगे। यह तो दृष्टिकोण का दोष है। जिसका जैसा दृष्टिकोण होगा वह उस दृष्टिकोण से अपने आंकड़े बना लिया करता है। जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया तो १९४६-४७ को बेसिस मान लिया, जो कोलम्बो पावर्स की कांफ्रेंस में तय किये हैं क्योंकि उस समय प्रोडक्टिविटी सब से कम थी। अगर प्री वार लेना है तो १९३९ के पहले जाना चाहिए था। यह बात तो दूसरी है। मैं यह कह रहा हूं कि अभी यहां से कोई माननीय सदस्य कानपुर चले जायं। कानपुर के डी० ए० वी० कालेज में क्या कोई हरिजन छात्र वहाँ के होस्टल में खाना खा सकता है ? आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं और हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं और हमने सरकार को भेज भी दिये हैं कि वहां अब भी हरिजन छात्रों को होस्टल में खाने नहीं दिया जाता। जो सामान्य मेस है उसके पास उनको खाना भी बनाने नहीं दिया जाता और करीब १५ दिन पहले वहां के हरिजन छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल ७,८ के करीब हमारे पास आया। हमने कहा कि एक मर्तबा और चांस लो। जरा माननीय मंत्री जी की सेवा में चले जाओ। वह माननीय मंत्री जी की सेवा में भी गया। माननीय मंत्री जी से जो बातें हुईं वह भी हमें मालूम है। लेकिन एक ढिंढोरा पीटने के लिए और वोट कैचिंग डेवाइस, हरिजनों के वोट प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि हरिजनों की सहायता के लिए रकम चाहते हैं, मगर यह सदन नहीं देता है या उनकी फीस माफ करने के लिए तथा उनको विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए पैसे की जरूरत है। सोशलिस्ट पार्टी तो यहां तक कहती है कि आप उनके खाने और जीवन निर्वाह के साधन भी उपलब्ध करें। तब जा कर काम चलेगा। केवल थोड़े से पैसे को लेकर और फिर उसका बटवारा कैसे होता है। वह हरिजन छात्र जो कि सरकार की नीति का पोषक होगा उसको सहायता मिल जाती है और ऐसे प्रतिभा सम्पन्न हरिजन विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जिनको आज भी फीस की सहायता नहीं मिल रही है। आपने लाल बत्ती बार दी। आगे मैं यह भी बता दूं कि राजनैतिक पीड़ित छात्रों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी इसमें और पैसे की आवश्यकता सरकार बता रही है। कौन से राजनीतिक पीड़ित हैं ? किन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को सहायता प्रदान हुई है ? मैं जानता हूं, लिखते-लिखते परेशान हो जाता हूं। ऐसे राजनीतिक पीड़ित जिन्होंने मंत्रियों से बढ़ कर भी स्वातंत्र्य संग्राम में काम किया है, आज उनके बच्चे तरस रहे हैं। आज उनको सहायता नहीं मिलती है और माननीय मंत्री जी की सेवा में चाहे दस-दस, पांच-पांच पत्र भेजे जायं तब कहीं जा

कर कुछ हो जाता है। कभी २०० या १०० रु० या ४०,५० रु० इस तरह से उनको दान समझ करके दे दिया जाता है। यह उचित नहीं है। यह तो हक है हमारा अगर आप हक मानते हैं तो उसको हक की तरह बटवारा होना चाहिये। मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक सज्जन आये जो असेम्बली कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी रहे होंगे, कहा कि राजनीतिक पीड़ित को पेंशन देने के अफसरान कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में यहाँ बैठे हुए हैं। जरा आप चल करके देख लीजिये कि बनारस में जिनको पेंशन मिलनी है उन सबका नाम आ गया है या नहीं। क्यों कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में वे जायं, क्या कांग्रेस पार्टी कोई सर्वदलीय संस्था तो है नहीं। वे सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में क्यों नहीं आते हैं। सोशलिस्ट पार्टी देश की क्रांतिकारी संस्था है उसके दफ्तर में न जायं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जायं और उसके दरवाजे को जाकर खट-खटायें कि हम राजनीतिक पीड़ित हैं। राजनीतिक पीड़त छात्रों के लिये....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण--एक मिनट का समय और दे दें श्रीमन्, हमने तो सिद्धान्त की बात बता दी कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो तानाशाही, जो अराजकता और मनमाने पन की मनोवृत्ति सरकार चला रही है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रीयेट कर रही है हर जाति में, वह माननीय मंत्री जी न करें। माननीय मंत्री जी यदि कोई ऐसा सुझाव रखें हरिजन छात्रों को फ्री भोजन हो, हरिजन छात्रों के अन्दर जो विषमता बरती जा रही है उसका समूल नष्ट हो, जितना भी पैसा हो देने के लिये हम तैयार हैं। मगर ऐसे नहीं कि डा० सीताराम पैसा लेकर जो उनकी रीति नीति के मुताबिक हरिजन छात्र चले उसीको अनुदान से पैसा दें, यह काम हरगिज २ नहीं होना चाहिये। इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिये हम चाहते हैं कटौती होनी चाहिये और हम इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, मुझे क्षमा करेंगे यदि इस सदन में माननीय राजनारायण जी को इधर भाषण देते देख कर कुछ आश्चर्य होता है। श्रीमन्, वह इसलिये आश्चर्य होता है कि अभी हमको उन्होंने यह बताया था और आपके द्वारा चेतावनी दी थी कि यदि सदस्यों के भत्ते वाला बिल पास हो जायगा तो वे त्यागपत्र दे देंगे और उन्होंने अपनी पार्टी से त्यागपत्र की अनुमति मांगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्र या तो बैरंग गया था या उनकी पार्टी ने समझा कि जरा समझदारी से काम लेना चाहिये, ऐसा काम नहीं करना चाहिये। अस्तु जो कुछ भी हो, माननीय नारायणदत्त जी ने इस अनुदान के विरोध में जो विचारणीय बातें कहीं...

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह ऐक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि जब उस समय माननीय परिपूर्णानन्द बोल रहे थे और मैं जा रहा था मैंने उनसे कहा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इसी तनख्वाह के बिल को लेकर निपटेंगे बाराबंकी के मैदान में। तमाम पत्रकार यह सुनते रहे होंगे और आपने रिजल्ट देखा कि बाराबंकी.....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, यह तो इनके उस समय के भाषण की रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हो जायगा। अब बात छिपाने से क्या लाभ? बहरहाल श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त जी ने दो चार बातें कहीं। अब माननीय राजनारायण जी ने एक ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता में १० लाख के ही प्रतिनिधि वहां हैं। बाकी सब लोग मूक हैं। मैं नहीं समझता कि जिनको स्टेटिस्टिक्स का ज्ञान है, कौन सा हिसाब किस तरह लगाया जा सकता है जिससे यह बात कह दी जाय। यों तो कुछ लन्तरानी और कुछ लटके हैं जिनमें कुछ बातें कह दी जाती हैं। बहरहाल हमारा समय इनकी बातों से नष्ट होगा, हमारा दुर्भाग्य है कुछ दिनों तक और नष्ट होगा। बहरहाल

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

श्रीमन्, निवेदन यह करना है कि इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की प्रणाली में विश्वास करने वाला हो, हमेशा कौन किसका कितना प्रतिनिधित्व करता है यह उससे आंका जाता है कि चुनाव में कितने लोगों को वोट लेकर के लोग आये हैं। यही एक स्टेटिस्टिकल सिद्धान्त है। जो जरा भी कुछ जानता होगा वह इस बात को समझ सकता है। लेकिन वोटरों की संख्या से यह दस लाख वाली बात कैसे निकल आयी। श्रीमन्, इससे एक बात यह मालूम होती है कि राजनारायण जी की बुद्धि की व्यापकता कितनी बढ़ गई है। अस्तु, श्रीमन्, इसको तो छोड़ दिया जाय। दूसरी बात मैं एक और निवेदन करूं इसी सम्बन्ध में। आपने तो अच्छा किया, जो राजनारायण जी को रोक दिया। कहां राजनीतिक पेंशन और कहां कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है मैंने खुद देखा है श्रीमन्, कि मुख्य मंत्री के दफ्तर के पास एक कमरा है, उसमें विशेष अधिकारी आकर बैठते हैं और सबको बुलाते हैं और पूछते हैं कि बताइए किसको पेंशन मिले और किसको नहीं मिले। एक दिन कोई किसी से मिलने कहीं चला गया तो उसमें कौन सी ऐसी बात हो गई। तो यह तो बातें हुआ करती हैं। राजनारायण जी की बातों का उत्तर क्या दिया जाय। उनको तो भुला देना ही अच्छा है।

श्रीमन्, माननीय नारायण दत्त जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में आपत्ति की कि इस प्रकार के खर्चे का अनुमान किया जा सकता था कि ऐडीशनल सेक्रेटरी के लिए जरूरत पड़ेगी। मैं निवेदन कर दूं कि इंटरमीडिएट बोर्ड वह संस्था है जिस संस्था के द्वारा सरकार की आर्थिक हानि नहीं होती, लाभ होता है। इंटरमीडिएट बोर्ड की जो आमदनी होती है वह रेवेन्यू एकाउन्ट में है, लेकिन उस पर जो खर्च होता है वह शिक्षा विभाग के बजट में दिया जाता है। इस बजट के स्मृति-पत्र में समझा दिया गया है कि इतने लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। इन लाखों विद्यार्थियों के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का काम, पैनल आफ इंस्पेक्शन और साथ ही साथ पाठ्यक्रम सम्बन्धी बहुत सी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड के पास इतना काम बढ़ गया है कि बीच में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि एक ही सेक्रेटरी इस समूचे काम को अकेले नहीं संभाल सकता। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि अतिरिक्त सेक्रेटरी के पद की नियुक्ति की जाय जिसको उतने ही पावर्स हों जो कि सेक्रेटरी के बराबर काम कर सके। और सबसे बड़ा प्रश्न श्रीमन्, जो कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सामने आता है वह परीक्षा लेने की तैयारी करना है। चार लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेना, परचे छापना, उन परचों को भेजना और साथ ही साथ ऐसे नये तरीके निकालना जिससे कि विद्यार्थी उन परचों का पता न लगा सकें और यह न मालूम कर सकें कि किस परीक्षक के पास कापी जाती हैं, यह तमाम बातें हैं जिनका इंतजाम करना होता है और गत वर्ष परीक्षा की जो प्रणाली चलाई गई उससे इतना लाभ हुआ है कि बहुत ज्यादा करप्शन रुक गया। तो उसके लिए ऐडीशनल सेक्रेटरी की पोस्ट का होना अनिवार्य था और इसीलिए यह रखा गया। मैंने केवल यही सूचना देने के लिये आपसे अनुमति मांगी थी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ३९ का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, पिछले साल एक सप्लीमेंटरी बजट में करीब आठ लाख रुपया अपराधशील जातियों को बसाने के लिये भारत सरकार से मिला था, और उनके बसाने के लिए सरकार ने उद्योग किया, परन्तु आठ लाख रुपये में से कुछ मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ एक गांव भंटपुरवा जो लखीमपुर जिले में है, सरकार ने बसाया और वहां भी उनके लिए मकान जिस तरीके से बनाये गये हैं, उसके लिए क्या कहा जाय। आज अच्छे से अच्छा मकान बनाने के लिये सरकार के पास माडेल हैं, लेबर के मकान, मजदूरों के मकान जिस तरीके से

बन रहे हैं, उसके भी तमाम माडेल लखनऊ और कानपुर में और दूसरी जगहों में मिल सकते थे, परन्तु हमारे हरिजन सहायक बोर्ड ने जिस माडेल को अख्तियार किया है, चुना है, उसे देख कर हमें दुख होता है। चूहेदानी बने हैं जिनमें चूहा भी ठीक से नहीं रह सकता है। इस तरीके के मकान बनाये गए हैं। आज वह जाति जिस स्थिति में है वह समाज के लिए एक कलंक है और कांग्रेस सरकार का फर्ज है कि उस कलंक को धोने के लिए वह हर तरह के उपाय करे। उनको मौका देना चाहिए जिससे कि वह अच्छे नागरिक बनें। आज उनको कहीं भी सर्विस नहीं मिलती है जब कि और हरिजनों को नौकरियां मिलती हैं, वह जहां जाते हैं चोर और डाकू के नाम से बदनाम हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ कर आगे नहीं बढ़ पाते बदनामी के कारण। मैं तो आज सरकार से विनय करूंगा कि आज भारत से जाति भेद को मिटाया जा रहा है, लेकिन उसी जाति भेद को हमारी जातियों में शुरू किया गया है। १६ जातियां क्रिमिनल ट्राइब्स की हैं लेकिन भटपुरवा में केवल एक ही जाति के लोग बसाये गये हैं। मुझे सरकार से अनुरोध करना है कि सोलहों जातियां उसमें बसाई जायं, जिससे उनकी चोरी करने की मनोवृत्ति खत्म हो। अगर एक ही जाति के लोगों को बसाया जायगा तो उनकी चोरी करने की पद्धति चालू रहेगी।

इसके अलावा सरकार कुछ संस्थाओं को धन से सहायता देती है। मुझे सरकार से कहना है कि इसी सदन के ५० हरिजन एम० एल० एज० ने मुख्य मंत्री को लिखकर दिया कि वह धन एक संस्था को न दिया जाय और हाउस के कुछ नेताओं के कहने से ८ या ९ हजार रुपया भारत सरकार हरिजनों में प्रचार करने के लिये दे रही है। वह धन उनको न दिया जाय। परन्तु सरकार ने वह रुपया उपरोक्त नेताओं को दे दिया। लेकिन वह हरिजनों के काम में नहीं आया, सिर्फ चन्द अखबार वगैरह छाप दिये गये और उसके बाद वह रुपया खत्म हो गया। मुझे सरकार से कहना है कि वह रुपया सही माने में उनके उत्थान के लिये खर्च होना चाहिये। मेरा तो कहना है कि अपराधशील जातियों को भी उसमें से मिले जिससे उनकी जाति की जो मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन करने में वह सहायक हो सके।

मुझे आपसे एक बात और कहनी है। सरकार दो फिल्में हरिजनों पर बनाने जा रही है। तो उसे एक फिल्म अपराधशील जातियों पर भी बनानी चाहिये। मैं सरकार को यह भी बता देना चाहता हूं कि समाज में आज भी वे चोरी करते हैं क्योंकि उनके खाने-पीने का कोई साधन नहीं है। तो कुछ लोगों को लेकर जिस ढंग से वे चोरी करते हैं उस ढंग की अगर फिल्म तैयार की जाय तो समाज के लिये बहुत कल्याणकारी होगा और जनता भी कुछ होशियार हो जायगी और उन जातियों के अन्दर भी एक भावना पैदा होगी कि हम यह नीच काम छोड़ दें।

अभी नारायणदत्त जी ने विरोध में कहा कि सरोजिनी नगर लैंड स्कूल को २० हजार की सहायता दी जाती है। इस सदन के एक माननीय उपमंत्री, ठाकुर फूलसिंह जहां भी जाते हैं वहां यह साफ-साफ कहते हैं कि हर क्षत्रिय को हल चलाना चाहिये। इसके कारण पूर्वी जिलों में हम लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गयी है। अगर सब लोग हल जोतने लगेंगे हम लोग जो हलवाये का काम करते हैं वे सब के सब बेकार हो जायंगे और हमारे खाने की समस्या सरकार के सामने और आ जायेगी। इसलिये जो लैण्ड स्कूल है उसमें मुझे उम्मीद है कि हरिजन लड़के काफी तादाद में लिये जायेंगे। जिससे बेकारी की समस्या हल होगी और उनके परिवार को भोजन का सहारा हो जायेगा।

[श्री गंगाप्रसाद]

साथ ही मुझे एक और चीज कहनी है। हाउस में बहुत कम बोलने का मौका मिलता है। बहुत से भाई कहते हैं कि हरिजनों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, उनकी फीस माफ है। मैं कहना चाहता हूं कि कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। सबों को नहीं मिलती, जिनकी पहुंच होती है, वे पा जाते हैं। मेरा तो कहना है कि फीस तो सब की माफ है लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में बच्चों को फीस भी देनी पड़ती है। मुझे आशा है कि सरकार उनकी फीस भी माफ करेगी। राजनीतिक पीड़ितों के बारे में भाई राजनारायण जी ने कहा। सरकार से एक लिस्ट मांगी जाती है कि किनको पेंशन दी जाय और किनको न दी जाय और ज्यादातर जो विरोधी दल के लोग हैं उनको ही पेंशन दी जाती है, क्योंकि हम लोग तो दस्तखत वगैरा करने में ही रह जाते हैं और वह जल्दी से दस्तखत कर देते हैं और उनको पेंशन मिल जाती है। इसलिये हम कहते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों के बारे में जो नीति अपनाई जा रही है वह गलत है। इसलिये इस नीति को न अपनाया जाय और जिन राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन मिल सकती है उनको दी जाय और जिनको नहीं मिल सकती है उनको न दी जाय। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, मैं अपने लायक दोस्त से सहमत हूं और मैं यह समझता हूं जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि ठाकुर फूलसिंह साहब को यह नहीं कहना चाहिये कि हर ठाकुर को हल जोतना चाहिये वरना उनको शक है कि उनका रोजगार उनके हाथ से निकल जायगा। मैं यह समझता हूं और आपके जरिये माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि अगर वह इस बात का ख्याल रखें और अहतियात रखें तो बावजूद सब कोशिशों के ठाकुर साहब अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन सूरत तो नजर यह आती है कि पहले तो एतराज होता है, घबराहट होती है और जब मजबूर होकर लोग करने लगते हैं तो उनको शिकायत उत्पन्न होती है कि हम बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर अपनी जगह पर यह खायेदारों से काम लें और ठाकुर साहब भी यह कहना बन्द कर दें तो दोनों का काम सुचारुरूप से चलने लगेगा।

मान्यवर, मैंने यह नहीं समझा थाकि नारायणदत्त जी ने आपत्ति की कि लैंड स्कूल को २० हजार रुपये क्यों दिये जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि उनकी आपत्ति क्या है। अगर ऐसी ग्रांट में उनकी यह शंका इसके पढ़ने से दूर हो सकती है और उसका समाधान हो सकता है। श्रीमन्, मुझे भी इस स्कूल को राज्यपाल महोदय के साथ देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सचमुच में वह ऐसी संस्था है जिसको सरकार को हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहिये।

मान्यवर, हरिजन सहायक बोर्ड और सरकार भी हरिजनों की उन्नति के लिये लालायित है और जो कुछ किया जा रहा है उससे हरिजन इंकार नहीं कर सकते हैं और उनकी शिकायत भी उचित है कि जितना रुपया उनके लिये सरकार द्वारा दिया जाता है, वह उन पर सर्फ नहीं हो पाता है या जिस ढंग से खर्च होना चाहिये वह नहीं हो पाता है जिससे वह अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, वह रास्ता नहीं अपनाया जाता है।

मान्यवर, पब्लिक फिल्म्स और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप इस मैदान में लाना चाहते हैं और हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि अभी आपको इतनी लम्बी छलांग नहीं मारनी चाहिये और हरिजनों की वस्तु-स्थिति को देखना चाहिये और जो मामूली चीजें जैसे पीने का पानी का कुंआ या बच्चों की पढ़ाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये आर्थिक सहायता या वजीफे में जो कठिनाई है उनको हल कीजिये। हरिजनों के लिये जो सरकार ने किया है उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी मांग भी उचित है कि उनके लिये जितना रुपया सर्फ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है या जितना आप देते हैं वह ठीक ढंग पर खर्च नहीं हो पाता है।

मान्यवर, मैं ग्रांट नं० १८ के सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से यह बताना चाहता हूं कि गर्ल्स हाई स्कूल, बिलासपुर के मकानमालिक को जो १० रुपये के लिये मुकदमा दायर करना पड़ा तो उस सम्बन्ध में जो रकम की मांग है उसको देने में हमें कोई इन्कार नहीं, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि आपके जिले के अफसरान जो हैं वह क्यों इस छोटे से मसले को भी सुलझा नहीं पाये। आप १६० रु० मांगते हैं, हम ३६० रुपया देने को तैयार हैं, सदन को उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन आपके जिले के जो अफसर हैं, क्या वह सोते रहे? क्या उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि थोड़े से परिश्रम से फैसला करके हम इस काम को हल कर सकते थे? इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया। श्रीमन्, आपको मुझे फिर टोकना न पड़े इसलिये मैं बैठ जाता हूं और आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हरिजनों के अनुदान में हरिजनों के लिये जो मांग की गई है उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि अभी गंगा प्रसाद जी ने बतलाया कि ठाकुर साहब ऐसा प्रचार करते हैं कि ठाकुर लोग हल चलावें और इससे हरिजनों का रोजगार जाता है, मैं अपने माननीय साथी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो अच्छे से अच्छा कार्य हरिजनों के लिये करती है उसमें भी बुराई है और जो बुरा काम है वह तो बुरा है ही? इसके अलावा एक बात और मेरी समझ में नहीं आती। इसके पहले जब हमारी सरकार हमारे लिये कुछ नहीं करती थी तो क्या था? कितने हरिजनों की फीसें हमारे उत्तर प्रदेश में माफ थीं, कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती थीं, कितने पुस्तकालय हम लोगों के लिये खुले थे, कितने स्कूल हम लोगों के लिये खुले हुए थे? आज हमें कम से कम इस सरकार को यह तो बधाई देनी चाहिये कि उसने हमें इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि हम अपने लिये मांग भी मांगते हैं और आज हम इन्सानियत के नाते से पुकारे जाते हैं। जहां तक हल जोतने की बात है यह तो हरिजनों के मुकद्दर में लिखी है। आप तो चोरी करते हैं। चमारों का धन्धा है हल जोतना। तो आप अपनी चोरी की बात करते हैं, डाके डलवाने की बात करते हैं, चमारों को तो हल चलाना है और नहीं तो उनके पास और दूसरे धंधे भी हैं जो वह कर सकते हैं। वह नये-नये धन्धे अपना रहे हैं। क्या श्रीमन् जी बतायेंगे कि सरकार ने हल जोतने में क्या सहायता दी है? आप अपनी चोरी के लिये कहते हैं, सरकार चोरी बन्द करना चाहती है, डाके न पड़ें इसका प्रबन्ध कर रही है, जेबकतरी न फैले, इसका प्रबन्ध हो रहा है, लेकिन आपने उदाहरण क्या दिया कि अगर चमार हल जोतेंगे तो उनकी बेकारी दूर हो जायगी। अगर हल नहीं जोतेंगे तो बेकारी बढ़ेगी? क्या आपका अभिप्राय है इसके कहने से? आज मैं अपने साथी को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रान्त का निवासी है वह चाहे ठाकुर हो, बनिया हो, हरिजन हो, हर एक को इसमें परिश्रम करने का और उसके बाद उससे वह जो पाता है उससे अपना जीवन निर्वाह करने का अधिकार है। हल चलाना या कोई दूसरा धंधा किसी के मत्थे नहीं लिख दिया गया है और हमें अपनी सरकार का अत्यन्त आभारी होना चाहिये कि सरकार जितनी सहायता हमारी कर रही है किसी प्रदेश की सरकार ने उतना आज तक नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सीताराम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ध्यानपूर्वक श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री राजनारायण और श्री गंगाप्रसाद जी के भाषणों को सुनता रहा। यह बड़े ही सन्ताप की बात है कि श्री नारायण दत्त जी यहां पर सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी आपत्तियां सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं उस सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा।

उन्होंने बताया कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद के लिये सरकार ने अतिरिक्त अनुदान करीब ७ लाख १५ हजार की मांग की है। उसमें उन्होंने यह पूछा है कि इस मांग की वृद्धि का क्या कारण है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जहां तक विद्यार्थियों की संख्या का सम्बन्ध है उसको अगर हम १९४६ से लेकर अब तक देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि १९५५-५६ में हाईस्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षा के लिये जो विद्यार्थी बैठे उनकी संख्या करीब ३ लाख ८ हजार तक पहुंच चुकी है। आनसर बुक्स, पेपर्स की छपाई या एग्जामिनर्स की रेमुनरेशन को ध्यान में रखते हुये यह ज्ञात होगा कि रुपये की काफी वृद्धि हुई है। इम्तिहान के लिये विद्यार्थियों से फीस जो जमा कराई जाती है वह राजस्वकोष में जाती है। उससे और कोई सम्बन्ध नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से अधिक खर्च होगा और इसलिये अतिरिक्त मांग की गई है। तिवारी जी ने कहा कि क्या कारण है कि हरिजन विद्यार्थियों के कारण सरोजनीनगर में २० हजार रुपये की व्यवस्था की गई। यह सम्भव है कि हरिजन विद्यार्थी भी वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करें और यह रुपया रक्खा गया है। जितने भी हरिजन विद्यार्थी प्रिवेट इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ते हैं सभी को छात्रवृत्ति मिलती है। फीस के लिये हरिजन सहायक विभाग के संचालक ने उचित कार्यवाही कर दी है और शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी होने की सम्भावना पाई जाती है। श्री तिवारी जी ने यह रखा कि सरकार अलग से पब्लीसीटी करा रही है। डाक्यूमेन्टरी फिल्म्स, प्रोपैगेंडा इत्यादि में हजारों और लाखों रुपया खर्च कर रही है। जहां तक और डिपार्टमेंट्स की बात है वहां तो डाक्यूमेंटरी फिल्म्स या प्रचार के सम्बन्ध में जो फिल्में बनती हैं वे उस विभाग तक ही सीमित नहीं रहतीं बल्कि सूचना विभाग की ओर से दूसरे विभागों के सम्बन्ध में भी फिल्में बनाई जाती हैं। मुझे यह कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि इस देश में हरिजनों के लिये चाहे आप कुछ भी कर दें, लेकिन अस्पृश्यता इस देश में रही तो यह समाज के लिये बहुत बुरी बात होगी, सारे समाज के लिये। दुनिया के किसी भी भाग में इस प्रकार का कोढ़ उस देश के लिये कलंक है और वह उस देश की मानवता के लिये अभिशाप की वस्तु है। सरकार ने देखा कि हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है और सोचा कि किस प्रकार हम इस सामाजिक संकीर्णता को दूर करें। अगर अलग से डाक्यूमेंटरी फिल्में बनें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें से आधा रुपया केन्द्रीय सरकार देती है और आधा हम देते हैं। जो क़दम हमारी प्रादेशिक सरकार ने उठाया है और प्रदेशों की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि वैसा कदम किसी भी प्रदेश की सरकार ने भारत भर में डाक्यूमेंटरी फिल्म को बना कर नहीं उठाया है कि अस्पृश्यता को दूर किया जाय। जैसा कि हमारे देश के नेताओं का निश्चय है, उसे पूरा करने के लिये कांग्रेस सरकार हर तरह से जागृत है।

राजनारायण जी ने मेरा नाम प्रस्तुत किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि कानपुर डी० ए० वी० कालेज के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जांच हो रही है। और वहां के हरिजन विद्यार्थी कल रात पौने बारह बजे तक मेरे पास बैठे रहे। समाजवाद के लिये जो डींगे हांकने का दावा करते हैं, मैं श्री राजनारायण जी से कह देना चाहता हूं कि श्री राजाराम शास्त्री के पास हरिजन विद्यार्थी पहुंचे, कल पौने बारह बजे आकर हरिजन विद्यार्थियों ने हमें यह सूचना दी है। राजाराम शास्त्री डी० ए० वी० कालेज में गये और वहां के प्रिंसिपल से बात करने के बाद उन्होंने यह चीज प्रिन्सिपल

और अधिकारियों के सामने कही है कि हरिजनों के लिये यह शोभा की बात नहीं है कि वह लोग यहां लड़ाई लड़ें। उन्होंने इस तरह से हरिजनों के लिये ढोंग का प्रचार किया है। उस सम्बन्ध में इनक्वायरी कराई जा रही है और हम सदन को विश्वास दिलाते हैं कि इस सम्बन्ध में अगर सच्ची रिपोर्ट सरकार के सामने आई तो सरकार उसके प्रति सक्रिय कदम उठावेगी। मैं अपने माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि सरकारी आंकड़ों को आप देखें हर प्रदेश के तो ठीक बात मालूम हो जायगी। मदरास लेबर डिपार्टमेंट को मिला कर सब रुपया जो खर्च किया जाता है, यू० पी० का आंकड़ा उससे ज्यादा है अगर हम लेबर डिपार्टमेंट का उससे निकाल दें। तिवारी जी ने कहा कि हरिजनों के लिये हर साल इस तरह से व्यवस्था क्यों की जाती है। मैं उनको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि हरिजनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती ह। सन् १९४६ में हरिजनों की संख्या सिर्फ १ लाख ३८ हजार के लगभग थी लेकिन सन् १९५५–५६ में वह बढ़ कर, उन हरिजन विद्यार्थियों की संख्या जो प्राइमरी शिक्षा से यूनिवर्सिटी तक शिक्षा पाते हैं, १४ लाख के करीब पहुंच गई है। यह ठीक-ठीक मालूम नहीं हो सकता कि जुलाई में कितने हरिजन विद्यार्थी विद्योपार्जन करेंगे या भर्ती होंगे। इसलिये हम सही सही आंकड़े बजट में नहीं दे सकते और कारण है कि अनुपूरक अनुदान की मांग करना अनिवार्य होता है।

इसके अलावा भाई गंगाप्रसाद जी ने बतलाया अपराधशील जातियों को छुआछूत दूर करने के लिये ग्रान्ट दी जाय और फिल्म भी बनाये जावें।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हरिजन सहायक विभाग से पहले डाकूमेन्टरी फिल्म अपराधशील जातियों के सम्बन्ध में बना है। उन्होंने उन जातियों को बसाने के बारे में कहा। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बसाने का कार्य सरकार इस प्रान्त के बहुत से जिलों में करने जा रही है। केन्द्रीय सरकार भी इसमें आधा रुपया देती है। इस प्रकार से लखीमपुर खीरी जिले की ४ और ऐसी कालोनी बसाई जावेंगी इसमें एक ही जाति का प्रश्न नहीं है। बल्कि और भी लोग जा सकेंगे। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से इंजीनियरों ने यह जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ले ली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें माननीय सदस्यों की ओर से पेश की गयीं हैं और कहा गया है कि कमरे छोटे हैं, तो वे कमजोरियां भी निकट भविष्य में दूर हो जायंगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि यह अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ६,०७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान—लेखा शीर्षक ५७—विविध के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान---लेखा शीर्षक ५७---विविध के अन्तर्गत २५,४८,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---श्रीमन्, सीरियल नंम्बर १, २, २९ पर जो मांगें हैं वे एक साथ ले ली जायं, २५ और ४२ पर जो मांगें हैं वे एक साथ ले ली जायं। इसके अतिरिक्त ३ और ६ नम्बर की मांगें आबकारी की हैं।

श्री अध्यक्ष---यदि ये सब मांगें एक साथ ले ली जायं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक ४---कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी, अनुदान संख्या ३४---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि, अनुदान संख्या २९---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग और ४४---उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४८---लेखा शीर्षक ८२---कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३---लेखा शीर्षक ८---राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या ६---लेखा शीर्षक ११---रजिस्ट्री

श्री चतुर्भुज शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या १---कृषि आयकर की उगाही पर व्यय---लेखा शीर्षक ४---कारपोरेशन और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९---परिवाहन विभाग---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग और ४४---उड्डयन के अन्तर्गत ८०० रुपये की पूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८---कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत---लेखा शीर्षक ८२---राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३---लेखा शीर्षक---८---राज्य आबकारी के अन्तर्गत ८,८३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी, अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४— दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि, अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४८— लेखा शीर्षक ८२— कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक ११—रजिस्ट्री

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक ११—रजिस्ट्री के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने तो यह आबकारी मंत्री की ग्रांट भी पेश कर दी।

श्री राजनारायण—वह कैसे हो गई?

श्री अध्यक्ष—वह गलत समझे। अभी तो यह पहली ही चलेंगी, वह तो बाद में ली जायंगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों को राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है उन सबमें मैं एक-एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। समयाभाव से सभी बातों पर प्रकाश डालना तो संभव नहीं है। मैं एक बात की ओर खास-तौर से इस समय ध्यान दिलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—आपका कटौती का प्रस्ताव आबकारी विभाग को छोड़कर और मांगों पर है, वह तो अभी सामने नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—हमारे सूबे में कम से कम अगर शासन की दृष्टि से देखा जाय तो आधे से अधिक काम इसी विभाग के जिम्मे है और उसका काम यह है कि वह कागजात यानी रिकार्ड्स ठीक रखे। मैं इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि मालगुजारी विभाग अपने कागजात को ठीक करने में न सिर्फ गलती करता है बल्कि वह तो सारे देश के महत्व को नहीं समझता, सारी योजनाओं को नहीं समझता और उसके जरिये से जो कागजात तैयार होते हैं और जिन कागजात के आधार पर यह सारी हमारी योजनायें बनी हैं उनको ठीक नहीं करता। यह अफसोस की बात है कि वे कागजात अधिक फर्जी नहीं तो पर्याप्त मात्रा में फर्जी हैं। एक उदाहरण दे दूं। अभी इसी यात्रा में मैं घर गया था तो वहां एक हलके के लेखपाल के कागजात को देखा। उसमें १३६२ फसली की खरीफ की परताल अभी तक आठ गांवों की नहीं है और यह १३६३ फसली है। अब सोचिये स्टेटमेंट्स बन चुके हैं और सारे आंकड़े इस वक्त इकट्ठा हो गये हैं गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में और उन गांवों की भी इसमें बात आ गई होगी कि उसमें इतना मन फी एकड़ पैदावार हो गई। उस पटवारी के हलके की सारी चीजों की जानकारी मैंने सबडिवीजनल आफिसर साहब के सामने करा दी कि जून सन् ५५ से लेकर इस वक्त तक २६ फरवरी तक डायरी फर्जी थी रोजनामचा खाली है। तो इस तरह से कागजात तैयार होते हैं और जब हम कहते हैं तो हमसे कहा जाता है कि तुम तो जेनरलाइज कर देते हो एक जगह से सारी जगह का हिसाब लगा लेते हो। हम तो इतनी ताकत नहीं रखते कि सारे सूबे के कागजात को देख सकें। थोड़ी सी जगहों के कागजात को देख सकते हैं और अगर उसका यह तजुरबा होता है तो फिर सारे प्रदेश के कागजात का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस बीमारी से झगड़े बढ़ेंगे। मैं उसी कागज का शिकार होने जा रहा हूं। उसी हलके के कागज का जिसका मैंने जिक्र किया। उसी तहसील में खरीफ की फस्ल ८ आना १० आना और १४ आना तक खराब हुई लेकिन वहां के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हाकिमों ने लिख दिया कि सिर्फ ११४ गांवों की फसल खराब हुई। जितने एम० एल० एज० हैं सब कहते हैं, पब्लिक वर्क्स हैं सब कहते हैं कि हुजूरवाला, आपका हिसाब किताब गलत है लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक कलेक्टर तक कोई सुनने वाला नहीं है। यह सही है कि वह अब सरकार के पास है शायद सरकार उसका कुछ फैसला करे, लेकिन हम इस तरीके से तो सारे सूबे के लिये जेनरलाईज करने पर मजबूर हैं।

अब एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है। हजारों काश्तकार बेदखल किये जा रहे हैं। उनके लिये सरकार का कुछ कर्त्तव्य है या नहीं। कानून हमने बनाया लेकिन बोर्ड माल ने दूसरा अर्थ लगाया और कोर्ट ने उसका दूसरा अर्थ लगाया है और यह हमारे लिये हमारी अक्लमन्दी का सरकार की अक्लमन्दी को चैलेंज है कि हम कानून बनाते हैं और हमारे कानून से लोगों का फायदा होने के बजाय लोगों का नुक्सान होता है। अब इतनी मुकदमेबाजी हुई, रुपया खर्च हुआ, लेकिन अब भी बेदखली हो रही है। हम समझते हैं कि सरकार इस सप्लीमेंटरी बजट में उनके लिए कुछ करती तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होती। मैं ऐसा सोचता हूं कि मालगुजारी विभाग को ज्यादा सतर्क होना चाहिये। यों तो यह बात ठीक है कि यह विभाग और विभागों से कमजोर हो गया है क्योंकि उस विभाग ने अब दूसरे विभागों के काम भी अपने हाथों में ले लिये हैं लेकिन फिर भी चूंकि हमारी नेशनल इन्कमस् इसी विलेज रिकर्ड पर आधारित होती है वह विलेज रिकर्ड के आधार पर होती है चूंकि हमारा देश खेती वाला देश है इसलिये देश और खेती दोनों की आमदनी का अनुमान इसी विलेज रिकर्ड के आधार पर लगाया जाता है विलेज रेकार्ड इस तरह का होता है कि हमारा सारा अनुमान गलत होता है और मैं आपसे जो बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं और अन्त तक कहता रहूंगा जब तक सही बात न मान ली जायगी कि किसान जो है मुसीबत में है। किसान के सही कागजात तैयार नहीं होते हैं इसलिये आप गलत अन्दाजा लगा लेते हैं कि वह उन्नति कर रहा है, वह सम्पन्न हो रहा है। कागजात में सम्पन्न हो रहा है। इसलिये तरह तरह की टैक्स हम उस पर लगाते हैं। और रुपया खींचने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि उसके ऊपर मुसीबत आती है। माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि वे देखें कि साढ़े ५ रुपये पर बाजरा, ज्वार बिक गया वह बाद में ११, १२ रुपये पर बिका। ६ रुपये मन पर जो चना खरीदा गया वह १२ रुपये मन पर बिका और १० रुपये पर जो गेहूं खरीदा गया वह २० रुपया मन पर बिका। इससे किसान का नुक्सान होता है। मैं इस अवसर पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। मैं शर्मा जी और राजस्व मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि कागजात को दुरुस्त कराने का कोई उपाय करें। तो इससे हमारा ही भला नहीं होगा, सारे देश का भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने इस कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे और मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध वह नहीं करेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इन मांगों के संबंध में जो ३४ वीं मांग है उस पर कुछ आपत्ति है और वह आपत्ति इस कारण है कि माननीय मंत्री जी जो यहां हम लोगों से स्वीकृति लेते हैं बाद में उसमें कुछ ऐसी काट छांट कर देते हैं कि उसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। पिछले सितम्बर में आपने जो रकम दुर्भिक्ष और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये मंजूर कराई थी तकावी की छूट के लिये उसमें ५ लाख ३३ हजार ७०२ रुपये कुछ आने की छूट मिर्जापुर को दी गई थी। वह छूट दे दी गई, हमने उसे पास भी कर दी और ड्रा भी कर लिया और यहां से जाने के बाद सभायें करके धन्यवाद दिया जनता ने। लेकिन एक दूसरा हुक्म मंत्री जी ने निकाला कि यह रकम गल्ती से चढ़ गई और यह वसूल की जाय। बड़ी अाक्वर्ड पोजीशन हमारी हो गई। अब अगर उनसे उस रकम को लौटाने को कहा जाय तो जरा यह व्यावहारिक तो मालूम नहीं होता।

दूसरी बात उस छूट के देने के लिये जो कारण बतलाये जाते हैं वे सभी कारण लागू होते हैं मिर्जापुर पर। जब वसूली का आर्डर गया तो इससे हमारी सरकार की और हमारी बड़ी बदनामी हो रही है । अमीन भी परेशान हो रहे हैं। अगर इस तरह से यहां अनुदान पास करना है और बाद को अपने मन की ही करना है तो हम लोगों का स्वीकार करना और न स्वीकार करना बराबर है। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ तो नहीं हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस अनुदान को पास कर दें और उसके प्रति फिर दूसरी कार्यवाही करनी हो तो फिर विधान सभा में उसे आना चाहिये। दूसरे यह कोई इस नेचर का खर्चा नहीं है कि जैसे किसी बंधी के बारे में अनुमान लगाया गया कि ५ लाख खर्च होगा और चार लाख ही खर्च हुआ तो एक लाख का हेर फेर हो गया। यहां तो अगर छूट स्वीकार कर ली गयी तो जो बकायेदार हैं उनका एक तरह से हक पैदा हो जाता है उस छूट के पाने का फिर किस तरह से उनसे रुपया मांगा जा सकता है माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे। मेरा निवेदन है कि पिछले सितम्बर में सदन ने जो ५ लाख ३३ हजार की रकम छूट के लिये मंजूर की थी उसकी वसूली की कार्यवाही मंत्री जी बन्द करेंगे। इसके अलावा जो मांग की है उसका मैं समर्थन करता हूं और केवल इस एक मद पर अपनी आपत्ति पुनः प्रकट करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रान्ट नं० ३४ पर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमान्, माननीय व्रजभूषण जी ने जो कुछ कहा उसके पीछे सार ह, तथ्य हैं और सत्यता हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और उसी तरह की बातें श्रीमान्, आपके द्वारा मैं इस सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, एक तरफ़ हर ज़िले में अमीनों ने वसूली शुरू की है जहां पर श्रीमान्, आप पूर्वी ज़िले को भली भांति जानते हैं, उनकी आर्थिक दशा इतनी नीचे पहुंच चुकी है कि उनके लिए किसी भी बकाया रकम को देना असम्भव है। पिछले साल की तकाबियां इस साल धूम से वसूल की जा रही हैं और जब कि हर आदमी यह समझता है कि उनके पास खाने को नहीं, सरकार ने उनको मुफ्त गल्ला दिया, वस्त्र भी मुक्त दिये गये, तकावी भी आप देते रहे और साथ ही साथ आज उनसे बकाया मांगी जाती है, उस फसल में जिसमें नुकसान और क्षति हुई है। यह ठीक है उसको बकाया देना चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति तो यह है कि आज उसके पास धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नही है आज तो कुछ दिनों के बाद सरकार को इस बात का परिज्ञान होगा नहीं जबकि ज़िलों से, हर पूर्वी ज़िले से ज़िलाधीश महोदय को यह मजबूरन कहना होगा कि वह धन नहीं जिससे पुरानी बकाया का रुपया वसूल किया जाय और साथ ही साथ अगर उनके साथ ज्यादती होती है तो मैं यह समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है। अत : आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की स्थिति को गम्भीरता से सोचें और पुरानी तकावी को भी फिलहाल आप मुल्तवी कीजिये और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो असम्भव है उनका देना। एक तरफ सरकार उनकी मदद करती आ रही है और दूसरी तरफ यह अत्याचार और अन्याय होगा कि अगर उनसे रुपया मांगा जाय। जबकि आप स्वयं जानते हैं कि उनके पास पेइंग कैपेसिटी बाकी नहीं रही है।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

श्रीमन्, मैं माननीय गेंदासिंह जी के कहने से सहमत हूं कि लेखपाल एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा महान् पुरुष है जो कि देहात के जीवन में एक कुतूहल मचा सकता है, एक क्रान्ति ला सकता है। जिस तरह से वह चाहे लोगों की नकेल पकड़ कर रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन मैं साथ ही साथ माननीय गेंदासिंह जी से यह जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट की रूलिंग्ज और सप्लीमेंटरी ग्रांट से क्या वास्ता हो सकता है सरकार क्या रुपया लेकर, सप्लीमेंटरी ग्रांट के द्वारा हमसे रुपया मंजूर करा कर बोर्ड आफ़ रेवेन्यु तथा हाईकोर्ट की रूलिंग बदल सकती है। मान्यवर, माननीय गेंदा सिंह को सम्भवतः यह भ्रम हो गया है कि इस आर्थिक सहायता से, इस सप्लीमेंटरी ग्रांट से वह आज बोर्ड आफ रेवेन्यू की रूलिंग परिवर्तित कर देंगे। आदमी पूर्ण नहीं है, हो सकता है कि जिस मंशा से कानून बना हो वह मंशा पूरी न होती हो, लेकिन साथ ही साथ उस पक्ष को भी देखना चाहिए जिसके आधार पर हाईकोर्ट और बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ने उस ऐकट को ठुकराया है। इस पर यह हो सकता है कि बौद्धिक विकास या बौद्धिक शक्ति का जहां तक प्रश्न है उसमें हम उस पैमाने तक नहीं पहुंचे जिस पैमाने तक माननीय गेंदासिंह जी चाहते रहे हों। लेकिन किसी सप्लीमेंटरी ग्रांट में या बजट में आप रुपये का प्रबन्ध करके रूलिंग्ज नहीं बदलवा सकते हैं। श्रीमान् मैंने यह देखा कि आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों मे जो कर्ज दिये जाते हैं, वह लांगटर्म लोन और इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिये जाते। मैं समझता हूं कि सरकार की यह मंशा पूरी नहीं हो सकती है, इससे कोई लाभ नहीं है। श्रीमन्, आप इससे परिचित होंगे कि तकावियों का पाना कोई सुलभ बस्तु नहीं है। कितने दरवाजों पर ठोकरें खानी होती हैं, लेखपाल महोदय की जेबों को भरना होता है और बीसों जगह घूमने के बाद आधा तिहा रुपया मिलता है और उसको भी अगर दो या तीन साल के अन्दर तकावी ऐक्ट के अन्दर लाते हों, कि तीन साल के अन्दर देना पड़ता हो तो मैं नहीं समझता कि वह कौन किसान इतना मूर्ख है जो इतनी तपस्या करके और इतनी क्षति उठाकर के सरकार के पास तकावी लेने के लिए जावे।

श्री अध्यक्ष---४ बजकर ४० मिनट पर मैं खत्म कर दूंगा बहस को, और जितने आइटम रह जायंगे उतने पर राय लेना शुरू कर दूंगा।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन से मांगे हैं उनमें से मैं अनुदान संख्या २ और ३४ की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और इस सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन्, अनुदान संख्या २ में जो रुपया मांगा गया है वह भूमि के सर्वेक्षण के लिये मांगा गया है और जो इसकी सफाई दी गई है अनुदान संख्या २ में उसको पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता हूं और इस सदन का हर एक सदस्य पहुंचेगा कि जो योजना आयोग था वह हमारी सरकार से यह चाहता था कि सरकार खातों के सम्बन्ध में आंकड़े, छोटे-बड़े फार्मों या खाते के जो टुकड़े हैं, उनके सम्बन्ध में और उसके बंटवारे के सम्बन्ध में योजना आयोग को आंकड़े बताये और इसके लिये एक सर्वेक्षण करे पूरे प्रान्त में। अनुदान संख्या २ में जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है इस सम्बन्ध में उससे यह उससे यह साफ है कि हमारी सरकार यह नहीं चाहती थी इसलिये कि यह उसने समझ रखा था कि उसने जो भूमि सम्बन्धी अपनी नीति बनायी है वह एक बड़ी अच्छी नीति है और आवश्यकता उसने नहीं समझी अब तक कि योजना आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखते हुए भूमि का फिर से सर्वेक्षण कराया जाय और उसके लिये कोई व्यवस्था बनायी जाय। मैं यह समझता हूं मान्यवर, हमारी सरकार की और माननीय मंत्री जी की यह महान् भूल है। इस अवसर पर जो रुपया हमसे मांगा गया है इस रुपये के द्वारा २४७ गांवों में फिर सर्वे होगा। मैं इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

सम्बन्ध में अपना एक सुझाव देना चाहता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि प्रान्त के पश्चिम मध्य और पूरब के खातों में बड़ी विभिन्नता है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा कि कम से कम जब इन गांवों को लिया जाय सर्वे के लिये तो पश्चिम, पूरब और मध्य का ख्याल रखा जाय और ऐसा न हो कि पश्चिम से ही सारे गांव ले लिये जायं। इसके लिये पूरब, और मध्य के भी गांव लिये जायं ताकि जो आंकड़े वह हमसे उपलब्ध करना चाहते हैं, वह आंकड़े हम उनको देने में सफल हों या उन तथ्यों को जो वह हमसे जानना चाहते हैं, उनको बतला सकने में सफल हों। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये मान्यवर, यह चाहता हूं कि कम से कम जब यह सर्वे प्रारम्भ किया जाय तो इस पर अवश्य विचार किया जाय।

जहां तक दुर्भिक्ष सहायता की मांग है, मैंने उन अनुसंधानों और क्लेरिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ा। उसमें निर्मूल सत्य की बात है और उसी के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि उन लोगों को जिनके पास कम आमदनी है, उनको घर बनाने के लिये पैसा दिया जायगा। श्रीमन्, म कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से आप के द्वारा कि यह जो दुर्भिक्ष एरिया में रुपया देने की व्यवस्था की गई है उसमें बड़ी ब्रिडम्बना है। आज हम लोगों को परसनल जानकारी है, उसकी बिना पर हम बता सकते हैं कि वह रुपया लेने के लिये जब तहसीलों में जाते हैं तो उनको एक ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ती है जो उनका जामिन हो सके। अब आप सोचें कि जिसके पास घर नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, खेत नहीं है, उसके लिये कौन ऐसा व्यक्ति वहां मिलेगा जो अपनी जायदाद को गिरवीं रखे। मेरा तो यह विचार है कि या तो यह हो सकता है कि इसमें धोखा देने की साजिश की गई है या यह हो सकता है कि तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। आज यह दशा है, मैं दावा करता हूं कि जो रुपया दिया गया है तहसीलों में वह आज बट नहीं रहा है इसलिये कि रजिस्ट्री करने के लिये कोई तैयार नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, तीन ही मिनट बोलने को मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री राजनारायण—इसी रफ्तार से मैं भी चलता तो मैं मौजूदा माल विभाग को खेतिहर की जान लेने वाला विभाग समझता और श्रीमन्, जितने भूमि सम्बन्धी नियम उपनियम और उन नियमों, उपनियमों के द्वारा कृषि टैक्स आदि वसूल करने की योजना चल रही, है मैं उन सबके विरुद्ध हूं। आज यदि सही माने में इस माल विभाग को देखा जाय तो चाहे उसके लेखपाल हों, चाहे कृषि-कर उगाहने वाले व्यक्ति हों, चाहे इसके दूसरे लोग हों, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, ब्रिटिश हूकूमत के जमाने में भी जिस ढंग पर ये चलते थे आज उससे भी उनका तरीका निकम्मा हो गया है। चारों तरफ भ्रष्टाचार और पक्षपात। मैं श्रीमन्, समय नहीं है, आप की सेवा में नाम कहने के लिये तैयार हूं। हर जिले में मैं जानता हूं कि जो बड़े-बड़े कृषि का काम करने वाले लोग हैं उन पर तो कृषि-कर कम होता है और उनसे कम खेती करने वाले लोगों पर कृषि-कर ज्यादा कर दिया जायगा। हमने गत वर्ष भी उदाहरण दिया था नाम लेकर मगर मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी वह आदमी इतना बड़ा है जोकि हम समझते हैं कि शायद इस सदन में जितने आदमी बैठे हैं उन सब से कम

[श्री राजनारायण]

कृषि-कर देता है और वहीं दूसरे लोगों पर उसके अनुपात में कृषि-कर बैठाया गया। मगर कोई भी सुनवाई नहीं है। फिर ऐसे माल विभाग के लिये अनुदान में नयी-नयी रकमें देना कहां तक वांछनीय है।

रह गयी दुर्भिक्ष सहायता की बात, तो इसमें दो रायें इस सदन में नहीं हो सकतीं कि दुर्भिक्ष सहायता होनी चाहिये। मगर दुर्भिक्ष सहायता यह सरकार किस तरह से कर रही है? मैं अभी बनारस में चन्दौली तहसील में गया था। सम्भवतः माननीय सिंचाई मंत्री जो उस क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करते हैं। मगर वहां किस तरह से जो तकावी बांटी गयी है उसकी वसूली हो रही है? इतनी अन्धा-धुन्ध उसमें कुर्कियां हो रही हैं, उसमें लोग पकड़ कर जेल के दरवाजे तक लाये जाते हैं, वे पीटे जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों तकावी बांटी जाती है, कब तक के लिये वह सहायता दी जाती है? क्या यह सरकार बता सकती है कि जब बाढ़ आई थी उसके बाद ऐसी कौन सी अच्छी फस्ल हो गयी उन क्षेत्रों में जिससे वहां की जनता तकावी की रकम को वापस कर दे। आज जिस ढंग से तकावी की वसूली हो रही है वह बन्द होनी चाहिये और सरकार की ओर से इसकी जांच होनी चाहिये कि क्या किसानों को कोई ऐसी आमदनी हुई कि वह दे सकता है या नहीं और तकावी किस तरह से बांटी गयी? न मालूम कब से इस भवन में तकावी के बारे में संशोधन का मसविदा पेश होने वाला है। तकावी उसको नहीं देंगे जिसके पास पहले की रकम बाकी थी। वह रुपया काटकर जो बचे वह देंगे। इस तरह से इस दुर्भिक्ष सहायता का दुरुपयोग किया गया है कि मैं कह नहीं सकता और अगर सचमुच जानकार लोग यहां पर होंगे तो उनके दिल में जरूर क्रोध की भावना होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। कि वे सहायता करें लेकिन माल विभाग के जरिये इस सदन का और इस राज्य कोष का दुरुपयोग न करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, माल विभाग में कटौती के प्रस्ताव पर दो विरोधी दल के नेताओं ने अपने विचार रखे। मुझे माननीय राजनारायण जी की बात का तो ज्यादा उत्तर नहीं देना है। सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि उनका दिमाग बहुत अधिक वाम तरफ को घूमता जाता है और भी ज्यादा वाम में जा कर शायद किनारे लग जायेंगे।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बातें कहीं हैं इसमें कोई शक नहीं कि कागजात की गलतियां थीं लेकिन उनको भी यह मालूम होगा कि कागजात की दुरुस्ती के लिये जितना प्रयत्न किया गया वह बहुत काफी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। स्पेशल ड्राइव इसके लिये किया गया, स्पेशल आफिसर्स मुकर्रर किये गये। और जो गलतियां ज्यादा मालूम पड़ती हैं वह कुछ जनरल टाइप की हैं। लेकिन उन्होंने खास बात कही थी उसका नाम नहीं लिया। जो उनको मालूम हुई हैं अगर वह किसी खास लेखपाल का नाम लिख कर भेज देंगे तो जांच करायेंगे और जिसने गलती की होगी उसको सजा दी जायगी। मैं कह सकता हूं कि पहले से बहुत ज्यादा गल्तियां दुरुस्त हो गई हैं, यह आंकड़े बतलाते हैं और जो थोड़ी बहुत रह गयी हैं उनको भी दुरुस्त किया जायगा। यह बहुत बड़ा काम है इसलिये यह तो मैं नहीं कह सकता कि कोई गलती नहीं हो सकती है।

दूसरी बात जो आम स्पीचेज में कही गयीं वह कृषि आय-कर के बारे में थी कि किसानों के ऊपर बोझा पड़ रहा है। कृषि आय-कर तो बड़े किसानों पर ही लगता है। पहले हम ३,६०० रु० की आमदनी वाले किसानों से यह कर लेते थे और अब ४,२०० रु० पर कर दिया गया है यानी कम हुआ। उसका प्रमाण यह है कि सन् १९४७-४८ में जब यह कर लगाया गया था तो उस समय १,११,५९,३३३ रु० का एसेसमेंट हुआ था और जब इसका तरमीम अमल में लाया गया था तो ६३,४७,११९ ही रह गये यानी करीब-करीब आधे कम हो गये,

बजाय बढ़ने के। इस पर भी कहा जाय कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। अवधेश प्रताप जी ने भी कहा। हम इसको कम कर रहे हैं ज्यादा कहां हुआ है? खर्चा भी ३ प्रतिशत यानी कम से कम होता है।

अधिवासियों के बारे में जो रूलिंग हाई कोर्ट की हुई है माल विभाग उससे सजग है। उनकी वह चीज सही है हम नुकताचीनी नहीं कर सकते हैं लेकिन जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ़ हाई कोर्ट की रूलिंग हो जाय, चाहे हमारे कानून की खराबी के कारण हो या गलत इंटरप्रिटेशन से हो लेकिन हम उसको दुरुस्त करने के लिये सजग हैं। अगर ऐसी रूलिंग है तो गेंदा सिंह जी को मालूम है कि उचित कर्यवाही की जायगी और अधिवासी को जो हक दिये गये हैं उनकी रक्षा का काम किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि समय समाप्त हो चुका है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इतना ही कह दूं कि सब जगह सर्वे कराई जायगी यानी सैम्पिल सर्वे कराई जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक ४—कारपोरेशन और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक ४—कारपोरेशन और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन के अन्तर्गत ८०० रु० की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत---लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत---लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८- राज्य आबकारी के अन्तर्गत ८,८३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११- रजिस्ट्री के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत १६,५७,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८---लेखा शीर्षक १३---अन्य कर और शुल्क

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत २६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--क--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय --लेखा शीर्षक १८--क के अन्तर्गत ५,७५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय --लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७,९८,१०० रु० की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय--लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत १,७७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जनस्वास्थ्य

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,६९,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि संबंधी विकास और खोज

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-कृषि संबंधी विकास और खोज --लेखा शीर्षक ४०-कृषि के अन्तर्गत २०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ९,६३,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक १७, ४१ और १९—ख—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक १७,४१ और १९—ख के अन्तर्गत ७,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१—क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक: १७,४१,६८ और ८१—क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—सहकारिता के आधार पर ऋण—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत १,९९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—लेखन सामग्री और छपाई—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १३,७८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५—५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५—५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—समाज—कल्याण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—समाज कल्याण—लेखा शीर्षक ५७—विविध के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५—५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ५,३८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५—५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण—कार्य

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३—क युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,०५,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५—५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १७,९३,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १९,६४,४०० रुपये की अनुपूरक माँग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)—लेखा शीर्षक ८१—क के अन्तर्गत ६०० रु० की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—राज्य व्यापार की योजनायें—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,६६,४०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक त—व्याज वाले ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—व्याज वाले ऋण और अग्रऋण—लेखा शीर्षक त—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ३,५४,३४,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ का द्वितीय पूरक) विधेयक

वित्त मंत्री(श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––मैं सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग (सन् १९५५–५६ का द्वितीय पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सन् १९५६ का उत्तर प्रदेश विनियोग (सन् १९५५–५६ का द्वितीय पूरक) विधेयक के पुरःस्थापन के लिये अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––अध्यक्ष महोदय मैं सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग (सन् १९५५–५६ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(एक क्षण के अनन्तर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग (सन् १९५५–५६ के द्वितीय पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय । जो सप्लीमेंटरीज कि दो रोज इस सदन के सामने रहे उनके लिये जो रुपया अलग-अलग करके इस सदन ने मंजूर किया है उस रुपये को कंसालिडेशन फंड से खर्च करने की इजाजत इस बिल के जरिये मांगी जा रही है और मुझे इससे कुछ ज्यादा नहीं कहना है ।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि जो सबसे बड़ी रकम की अनुदान थी उस अनुदान पर सदन को अपना मत व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला । मैं समझता हूं कि यदि सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की होती कि सप्लीमेंटरी बजट पर हम समय से या कुछ अधिक समय तक विचार कर सकें तो संभवतः ८ करोड़ की इतनी बड़ी अनुदानों पर हम बात भी नहीं कर सके, यह गलती न होती ।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि यह गलती आपसे भी हो गई कि आप देर से आये ।

श्री गेंदा सिंह––अगर सबेरे भी आ गया होता तो एक दिन से ज्यादा समय नहीं मिलता ।

श्री अध्यक्ष––आज ही यह तै हुआ था कि कौन-कौन सी पहले ले ली जायं । आखीर वाली पहले ले ली जाती तो यह मौका न आता ।

श्री गेंदा सिंह––अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि आगे से सरकार को ऐसा विचार रखना चाहिये कि हम ठीक से इन चीजों पर विचार कर सकें । सरकार ने कुछ तीन करोड़ से ज्यादा औद्योगिक विकास के संबंध में मांग की है । उस तीन करोड़ रुपये को किस प्रकार खर्च किया जायगा, हमको कतई जानकारी नहीं है कि उस तीन करोड़ रुपये को सरकार किस प्रकार खर्च करेगी ? दो करोड़ से कुछ ज्यादा रुपये सरकार राज्य व्यापार की योजनाओं पर मांग रही है । एक करोड़ से कुछ अधिक रुपये सरकार योजना और एकीकरण पर मांग रही है । कुछ और मदें ऐसी हैं कि जिन पर हमने बड़ी-बड़ी रकमों की मांग की है । मुनासिब यह होता कि इन रकमों के सिलसिले में बहुत विस्तार से हमारी बात होती और मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस बात की जरूरत है कि इस सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । क्योंकि जब माननीय सदन का कोई मत सरकार को मालूम नहीं है और इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में इन सारी चीजों की गुंजायश कर दी गई जब कि कल ही या परसों से हम जो सालाना बजट है उस पर भाषण करने वाले हैं तो मैं नहीं समझता कि इस सप्लीमेंटरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदा सिंह]

डिमांड्स में इन मदों के रखने की क्या आवश्यकता थी ? मैं नहीं जानता कि यह रुपया खर्च किया जा चुका है। अगर राज्य व्यापार पर रुपया खर्च करने की बात है तो करो लेकिन फिर यह बात उठ सकती थी कि उस रुपये की सदन स्वीकृति दे लेकिन हमारे सामने जो साहित्य है बजट का उसमें यह लिखा है कि इसको राज्य व्यापार के लिये खर्च किया जाय। अगर इरादा है तो उस इरादे को अगले बजट में रक्खा जाता तो उस पर विचार हो जाता तो यह बड़ी अच्छी बात होती। तीन करोड़ जो कर्जा देने की बात है यह उनको कर्जा देने की बात है जिन लोगों को कर्जा देने की आवश्यकता है, मुमकिन है कि हम लोग न समझें कि उनको आवश्यकता है, और ऐसे लोगों के लिये हम सुझाव कर सकते थे जो कि इसके ज्यादा हकदार हैं, इस राज्य सरकार को सहायता पाने के। यह बात कतई हमारे सामने नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल एक बात और जरूर कह देना चाहता हूं। हमारे बाराबंकी से पश्चिम के जिलों में कोई सम्भावना ऐसी नहीं है जो मई के पहले गन्ने वाली फैक्टरियों को बन्द कर सकें। गन्ने का हमारे पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। मैं अभी मुरादाबाद गया था और उस तरफ, मुरादाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर इन जिलों में काश्तकार जो है आज छाती पर हाथ रखे रो रहा है। कहता है कि हमारे गन्ने की क्या दशा होगी। अध्यक्ष महोदय, छः करोड़ मन गुड़ काश्तकार बनाता था, कितनी बड़ी तिजारत थी, कितने दिन तक वह गुजर कर सकता था यह अनुमान लगाया जा सकता है। २ करोड़ रुपया राज्य व्यापार की योजनाओं पर हम से मांगा जा रहा है। लेकिन गुड़ की बिक्री का कोई प्रबंध नहीं है। उसका परिणाम यह है कि आज गुड़ का भाव बाजार में दस रुपये से भी नीचे गिर गया। इसलिये काश्तकार सोचता है कि गुड़ बना कर क्या करें ? वह सोचता है कि गुड़ कहां ले जायेंगे ? उसमें सरकार रत्ती भर भी काश्तकार की मदद नहीं कर रही है। पिछले वर्ष खुद राज्य सरकार ने साढ़े पांच मन पर ज्वार खरीदा, जो ज्वार आज ग्यारह रुपये मन के ऊपर मिल रहा है। छः रुपये मन पर चना खरीदा और १२ रुपये मन से आज कम नहीं है। दस रुपये मन पर गेहूं खरीदा और सिर्फ १४ लाख टन या मन खरीद लिया उससे भी क्या कुपरिणाम हुआ, कुपरिणाम यह हुआ अगर सरकार ने २,४, ५ करोड़ रुपये का पहले से अनुमान करके गल्ले को खरीद लिया होता तो जो बाजार में आज बीस रुपये मन गेहूं खोजने को नहीं मिलता है, वह हालत नहीं हुयी होती और न काश्तकार को दस रुपये में बेचकर आज २० रुपये में खरीदना पड़ता। किसान जो इस सूबे की रीढ़ है, सरकार उस रीढ़ को बहुत मजबूत कर सकती थी। मैं इस वक्त भी कहना चाहता हूं कि वह बात तो बीत गयी है। इस वर्ष, बाराबंकी से पश्चिम के जो जिले हैं उन जिलों में जुलाई तक मिलों को गन्ना जाता रहेगा। अगर उनके गुड़ बनाने का बन्दोबस्त किया जा सके, उसको निकाल कर उसकी बिक्री का प्रबंध किया जाय तो समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। सरकार कहती है कि नहीं फैक्टरियां मई के पहले बन्द हो जायंगी। मैं कहता हूं कि उसके गन्ने का दाम कम होने वाला है। मिल वाला यह कहेगा कि चूंकि हमारी रिकवरी कम हो रही है, इसलिये हम उसी हिसाब से दाम देंगे। उसके आगे जब मौका आयेगा तो कहूंगा लेकिन आज यह खतरा दिखायी देता है जिसको दूर करने के लिये सरकार कदम उठाये।

मेरे दोस्त इस समय नहीं हैं, बजट पर हम यह बातें न कहें तो कौन सा मौका आयेगा जिस मौके पर हम इसका जिक्र करें ? तो राज्य व्यापार की योजनाओं और औद्योगिक विकास के लिये जो इतनी बड़ी-बड़ी रकमें दी गयी हैं मुझे इस बात का डर है और मैं साफ कहना चाहता हूं कि समर्थन तो नहीं कर सकता। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे उद्योग मंत्री जी इस समय नहीं हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी भगवान के रूप में हुये हैं। उन्हीं से बात करनी थी और तो सब दूसरी बातें मैं क्या कहूं ? लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सामने वह इस वक्त हैं नहीं। तो इन बातों को जरा स्पष्ट करें माननीय वित्त मंत्री जी और कम से कम सूबे के उन किसानों का ख्याल करें जिनकी कि छाती पर आज हाथ है कि हमारा गन्ना खेत में खड़ा रह जायगा, हमारा गुड़ घर में पड़ा रह जायगा और उसी में करोड़ों रुपये का नुकसान हम समझते हैं। उसके लिये

कुछ इस अवसर पर वह ध्यान दें तो यह दो करोड़ या चार करोड़ रुपया जो मांगा जा रहा है उस रुपये की कुछ उपयोगिता हमें मिल सकेगी ।

†श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मूल बजट जब प्रस्तुत हुआ था, तो करीब ९१ करोड़ रुपये का था । चार करोड़, पांच करोड़ के करीब प्रथम पूरक बजट पेश हुआ और ११ करोड़ का यह दूसरा पूरक बजट हो गया । जब मूल बजट पेश हुआ था तो डेफिसिट दिखाया गया था करीब ५ करोड़ का और १६ करोड़ के दो सप्लीमेंटरी आ गये । अब जरा सदन इस पर विचार करे कि मूल बजट के समय तो ५ करोड़ के करीब डेफिसिट और फिर दो सप्लीमेंटरी बजट आ गये १६ करोड़ के तो ९१ करोड़ का मूल बजट ५ करोड़ के डेफिसिट के साथ और १६ करोड़ का सप्लीमेंटरी करीब १/५, १/५ मूल बजट के सप्लीमेंटरी आ गये । तो अब माननीय वित्त मंत्री जी सदन को यह बताय कि इस तरह से डेफिसिट बजट पेश करना और फिर उसके चार गुने के बराबर सप्लीमेंट्री बजट लाना यह कैसी बजटिंग का नमूना है ? यह ऐसा बजट बनाना सही माने में अच्छा तरीका है या खराब तरीका है और अगर माननीय मन्त्रीगण उसको सोंचे तो बजट रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं मालूम होती है क्योंकि जब सोलह-सोलह करोड़ के सप्लीमेन्ट्री बजट आने लगे, जब कि १९३६ में भी श्रीमन् आप देखेंगे कि १२ करोड़ रुपये का कुल बजट था, ३७ में १४ करोड़ का बजट था, ३७ में पहली कांग्रेसी गवर्नमेन्ट आयी, उसके पहले का देखे और इस समय का बजट का हिसाब किताब देखे । अब तमाम सदन के सम्मानित सदस्य देखें और अभी-अभी एक डिप्टी मिनिस्टर साहब चले गये यह कहते हुये कि राजनारायण अल्ट्रा लेफ्ट क्यों जा रहे हैं ? पता नहीं उन्होंने अल्ट्रा लेफ्ट कहा या कुछ और कहा लेकिन कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा ।

श्री अध्यक्ष—अधिक कहा था, 'लेफ्ट की तरफ अधिक जा रहे हैं,' यह कहा था ।

श्री राजनारायण—हां श्रीमन्, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा। पर विचार किया जाय श्रीमन्, कि इन बातों को हम यहां कहें तो यह क्या अल्ट्रा लेफ्टिज्म है? आखिर क्या कहा जाय? यह कह दिया जाय कि जहांपनाह, आपने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये हम आपके बड़े आभारी हैं और सारे प्रदेश की जनता सुखी है । कहिये हम कह दें, मगर मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सरकार इस तरह से चाहे स्तुति करा ले किसी से,चाहे यह सरकार समय समय पर कुछ शाबासी देकर कुछ विरोधी दलों को भी पथभ्रष्ट कर दे मगर हम तो सोशलिस्ट हैं। हम फांसी का रस्सा चूमना भी पसन्द करते हैं अपने लक्ष्य और उद्देश्य की सिद्धि के लिये । इस सदन ने देखा है कि दो दो जानें गयीं बाराबंकी के जिले में मगर कोई भागा नहीं । एक की जान बचाने के लिये अवधशरण वर्मा ने अपनी जान दे दी, वह भागे नहीं । लेकिन अपने अपने दिल में वह पूछें और समझें कि यदि उनके सामने ऐसी परिस्थिति होती तो वह क्या किये होते ? तो माननीय मंत्री जी जो यह अनुदान मांग रहे हैं यह सप्लीमेंटरी बजट जो चाहते हैं कि इसको खर्च करने का अधिकार दिया जाय, इसको देखा जाय यह किस किस विभाग के लिये चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ? यह चाहते हैं श्रीमन्, पुलिस विभाग के लिये, जेल विभाग के लिये और शिक्षा विभाग के लिये । मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज सामने नहीं हैं । उन्होंने इस सदन को सलाह दी थी और हमारे कुछ सदस्यों को भी सलाह दी थी कि राजनारायण को आदर्श न रखें । उनको सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट ग्रुप और उसके लीडर के सम्बन्ध में तो बड़ी चिंता है लेकिन मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जरा वे अपने बारे में चिंतित हों और देखें कि मुख्य मंत्री और पुलिस वालों का क्या कर्त्तव्य होता है ? मैं तो सम्पूर्णानन्द जी को एम्यूलेट करना चाहता हूं मगर कैसे करूं ? सवा सौ वर्ष का बृटिश रेजीम बीता है । कोई एक नजीर दे दें कि बृटिश साम्राज्यशाही हुकूमत के भीतर एक भी कोई ऐसी हत्या हुयी हो जिस तरह अवधशरण वर्मा जी

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

की हुयी है । माननीय कमलापति जी बैठे हुए हैं । उनकी विद्वता में मैं संदेह नहीं करता, कोई एक नजीर वे गता दें । एक भी नजीर नहीं है । तो एक भी नजीर के न रहते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी को जब मैं यह बात कहता हूं तो तीर की तरह चुभना चाहिये । मैं तो अपने को कृत कृत्य समझता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे बारे में ऐसी बातों को बता दिया करें ।

श्री अध्यक्ष---अब बहुत काफी हो गया ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं विधेयक पर ही आ रहा हूं । इसलिये मैं यह कहता हूं श्रीमन्, कि यहां लखनऊ की घटना लीजिये । एक आदमी जा रहा है रात में और एक मेला लगा हुआ है तथा पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं और एक पान की दूकान पर वह खड़ा होता है और उसको स्टैब कर दिया जाता है । भगवतीप्रसाद शुक्ल अपने घर से दो फर्लांग भी साइकिल पर नहीं गये कि बंदूक चलाकर उनको मारा जाता है । ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन अखबार में ऐसी घटना न आती हो कि फलां जिले में एक कत्ल हो गया दिन दहाड़े डाका पड़ गया । मैं गत २६ तारीख को बलिया में था, वहां सिकन्दरपुर एक स्थान है । वहां एक गरीब के घर डाका पड़ा । उसके दरवाजे पर पुलिस की टोपी पायी गयी और जब वह नाम लिखाने गया थाने में और पुलिस का नाम लिखाया तो वहां के दरोगा साहब ने कहा कि उसका नाम मैं नहीं लिखूंगा । अगर उसका नाम तुम लिखाओगे तो तुम्हारी रिपोर्ट में नहीं दर्ज करूंगा । तो दूसरे दल के सदस्यों के नाम लिखाये गये। श्रीमन्, गत वर्ष आजमगढ़ की तहसील मऊ में क्या हुआ था मैं जानना चाहता हूं पुलिस मंत्री से या कोई मंत्री महोदय जवाब दें । थाने का सिपाही ५ गज की दूरी पर एक चौकीदार पर प्रहार करता है और वह नाम लेकर चिल्लाता है कि फलां-फलां सिपाही हमको मार रहे हैं, बचाओ । गत वर्ष ३० जनवरी की घटना है । क्या हुआ उनके लिये ? व्यर्थ में आत्म प्रवंचना करना इस सदन में बैठ कर और गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करके सुख और समृद्धि का ढोंग रचना, अब इससे काम चलने वाला नहीं है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जेल विभाग को देखा जाय । किसी जेल में चले जायं । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी जेल है जिसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आदमी न भर दिये जाते हों । हमारी तो सात बार इस कांग्रेस की हुकूमत में जेल हो गयी, ऐसी कोई जेल नहीं जिसकी कैपेसिटी अगर १,४०० की है तो उसमें ४,००० आदमी न भरे जाते हों । एक एक बर्थ पर चार चार आदमियों को सोने को बाध्य किया जाता है । जिस हुकूमत की ऐसी पुलिस हो और उस पुलिस के ऊपर माननीय मंत्री जी को फख्र हो तो मैं उनकी बुद्धि पर तरस खाऊंगा और ज्यादा क्या कहूं ।

श्रीमन्, इसके बाद यदि देखा जाय तो मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं और मुख्य रूप से मंत्री महोदयों को कि दोष हमारा भी है हम अपने दोष को बतलाते हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे जो दोष हैं उनका हम कैसे निवारण करें ? हमारा दोष यह है कि हमने जन-जागरण नहीं किया, हमने जनता को उसके कर्त्तव्य और अधिकारों से इतना अवगत नहीं कराया कि वह जनता ऐसी नालायक हुकूमत को एक पल के लिये भी सहन करने के लिये तैयार नहीं । इतना दोष हम अपना मानते हैं और उसका परिमार्जन करने के लिये पहली मार्च को जनता एकत्रित होगी । क्या हो रहा है श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन को धमकी न दें ।

श्री राजनारायण---बहुत अच्छा श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि वह बाहर आयें और देखें । मैं रात बिरात तो कष्ट देना नहीं चाहता हूं लेकिन अगर आप ११ बजे निकलें तो देखिये कि पोस्टर जो १ मार्च के बारे में है वहां टंगा हुआ है और पुलिस खड़ी रहती है और लोग उसको नोचते हैं । कल झगड़ा होते होते बचा, ऐसे काम नहीं चलेगा । इस तरह से जनता की भावना को दबाकर सरकार चाहती है तो ऐसे काम नहीं चलेगा । (आवाजें--नहीं चलेगा) पोस्टर्स से कार्य नहीं चलेगा, नोटिस से नहीं चलेगा, बयानों से नहीं चलेगा, भाषणों से नहीं चलेगा तो निश्चित मानिये कि सरकार चाहती है कि हिंसात्मक कार्यवाही हो । जनतंत्र में तो पोस्टर्स

से, नोटिस से, मिलने जुलने से भाषण स्वातंत्र्य से ही काम चलता है और इनके साथ रजाक करने वाले होशियारी से समझ लें कि वह खुले आम जनता को चुनौती दे रहे हैं हथियार लेने के लिये मगर हममें ताकत है जो रोके हुये हैं, हम रोके हुये हैं। (वाह वाह की आवाजें) श्रीमन्, अभी भी वाह वाह करते हैं। जब कि बम्बई की घटनायें उनके सामने हैं और बंगाल बिहार की घटनायें उनके सामने हैं फिर भी यह लोग वाह वाह कर रहे हैं, दो दो हजार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और ५०-५० हजार तथा लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की बात कहें क्योंकि विधेयक इस प्रदेश का है।

श्री राजनारायण—इसी पर आना चाहता हूं श्रीमन्, लोग शंका उत्पन्न कर देते हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इन लोगों की भावना की कद्र करते हुये जो लोग यहां बैठे हुये हैं उनको यह नहीं कि हम चुनौती दे रहे हैं। उनको फटकार नहीं दे रहे हैं, जो वस्तुस्थिति है उसको निवेदन करना चाहते हैं, उसको लेकर हमें काम करना चाहिये।

माननीय गेंदा सिंह जी ने प्राइस स्कीम का जिक्र किया है। मंत्री जी चले गये हैं, समझ में नहीं आता कि यह कौन सी स्कीम है कि गल्ला ४ सेर ५ सेर का किसान से खरीदा और फिर जनता को ढाई सेर का बेचा। यह किस स्कीम के मातहत किसानों का गला काटा जा रहा है। सरकार कीमत ऊंची उठाकर किसान को मजबूर करती है। किसान बाध्य है, मजबूर है कि अपना गल्ला सस्ते दामों में बेचने के लिये और सरकार जब कभी बीच में आ जाया करती है तो उनके लिये गल्ले को सस्ता खरीद करके फिर उन्हीं को मंहगा बेचती है और तिस पर यह हंसते हैं।

अब श्रीमन्, आगे अगर देखा जाय तो जैसे दुर्भिक्ष का विषय है, शिक्षा का, हरिजन कल्याण का, राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने का, जिन विषयों में हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा देने में कभी आपत्ति नहीं हुयी और आज भी नहीं है, इनका दुरुपयोग हो रहा है। जब अच्छे विषय भी बुरे के हाथों में पड़ते हैं तो खराब हो जाते हैं। आज किस तरह पक्षपात हो रहा है, किस तरह रूलिंग पार्टी को मजबूत करने के लिये राजनीतिक सहायता का दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिये किस तरह से हरिजन सहायता का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से दुर्भिक्ष सहायता का दुरुपयोग हो रहा है, इसको हमें देखना चाहिये। मैं श्रीमन्, परसों जौनपुर में था। मेरे साथी एक कांग्रेस के सेक्रेटरी वहां कपड़ा बांटने गये थे। वह कुछ ऊनी कपड़ा लेकर मेरे पास सलाह मशविरा करने आये थे। मैंने पूछा कि यह कपड़ा कहां ले जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि बाढ़ का कपड़ा आया है उसको बांटने ले जा रहा हूं। अब जब गरमी हो रही है तो बाढ़ वाला कपड़ा बांटा जा रहा है और वह बंटवाया जा रहा है कांग्रेस कमेटी के मंत्रियों के द्वारा।

श्री अध्यक्ष—आप जरा बैठ जायं, हाउस में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे ढांचे में आमूल रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केवल शब्दों से अर्थ नहीं निकलेगा। मैं एक वाक्य में निवेदन कर दूं जिसे देख लिया जाय और इस सम्मानित सदन के सदस्यगण भी देख लें। मुझे कुछ सदस्यों ने बताया जिनकी मुझ से निजी तौर पर जानकारी है। एक मर्तबा इसी हुकूमत ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की, सालभर बाद कोआपरेटिव कामन वेल्थ की कल्पना हुयी। उसके साल भर बाद सोशलिस्टिक पैटर्न का राज्य स्थापित हुआ और उसके साल भर बाद सोशलिस्टिक पैटर्न की कल्पना हो रही है। मगर फर्क क्या है? इन चार शब्दों में फर्क क्यों हुआ? यदि उन शब्दों के कुछ अर्थ हैं तो उनका भाष्य हो, यदि निरर्थक हैं तो होक्स है, ढोंग है। हम इन चार शब्दों के चक्कर में पड़े हुये भले ही हम कह लें कि आज तो मानव समाज समता के आधार पर चल रहा है लेकिन

[श्री राजनारायण]

वास्तव में है कुछ नहीं। जैसे कमलापति जी कहा करते हैं "कि जनतंत्र वृक्ष की शीतल छाया में, जनता आनन्द विभोर हो रही है।" उसी प्रकार मै भी कह सकता हूं कि निर्मल चंद्रिका में, प्रफुल्ल मल्लिका में कोकिल की काकली में आग ही आग है .....

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—हिन्दी का पांडित्य कुछ बढ़ गया है आपका।

श्री राजनारायण—यह सदन सोचे कि जनता का इससे विश्वास बढ़ेगा या घटेगा। इसे सम्मानित सदस्य स्वतः सोचें। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी नहीं मानते हैं, उनके लिये मैं नहीं कह रह रहा हूं मगर मंत्रिमंडल के लोगों की ज्वाइन्ट जिम्मेदारी है। चिकित्सा को ले लीजिये। मैं माननीय कमलापति जी को साक्षी बनाऊंगा कि गंगापुर के अस्पताल के बारे में वे बतावें कि सन् १९४६ से क्या आज तक वह अस्पताल बना? क्या उसकी नींव पड़ी? कम से कम ६,७ पत्र तो हमने माननीय मंत्री जी की सेवा में भेजे हैं और अन्त में यह भी लिखा है कि जमीन यदि नहीं मिलती हो तो उसका जिम्मा हम लेते हैं। हम अपना निजी खेत देने के लिये तैयार हैं। बतलावें माननीय कमलापति जी। चिकित्सा, बिजली योजना, श्रम इत्यादि इसमें हैं। श्रीमन्, श्रम को ही ले लें। मजदूरों को कानपुर में जाकर हमने देखा है कि उनसे वादा लिया गया था.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय राजनारायण जी जितने प्रश्न उठा रहे हैं, इन सबके बारे में अनुदानों पर बातचीत, जनरल बहस हो चुकी है तो क्या वे फिर अब विनियोग विधेयक के समय रिपोट किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—बहुत से अनुदान वैसे ही पास हो गये हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इसका विरोध कोई करना चाहे या कहें कि इसके लिये रुपया न दिया जाय,तो क्यों न दिया जाय? उसका कारण वह बतला सकते हैं कि अमुक २ नुक्स इसमें हैं इसलिये रुपया खर्च करने के लिये न दिया जाय। इसलिये जो कुछ वह कह रहे हैं वह अन्ततः असम्बद्ध नहीं पड़ता है। भाषा के लिये तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। अपनी-अपनी भाषा को व्यक्त करने का हर एक आदमी का ढंग निराला होता है।

श्री राजनारायण—नम्रता के साथ बोलना भी उनको बुरा लगता है, श्रीमन्। कानपुर में मजदूरों की दुर्दशा के लिये कोई और उपयुक्त शब्द वह यदि बतावें तो हम उसका प्रयोग करने के लिये तैयार हैं। हम उसे इस्तेमाल में ले आवेंगे। मैं एक सप्ताह पहले कानपुर में बुलाया गया था। वहां मजदूरों के क्वार्टरों में गया। जब मेरी मीटिंग हो रही थी तब कुछ पुलिस के अधिकारी गये। एक क्वार्टर में मजदूर नहीं था, वह मिल में गया हुआ था। जहां वे लोग रहते हैं वह कालोनी माननीय हरिहरनाथ जी शास्त्री के नाम से बसी है। कुछ लोग दौड़े हुये हमारे पास आये और बतलाया कि घर में मजदूरनी अकेली है और पुलिस के लोग जबरदस्ती उसके घर में घुस रहे हैं क्योंकि उसने किराया नहीं दिया। मजदूरों से जो कुछ भी मकान का पहले शर्तनामा लिखाया गया वह यह है कि मजदूर की तनख्वाह में से मकान का किराया, अगर बाकी रहेगा, तो काट लिया जायगा। यह कहीं नहीं है कि उसके लिये पुलिस जावेगी और कुर्की और नीलाम होगा। मैं मीटिंग छोड़ कर वहां गया तो पुलिस के कर्मचारी दूसरी ओर चले गये। माननीय परिपूर्णानन्द जी इस समय नहीं है। मैं चाहता था कि वह भी मेरी बात सुनकर इसकी ताईद करने की कृपा करते। जो हिसाब किताब पड़ता है उसके हिसाब से कानपुर के मजदूरों से १२ और १३ रुपया मकान का किराया लिया जाता है। क्या यह उसके लिये ज्यादा नहीं है? क्या यह इंसाफ है? क्या इसे न्याय माना जायगा, सदन इसे सोचे। यदि वह कहे कि यह न्याय है तो मैं अपने प्रति जरूर यह कहना चाहूंगा कि मैं इसे इंसाफ नहीं मानूंगा। अब इससे भी विनम्र भाषा का प्रयोग मैं कैसे करूं आप यह बतायें?

फिर देखा जाय समाज कल्याण, और समाज कल्याण के अन्तर्गत महिला विभाग। क्या इस महिला विभाग के काम की देखरेख भी होती है? मैं नहीं चाहता कि वह सर्विस से अलहदा कर दी जाय। मगर जबकि जनता का धन खर्च हो रहा है तो इतना जरूर चाहूंगा कि उसके द्वारा समुचित कार्य का संपादन होना चाहिये। यह नहीं कि एक दिन किसी गांव में चली गयीं और जिनके मकान पर चूना लगा हुआ है उन मकानों की औरतों से मिलजुल कर सारे महिला विभाग का काम संपादित हो जाय। इसमें धन नष्ट किया जा रहा है।

आगे औद्योगिक विकास को देखा जाय। माननीय गेंदा सिंह जी ने इस पर काफी रोशनी डाल दी है। जितनी रोशनी उन्होंने डाल दी है उसके साथ अपने को शामिल करते हुये आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन इस औद्योगिक विभाग और कृषि का क्या सम्बन्ध है? उद्योग किसे कहते हैं? उसमें श्रम का क्या महत्व है अथवा केपिटल का? मैं देखता हूं कि उसमें श्रम का महत्व नहीं माना जाता है। आप औद्योगिक विकास करना चाहते हैं लेकिन इस राशनेलाइजेशन के क्या अर्थ हैं? हमारे कहने का यह मतलब है कि उसमें मजदूरों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता है या नहीं? क्या उसमें मजदूरों के काम के घंटे कम होते हैं? मजदूरों की छटनी इसमें होती है या नहीं? मजदूरों की छटनी होने से जो मजदूर बचेंगे वे कहां जायेंगे? उनकी वजह से जो पैसा बचेगा क्या वह आम जनता के पास जायगा? कपड़ा सस्ता होगा या नहीं? पिछले वर्ष जो कानपुर में लेबर स्ट्राइक हुआ था उसका मुख्य कारण यही था। मिल मालिकों ने कहा कि ४ सांचे चलाओ उन्होंने कहा कि कल तक तो दो चलते थे आज से यदि चार चलायेंगे तो जो मजदूर बचेंगे वे कहां जायेंगे। क्या उससे कपड़ा सस्ता होगा या कि सारा रुपया मिल मालिकों के पास जायगा और वह आज उन्हीं के पास जा रहा है।

चीनी की क्या हालत है? जब आपने गन्ने का भाव १ रु० ५ आ० मन कर रक्खा है तो क्यों नहीं चीनी के दाम पर भी कोई कन्ट्रोल है? कोई उत्तर नहीं? और जब मैं यह कहूंगा कि ४९-५० में जो सरकार थी उससे भी बुरी यह सरकार है तो मंत्री जी कहेंगे कि बुरे शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। ४९-५० में दो रुपया मन गन्ने की कीमत थी और ३० रुपया मन चीनी थी। अब ११ आना फी मन की जो कमी हुयी है वह रुपया कहां जा रहा है? इस प्रकार से मिल मालिकों का धन बेतहाशा बढता चला जा रहा है।

इसलिये, श्रीमन्, जब मैं हर नुक्ते नजर से देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब तक ढांचे में आमूल परिवर्तन न हो, जब तक सही माने में जनतांत्रिक प्रणाली न अख्तियार की जाय तब तक समाज में सामानता कैसे आयेगी और जनतांत्रिक प्रणाली के क्या माने होंगे। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि धेवर जी का यह फ़रमान आया है कांग्रेस पार्टी के पास कि सोशलिस्ट पार्टी के जरिये जितने भी पोस्टर और पेम्फ़लेट छपें उनकी एक कापी उनके पास भेज दी जाय। बाराबंकी में एक ऐसी कापी मुझसे ली गयी। मुझसे एक सज्जन ने यह भी कहा कि जो कुछ चीज आप छपायें उसकी एक एक कापी धेवर साहब के पास भेज दिया करें तो बड़ा भला होगा। मगर अब फिर सोचा जाय कि जनतंत्र के क्या मानी हैं? जनतंत्र में शक्ति का केन्द्रीयकरण होता है या विकेन्द्रीकरण होता है। मुझे ईमानदारी से जरा बता दिया जाय एक भी कानून जो सरकार के जीवनकाल में ऐसा बना हो जिसमें शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ हो। हर कानून में शक्ति केन्द्रित ही हुई है इस हुकूमत के जमाने में बनिस्बत अंग्रेजी राज्य तक के। श्रीमन्, यह सरकार सन ४६ से है, आप भी मंत्री के पद पर पहले सुशोभित रहे, पहले आप के बनाये कानून में गांव पंचायतों का चुनाव होता था लेकिन अब जिलाधीश उनको नियुक्त करेगा, तो यह शक्ति केन्द्रित हुई या विकेन्द्रित हुई और फिर यह कहा जाता है कि उचित और अनुचित मांग मजबूत करो। इसके साथ ही मैं आप के द्वारा....

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---आप हाईकोर्ट में चले जाइये ।

श्री अध्यक्ष---अब आप बात बढ़ाइये नहीं ।

श्री राजनारायण---माननीय बनारसीदास हमारे मित्र भी हैं इसलिए जो शंका उन्होंने उठाई है, एक मिनट में कह दूं कि हाईकोर्ट में क्यों न जायं । स्पेशल पावर्स ऐक्ट आप की ही कांग्रेस सरकार ने लागू किया है, क्यों हम न जायं ? यही तो माननीय बनारसीदास जी चाहते हैं । अब तो जनाबे वाला १४४ का जो दुरुपयोग हुआ है उसके लिये भी हाईकोर्ट ने कहा है सुपरीम कोर्ट जाइए और मैं जा रहा हूं ।

श्री बनारसीदास---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की नियुक्ति भी तो सरकार ही करती है वहां भी चुनाव से ही नियुक्ति होनी चाहिये उनके अनुसार ।

श्री राजनारायण---मैं श्री बनारसीदास को अभी बता दूं कि समय आयेगा तो प्यूपिल्स ट्रिब्युनल बनेंगे । हम मुद्दत से कहते आ रहे हैं कि एग्जिक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग कीजिए लेकिन इतना भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, आगे आप क्या बढ़ सकते हैं ? हमने अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया था कि यह जो करप्शन कमेटियां बनी हैं उनमें जनता के प्रतिनिधि चुने जाने चाहियें और उन पर किसी प्रकार से भी सरकार का नियंत्रण न रहे । जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस कम्प-लेन्ट्स रखे जा रहे हैं वह आई० जी० के डी० आई० जी० के मातहत रहे यह सरकार कहां मानती है हमारी बात । मैं एक मिनट में कुछ बात शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---अब किसी और मिनिस्टर को आप सदन में न बुला लीजिएगा ।

(हंसी)

श्री राजनारायण---मुझे बहुत ही अफसोस है और दुख के साथ कहता हूं अगर हमारी बात से सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों के हृदयों की ठेस पहुंची है तो क्षमा करें मैं आचार्य विनोबा भावे की राय बता दूं । मैंने चिट्ठी लिखकर उनकी अनुमति मांगी थी सरकारी शिक्षा के बारे में । विनोबा जी ने लिखा है कि सरकार की शिक्षा सर्वथा मध्यम वृति की होती है, सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वह अपनी हुकूमत बरकरार रखे। यदि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढेगा तो वह शिक्षा पाप की शिक्षा होगी, आदर्श शिक्षा नहीं होगी । मैं जानना चाहता हूं आज श्री जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण किया आप की अध्यक्षता में । वहां उन्होंने कहा कि देश में तीसरी शक्ति चलने दो, वह तीसरी शक्ति चलाने की बात कह रहे हैं। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो ऐक्ट आज शिक्षा के क्षेत्र में लागू हैं क्या वह हमारे यहां जनतन्त्र को अग्रसर और विकसित कर सकते हैं, मैं तो समझता हूं यह पिछले ऐक्ट उस पर कुठाराघात करते हैं । जो स्थूल परिभाषा जनतन्त्र की है कि गवर्नमेन्ट बाइ दि प्यूपिल फार दि प्युपिल एन्ड आफ दि प्युपिल । स्थूल परिभाषा में भी यह तथ्य है और गवर्नमेन्ट बाई दि पीपुल होकर भी फार दी पीपुल नहीं हो सकती । एक मर्तबा जनता द्वारा चुने जाने के बाद भी जनता की वह गवर्नमेन्ट नहीं बन सकती और जनता के हित में कुठाराघात कर सकती है । इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर यह मानें कि गवर्नमेन्ट का बाई दी पीपुल इज आलवेज फार दी पीपुल तो मैं समझता हूं कि माननीय कमलापति जी भी हमसे सहमत होंगे कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी की यह मान्यता गलत है । श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अनर्थ हो रहा है । बहुत जबरदस्त कुनबापरस्ती, बहुत जबरदस्त पक्षपात, बहुत जबरदस्त एनार्की, बहुत जबरदस्त करप्शन फैल रहा है और विद्यार्थियों के ऊपर दोष दिया जाय कि वे

अनुशासित नहीं रहते हैं। मैं आपके द्वारा इतना ही निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासन की भावना अब पहले से बहुत ज्यादा है परन्तु जिस रूप में यह सरकार उन्हें ले चलना चाहती है सही मानों में विद्यार्थियों की भावना उसके विरुद्ध है। और दिन प्रतिदिन इस सरकार की मनोवृत्ति चाहे विद्यार्थी हों, चाहे दूकानदार हों, किसान हों, मजदूर हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, वकील हों, डाक्टर हों सबके लिये खतरनाक है। मैं यह चाहूंगा कि जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये जनता जहां अपने कर्तव्यों द्वारा और अपने आग्रह द्वारा अधिकार लेने के लिये आगे बढ़ेगी उस अधिकार को दिलाने के लिये मैं चाहूंगा कि आज यह विधेयक न पास हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ के द्वितीय पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ और अनुसूची

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१, मार्च, १९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ११,३०,९१,४०० रु० (केवल ग्यारह करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार चार सौ) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५५-५६ के लिये ११,३०,९१,४०० रु० का दिया जाना विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनूसुची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	४
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय	२८,२००	..	२८,२००
२	मालगुजारी (लैन्ड रेवेन्यू) ..	१००	..	१००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	८,८३,६००	..	८,८३,६००
५	वन (फारेस्ट)	१६,५७,५००	..	१६,५७,५००
६	रजिस्ट्री	१००	..	१००
८	अन्यकर और शुल्क	२६,७००	६,०००	३२,७००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इर्रीगेशन) के निर्माण कार्य ..	रु० १५,७६,९००	रु० ..	रु० १५,७६,९००
१०	सिंचाई (इर्रीगेशन) स्थापना पर व्यय	२००	..	२००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय	५,७५,८००	..	५,७५,८००
१२	सामान्य प्रशासन (जनरल ऐड-मिनिस्ट्रेशन) के कारण व्यय	७,९८,१००	८३,५००	८,८१,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	२००	१८,५००	१८,७००
१५	न्याय प्रशासन	८०,३००	..	८०,३००
१६	जेल	१,४२,७००	..	१,४२,७००
१७	पुलिस	१४,३८,२००	..	१४,३८,२००
१८	शिक्षा	६,०७,२००	७००	६,०७,९००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	१,७७,९००	३,२००	१,८१,१००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	२,६९,५००	..	२,६९,५००
२१	कृषि-संबंधी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट ऐन्ड रिसर्च)	२०,४००	१,३००	२१,७००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐन्ड कालोनाइजेशन) ..	९,६३,२००	..	९,६३,२००
२३	पशु-चिकित्सा (वेटरिनरी) ..	३००	२,७००	३,०००
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	७,७०,०००	..	७,७०,०००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण (कोआपरेटिव क्रेडिट) ..	१००	..	१००
२७	उद्योग	१,९९,१००	..	१,९९,१००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	..	१,०००	१,०००
२९	परिवहन विभाग	८००	१,१४,८००	१,१५,६००
३०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	६४,५५,९००	३,३००	६४,५९,२००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक: राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		४
		रु०	रु०	रु०
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	२००	..	२००
३३	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्टस-इन एड आफ सिविल वर्क्स) ..	३८,२४,१००	..	३८,२४,१००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फेमिन रिलीफ)	५०,००,०००	२४,००,०००	७४,००,०००
३५	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनों तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते ..	९४,०००	..	९४,०००
३७	लेखन-सामग्री और छपाई ..	१३,७८,३००	..	१३,७८,३००
३८	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	५००	१,९००	२,४००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	२५,४८,६००	..	२५,४८,६००
४०	समाज कल्याण ..	१००	..	१००
४१	असाधारण व्यय ..	५,३८,५००	३,८०,०००	९,१८,५००
४२	योजना और एकीकरण	१,०५,४५,०००	..	१,०५,४५,०००
	ऋण कम करना या उससे बचना	..	१००	१००
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	३५,५८,२००	..	३५,५८,२००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	१७,९३,३००	..	१७,९३,३००
४५	औद्योगिक विकास ..	१९,६४,४००	..	१९,६४,४००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउट-ले) ..	१,४००	..	१,४००
४७	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	६००	..	६००
४८	कृषि इंजिनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	६००	७८,२००	७८,८००
५०	राज्य व्यापार की योजनायें ..	२,६६,४०,६००	..	२,६६,४०,६००
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (ऐडवांसेज) ..	३,५४,३४,७००	..	३,५४,३४,७००
	योग ..	१०,९९,९६,२००	३०,९५,२००	११,३०,९१,४००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २,३ और अनूसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५—५६ का द्वितीय पूरक) विधेयक

३१ मार्च ,१९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च १९५६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का आधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम ।

१— यह अधिनियम ,१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५—५६ का द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में —३६
विपक्ष में—८) ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५० मिनट पर सोमवार, २७ फरवरी ,१९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
२५ फरवरी , १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव ,विधान मंडल ,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।